

सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान राज्य के कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा
प्रतिवेदन
वर्ष 2022-23

विवरण सूची

| विवरण | पृष्ठ संख्या |
|--|--------------|
| (i) प्रस्तावना | I |
| (ii) समग्र दृष्टि | II |
| (iii) भाग प्रथम - परिचय | 1 |
| (iv) भाग द्वितीय- कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ | 6 |
| (v) भाग तृतीय - कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ | 13 |
| (vi) भाग चतुर्थ - सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित पाई गई कमियाँ | 33 |

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के लेखों का संकलन सम्बन्धी कार्य किए जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का है, उनकी ओर से राजस्थान के लेखों के संकलन कार्य के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर उत्तरदायी है। राज्य के समस्त कोषालय अपने ऑनलाईन मासिक लेखे, समस्त लेन देनों के आवश्यक चालानों व वाउचरों सहित (सॉफ्ट प्रति में) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा समस्त कोषालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता रहा है। कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य अंग है तथा वे शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान करने के साथ ही शासकीय खर्चों पर नियंत्रण रखने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। कोषालयों/उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर प्रति वर्ष इस कार्यालय द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के इस वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में राजस्थान में कार्यरत कोषालयों की उन महत्वपूर्ण कमियों का सारांशीकरण किया गया है जो इस कार्यालय में लेखों के संकलन के दौरान व स्थानीय निरीक्षणों के दौरान जानकारी में आयी थी। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ परिलक्षित हुई थीं, उन्हें सम्बंधित जिला कलेक्टरों, कोषाधिकारियों, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के ध्यान में ला दिया गया है। विगत वर्षों के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताओं/ त्रुटियों का तुलनात्मक विवरण विभिन्न चार्ट में दर्शाया गया है।

कोषालयों की दक्षतापूर्ण कार्य प्रणाली राज्य के उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इस प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार और इसके परिणामस्वरूप राज्य के वित्तीय प्रशासन की सहायता करना है। मैं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिन्होंने इस प्रक्रिया में योगदान दिया है, धन्यवाद देती हूँ।

दिनांक: 12.07.2023


12/7/2023

(तृप्ति गुप्ता)

महालेखाकार (लेखा एवं हक.)

राजस्थान, जयपुर

समग्र - दृष्टि

| अनुच्छेद संख्या | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|-----------------|--|--------------|
| 1.1 | कोषागार की भूमिका | 1 |
| 1.2 | संगठनात्मक सेट अप | 1 |
| 1.3 | कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या | 2 |
| 1.4 | कम्प्यूटरीकरण | 3 |
| 1.5 | भुगतान वाउचरों का मासिक विवरण | 3 |
| 1.6 | वार्षिक प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण | 5 |
| 2.1 | मासिक लेखों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण | 6 |
| 2.2 | कोषालयों से अप्राप्त वाउचर्स | 7 |
| 2.3 | अन्य राज्यों के पेंशनर्स के पक्ष में जारी उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों पर किये गये भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक सूचित करने का अभाव | 7 |
| 2.4 | मासिक लेखों में अशुद्धियां | 8 |
| 2.5.1 | लेखा शीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव | 8 |
| 2.5.2 | लेखा शीर्ष 8782-103 "वन लेखा प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव | 8 |
| 2.6 | लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा" (राज्य) में बकाया रहे अंतर | 9 |
| 2.7 | आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 51.65 करोड़ | 9 |
| 2.8.1 | वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निजी निक्षेप खातों में हुई प्राप्तियों एवं भुगतानों का कोषालय वार विवरण | 10 |
| 2.8.2 | निजी निक्षेप खातों के लिए महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस- माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर राशि ₹ 2.46 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर राशि ₹ 751.05 करोड़ के निराकरण का अभाव | 12 |
| 3.3.1 | उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि में से प्राधिकृति में दर्शाई गई कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 29.21 लाख | 14 |
| 3.3.2 | निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक राशि के उपादान भुगतान आदेश जारी कर पेंशनरों को अधिक भुगतान राशि ₹ 1.61 लाख | 15 |
| 3.3.3 | एल.पी.सी प्राप्त किये बिना उपादान अधिकृतियों का अनियमित भुगतान किया जाना | 15 |
| 3.3.4 | पेंशन के रूपान्तरण के बाद संबंधित पेंशनरों से निर्धारित अवधि तक मासिक कटौती नहीं करना/कम किये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 18.67 लाख | 16 |
| 3.3.5 | सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन का गलत निर्धारण कर अधिक भुगतान राशि ₹ 6.09 लाख | 16 |
| 3.3.6 | आश्रित पुत्र की आयु 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी पेंशन बंद नहीं करने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 11.72 लाख | 16 |

| | | |
|---------|--|----|
| 3.3.7 | मरणोपरान्त पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन राशि हस्तांतरण कर अधिक भुगतान ₹ 22.85 लाख | 17 |
| 3.3.8 | पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर मूल दर से पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 19.97 लाख | 17 |
| 3.4.1 | राजस्व जमा पंजिका का संधारण करने का अभाव | 20 |
| 3.4.2 | व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव | 20 |
| 3.4.3 | महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित व्यपगत शेषों की सूची अपूर्ण एवं गलत तैयार करना | 21 |
| 3.5.1 | निजी निक्षेप खातों की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियां | 22 |
| 3.5.2 | निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना | 22 |
| 3.5.3 | कोषालय द्वारा संधारित लेजर एवं निजी निक्षेप खाता धारक संस्था की पासबुक के शेषों के उत्पन्न धनात्मक व ऋणात्मक अन्तरों के निराकरण का अभाव | 23 |
| 3.5.4 | निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद किये जाने का अभाव | 23 |
| 3.5.5.1 | नेशनल पेंशन स्कीम (न्यू पेंशन स्कीम) के लिये संधारित निजी निक्षेप खाते में जमा राशि को ट्रस्टी बैंक में जमा करवाकर रिकार्ड कीपिंग एजेंसी नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को डाटा प्रेषित करने का अभाव ₹ 7.58 करोड़ | 23 |
| 3.5.5.2 | ट्रस्टी बैंक को एन.पी.एस. अंशदान का दोहरा हस्तान्तरण करना राशि ₹ 3.21 लाख | 24 |
| 3.5.5.3 | निजी निक्षेप खाता संख्या 471 से राशियों का आहरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करने का अभाव ₹ 70.54 करोड़ | 25 |
| 3.6.1 | अनुपयोगी / कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 70.17 लाख | 25 |
| 3.7.1 | भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 44.95 करोड़ | 26 |
| 3.7.2 | दिनांक 31.03.2004 के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक एवं एस.बी.बी.जे. बैंक (वर्तमान एस.बी.आई) से राज्य सरकार के कार्मिकों को स्वीकृत कराये गये भवन ऋणों की मासिक कटौतियों से प्राप्त राशि बैंक खातों में जमा कराने का अभाव ₹ 3.52 करोड़ | 27 |
| 3.7.3 | दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहद पुस्तिका के संधारण का अभाव/अपूर्ण संधारण | 28 |
| 3.7.4 | अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण के अभाव में बकाया रहना | 28 |
| 3.8.1 | बहुमुल्य वस्तुओं की पंजिका में दर्ज सामग्री के भौतिक सत्यापन का अभाव | 30 |
| 3.9.1 | ग्राम पंचायत स्यालावास कलां के बैंक खाता में आई.एफ.एस.सी. कोड सही अंकन नहीं होने के कारण गलत बैंक खाता में जमा कराई गई राशि की संबंधित खाता धारक से वसूली कर ग्राम पंचायत को लौटाने का अभाव ₹ 2.50 लाख | 30 |
| 3.9.2 | सुरक्षित कक्ष के सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने का अभाव | 31 |
| 3.9.3 | रोकड़िये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव | 32 |
| 4.1 | सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा से संबंधित कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमिततायें/ कमियां | 33 |
| 4.2 | ई एन्वायरमेंट में कोषालयों के निरीक्षण से संबंधित पायलट स्टडी के दौरान पाई गई अनियमिततायें / कमियां | 34 |

| | | |
|-------|---|----|
| 4.3 | कोषालयों के कार्यों के निष्पादन हेतु विकसित विभिन्न मोड्यूल्स में जनरेट होने वाली रिपोर्ट्स में पाई गई कमियां | 36 |
| 4.3.1 | मुद्रांक की ऑनलाईन स्टॉक इन हैण्ड रिपोर्ट एवं ऑफलाईन संधारित रजिस्ट्रों के मध्य मुद्रांकों की मात्रा में अन्तर प्रकट होना | 36 |
| 4.3.2 | मुद्रांक मोड्यूल में चैक नहीं होने के कारण मुद्रांक विक्रेताओं को निर्धारित दर से अधिक बढ़ा दिया जाना राशि ₹ 0.05 लाख | 36 |
| 4.3.3 | आहरण संवितरण अधिकारियों की सूची को अद्यतन का अभाव | 37 |
| 4.3.4 | हस्तानांतरण की प्रतीक्षा में प्राप्ति (आर.ए.टी.) में रखी गई राशियों का समय पर निस्तारण नहीं करना ₹ 70919.00 | 38 |
| 4.3.5 | राजस्थान राज्य जी.एस.टी. लेखांकन पोर्टल पर प्रकट हुए अंतरों का निराकरण का अभाव | 38 |
| 4.3.6 | एक से ज्यादा जी.आर.एन. (चालान) नम्बर के लिये एक ही सी.आई.एन. जारी होना | 39 |
| 4.3.7 | आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम सुदृढ़ नहीं होने के कारण वेतन का दोहरा भुगतान राशि ₹. 2.20 लाख | 39 |

कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2022-23

भाग-1

1. परिचय

1.1 कोषागार की भूमिका

राजस्थान राज्य के समस्त कोषालय, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत हैं। समीक्षा वर्ष 2022-23 के दौरान 41 कोषालय (खजाना) एवं 253 उप कोषालय (उप खजाना) राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत रहे, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -1 में दर्शाया गया है, जिनमें कुल 28,325 आहरण-संवितरण अधिकारियों के प्राप्ति एवं भुगतान सम्बन्धी लेन-देन हेतु राजकीय लेखे खुले हुए थे। राजस्थान के 04 जिला मुख्यालयों (अजमेर, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर) पर कार्यरत मुख्य कोषालयों के अलावा 07 अतिरिक्त कोषालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -2 में दर्शाया गया है। इस कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 41 कोषालयों एवं 79 उप कोषालयों तथा निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय (कुल 121 निरीक्षित ईकाईयों) के निरीक्षण करने के लक्ष्यों का निर्धारण कर तदनुरूप पूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में निरीक्षण की गई निरीक्षित ईकाईयों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या-3 में दर्शाया गया है।

1.2 संगठनात्मक सेट अप

राजस्थान राज्य में निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, कोष एवं लेखा, वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी कोषालयों (ई-कोषालय, जयपुर व भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली सहित) एवं उप कोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण रखना, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन करना, वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना इत्यादि प्रमुख कार्य किये जाते हैं।

प्रत्येक कोषाधिकारी कोषालय के संचालन के लिए कलक्टर के साथ संयुक्त रूप से रोकड़, मुद्रांक आदि और अन्य राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है साथ ही कोषाधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वह अन्य कार्यालयों / विभागों से आहरण व संवितरण अधिकारी की पदीय हैसियत में व्यवहार करने तथा निदेशालय, कोष एवं लेखा के प्रति कोष के लेखों को नियमों में वर्णित और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कठोरता पूर्वक संधारित कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने तथा समस्त प्रारम्भिक अभिलेखों, वाउचर्स की शुद्धता व कोषालय में होने वाले सारे संव्यवहारों की निरंतरता के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रायः प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर सभी निहित शक्तियों के साथ एक उप कोषालय होता है। उप कोषालय राजस्थान लेखा सेवा के अधीनस्थ सहायक लेखाधिकारी के प्रभार में होता है। उप कोषाधिकारी कर्तव्यों, उचित आचरण और नियमों की पालना के लिए कोषाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। उप कोषाधिकारी उप कोषालय से संबंधित उन समस्त कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि कोषाधिकारी द्वारा कोषालय संचालन के लिए अपेक्षित है।

निदेशालय का संगठनात्मक सेट अप निम्न प्रकार है:-




1.3 कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या

- 1.3.1 राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों व उप कोषालयों में कुल स्वीकृत 2,598 पदों के विरुद्ध वर्ष 2022-23 के दौरान केवल 1,569 पदों (22 ग्रुप "घ" सम्मिलित है) पर ही कर्मचारी / अधिकारी कार्यरत रहे ।
- 1.3.2 इन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों में से 1,410 को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में प्रशिक्षण प्राप्त था एवं 137 अप्रशिक्षित रहते हुए भी कोषालयों / उप कोषालयों में कार्य कर रहे थे। शेष 22 ग्रुप "घ" श्रेणी के कर्मचारी होने के कारण उनके लिये एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं था।

कोषालयों / उप कोषालयों में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पदों, कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या एवं रिक्त पदों की संख्या तथा उनके कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या -4 में दर्शाया गया है तथा एक नजर में स्थिति की जानकारी नीचे चार्ट संख्या 1 में प्रदर्शित है :-

(चार्ट संख्या 1)

कोषालयों व उप कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की कम्प्यूटर में प्रशिक्षण की स्थिति एक नजर में



1.4 कम्प्यूटरीकरण

राजस्थान राज्य के अन्तर्गत राजकीय लेन-देन के निष्पादन हेतु कार्यरत परिशिष्ट संख्या -1 में वर्णित सभी 41 कोषालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत 253 उप कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत ऑनलाईन लेन-देन प्रक्रिया का निष्पादन कर सभी 41 कोषालयों के द्वारा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के अन्तर्गत संधारित वाउचर लेवल कम्पाइलेशन (VLC) में ऑनलाईन लेखे प्रस्तुत किये जा रहे हैं। विभिन्न कोषाधिकारियों के अधीनस्थ कार्यरत उप कोषाधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले लेन-देनों के दैनिक लेखे संबंधित कोषाधिकारी के कार्यालय को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपना कर कोषालय के मासिक लेखे की प्रथम एवं द्वितीय सूची में सम्मिलित किये जाते हैं।

1.5 भुगतान वाउचरों का मासिक विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के कोषालयों से प्रति माह प्राप्त मासिक लेखों के अनुसार भुगतान वाउचरों की संख्या का कोषालय वार एवं माह वार विवरण एक नजर में निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | कोषालय / माह | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर | जनवरी | फरवरी | मार्च |
|---------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 1. | अजमेर | 8881 | 9599 | 9810 | 8881 | 9545 | 9377 | 11480 | 10836 | 8671 | 10342 | 11976 | 14093 |
| 2. | अलवर | 11312 | 13065 | 12987 | 11847 | 13408 | 13193 | 17007 | 17323 | 14758 | 16900 | 20110 | 19944 |
| 3. | ब्यावर | 1675 | 1951 | 1698 | 1868 | 1956 | 1974 | 2491 | 2318 | 1702 | 2169 | 2903 | 2280 |
| 4. | बाड़मेर | 9671 | 9540 | 9223 | 10517 | 11082 | 10355 | 13155 | 13559 | 10938 | 12492 | 17241 | 15877 |
| 5. | बारां | 4148 | 5101 | 5077 | 5401 | 5397 | 4617 | 5992 | 6480 | 5212 | 5857 | 7608 | 9496 |

| क्र.सं. | कोषालय / माह | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर | जनवरी | फरवरी | मार्च |
|---------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 6. | बांसवाड़ा | 7403 | 8006 | 7911 | 7621 | 8259 | 7910 | 10442 | 9955 | 7786 | 8811 | 11000 | 11359 |
| 7. | बीकानेर | 7807 | 8844 | 8847 | 8803 | 9698 | 9496 | 11442 | 11571 | 9886 | 12365 | 15038 | 18043 |
| 8. | बूंदी | 4470 | 4835 | 4853 | 4821 | 4921 | 4784 | 6492 | 6747 | 5473 | 5883 | 8156 | 8444 |
| 9. | भरतपुर | 8454 | 9091 | 9597 | 9287 | 10223 | 9629 | 12145 | 11926 | 10385 | 11025 | 14754 | 15215 |
| 10. | भीलवाड़ा | 8700 | 9262 | 8596 | 8569 | 8986 | 8365 | 12369 | 11086 | 8893 | 11038 | 13292 | 13109 |
| 11. | चित्तौड़गढ़ | 6070 | 6898 | 6762 | 6403 | 6767 | 6761 | 8793 | 8363 | 6994 | 9065 | 8906 | 10424 |
| 12. | चूरू | 6187 | 6912 | 7184 | 6990 | 7021 | 6751 | 8706 | 8656 | 7145 | 8834 | 11331 | 10778 |
| 13. | दौसा | 5729 | 6270 | 6172 | 5711 | 6501 | 6115 | 8075 | 7725 | 6261 | 7948 | 8782 | 9239 |
| 14. | डूंगरपुर | 6122 | 7008 | 6494 | 6702 | 7267 | 6801 | 9246 | 9870 | 7829 | 8572 | 10216 | 10027 |
| 15. | धौलपुर | 3815 | 4178 | 4119 | 4559 | 4313 | 4183 | 5330 | 5508 | 4877 | 5764 | 6901 | 7561 |
| 16. | श्रीगंगानगर | 6577 | 7559 | 7970 | 7570 | 8150 | 7222 | 9803 | 9544 | 7771 | 8689 | 10970 | 11850 |
| 17. | हनुमानगढ़ | 4795 | 6261 | 6130 | 6076 | 6004 | 5778 | 7277 | 7930 | 6097 | 7718 | 9718 | 10747 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 9007 | 11441 | 11636 | 10028 | 10417 | 10403 | 12894 | 13025 | 11786 | 14166 | 14655 | 21921 |
| 19. | जयपुर (ग्रामीण) | 11094 | 13304 | 13693 | 12604 | 13341 | 12820 | 17131 | 17902 | 15409 | 16963 | 20769 | 18448 |
| 20. | जयपुर (सचिवालय) | 5490 | 6832 | 7033 | 6442 | 6714 | 6613 | 7221 | 7777 | 6319 | 7233 | 7478 | 11046 |
| 21. | जयपुर (पेंशन) | 720 | 739 | 943 | 936 | 948 | 3877 | 638 | 1036 | 526 | 797 | 888 | 779 |
| 22. | जैसलमेर | 3228 | 3913 | 4558 | 3703 | 4958 | 4701 | 5052 | 6220 | 4358 | 6752 | 6519 | 12625 |
| 23. | जालौर | 5539 | 5899 | 5987 | 5995 | 6348 | 6136 | 7700 | 7865 | 5937 | 7709 | 8780 | 9609 |
| 24. | जोधपुर (शहर) | 5502 | 7025 | 7776 | 6868 | 6698 | 6685 | 8313 | 8986 | 6892 | 8986 | 9214 | 12945 |
| 25. | जोधपुर (ग्रामीण) | 6241 | 6558 | 7514 | 7455 | 7583 | 8596 | 9825 | 9831 | 7836 | 8600 | 12021 | 9381 |
| 26. | झालावाड़ | 4560 | 5654 | 5445 | 5642 | 5332 | 5591 | 6392 | 7708 | 5911 | 5877 | 8558 | 8656 |
| 27. | झुंझुनू | 5902 | 7734 | 7951 | 7601 | 8160 | 7205 | 9589 | 10482 | 7621 | 9243 | 12445 | 12260 |
| 28. | करौली | 3814 | 4834 | 4815 | 4548 | 5004 | 5215 | 6393 | 6716 | 5498 | 7010 | 8748 | 8043 |
| 29. | कोटा | 7335 | 8565 | 8353 | 8931 | 8732 | 8495 | 10087 | 10859 | 8457 | 10024 | 11289 | 13024 |
| 30. | नागौर | 9820 | 9501 | 10200 | 9846 | 10700 | 10081 | 14237 | 12147 | 10606 | 13423 | 16324 | 15066 |
| 31. | प्रतापगढ़ | 3406 | 3513 | 3785 | 4067 | 3584 | 3774 | 4577 | 4688 | 4191 | 4965 | 5665 | 7121 |
| 32. | पाली | 7264 | 7385 | 7455 | 6760 | 7676 | 7077 | 9059 | 9049 | 6791 | 9366 | 8914 | 10087 |
| 33. | राजसमंद | 4249 | 4600 | 4618 | 4314 | 4630 | 4686 | 6100 | 6257 | 5211 | 5201 | 8253 | 7809 |
| 34. | सवाई माधोपुर | 4743 | 5206 | 5126 | 5434 | 5598 | 5141 | 6449 | 6631 | 5707 | 6119 | 8880 | 9417 |
| 35. | सीकर | 7730 | 9335 | 8614 | 8201 | 9137 | 8498 | 11947 | 12263 | 9846 | 11697 | 13744 | 13927 |
| 36. | सिरोही | 4002 | 4499 | 4585 | 3964 | 4791 | 4050 | 5363 | 5246 | 4502 | 4962 | 6782 | 6980 |
| 37. | टोंक | 5279 | 6067 | 6092 | 5625 | 5963 | 5769 | 8089 | 7518 | 6647 | 7056 | 9159 | 10263 |
| 38. | उदयपुर (शहर) | 4515 | 5342 | 5164 | 4899 | 5340 | 5516 | 6249 | 7296 | 5308 | 6489 | 7974 | 11316 |
| 39. | उदयपुर (ग्रामीण) | 7258 | 8064 | 7668 | 7594 | 8615 | 8643 | 10040 | 10607 | 8674 | 8686 | 11628 | 9561 |
| 40. | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 386 | 442 | 407 | 343 | 488 | 386 | 585 | 468 | 376 | 459 | 380 | 492 |
| 41. | ई- कोषालय जयपुर | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |

| क्र.सं. | कोषालय / माह | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर | जनवरी | फरवरी | मार्च |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | योग | 238910 | 270842 | 272859 | 263437 | 280265 | 273280 | 344184 | 349984 | 285097 | 335264 | 407978 | 439271 |

1.6 वार्षिक प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के कोषालयों के माध्यम से प्राप्त हुए मासिक लेखों के अनुसार राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं भुगतानों का माह वार विवरण एक नजर में निम्नलिखित है:-

₹ (करोड़ों में)

| क्र.सं. | माह | कुल प्राप्तियां | कुल भुगतान |
|---------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | अप्रैल | 12,195.35 | 15,021.09 |
| 2 | मई | 11,774.07 | 17,302.10 |
| 3 | जून | 16,389.04 | 19,075.01 |
| 4 | जुलाई | 14,480.47 | 20,794.49 |
| 5 | अगस्त | 15,400.02 | 17,538.76 |
| 6 | सितम्बर | 14,817.91 | 18,064.66 |
| 7 | अक्टूबर | 15,365.89 | 19,547.07 |
| 8 | नवम्बर | 17,274.60 | 17,998.35 |
| 9 | दिसम्बर | 14,978.90 | 18,903.63 |
| 10 | जनवरी | 14,988.69 | 22,798.14 |
| 11 | फरवरी | 18,419.33 | 23,334.82 |
| 12 | मार्च | 27,110.11 | 40,536.49 |
| | योग | 1,93,194.43 | 2,50,914.67 |

भाग- 2

2. कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ


2.1 मासिक लेखों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 209 में वर्णित प्रावधानानुसार कोषालयों द्वारा मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इस कार्यालय के केन्द्रीय खजाना अनुभाग (सी.टी.एस.) मेन्युअल के अनुसार राज्य के कोषालयों द्वारा मासिक लेखे माह में दो बार प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। माह की 1 से 10 तारीख तक के लेन-देनों की प्रथम अनुसूची एवं माह की 11 से अंतिम कार्य दिवस तक के लेन-देनों की द्वितीय अनुसूची क्रमशः उसी माह की 13 से 17 तारीख तक एवं आगामी माह की 5 से 8 तारीख तक प्रेषित करनी होती है। मासिक लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण लेखा-संकलन कार्य में विलम्ब की संभावना रहती है।

इस कार्यालय में वर्ष 2022-23 में कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य के सभी 41 कोषालयों के द्वारा विभिन्न माहों के मासिक लेखों की 205 प्रथम एवं 178 द्वितीय अनुसूचियों (कुल 383 अनुसूचियों) को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था जिसका विस्तृत विवरण [परिशिष्ट संख्या -5](#) में दर्शाया गया है। इस संबंध में विगत पाँच वर्षों की स्थिति की जानकारी एक नजर में नीचे [चार्ट संख्या-2](#) में प्रदर्शित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोषाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को प्रति माह प्रेषित की जाने वाली मासिक लेखों की प्रथम व द्वितीय अनुसूचियों को समय पर प्रस्तुत करने की पालना को गंभीरता से नहीं लिया गया एवं लेखाओं के प्रस्तुतीकरण से संबंधित विलम्ब के प्रकरणों की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के अतिरिक्त, निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है।

(चार्ट संख्या - 2)

[कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विगत पाँच वर्षों का तुलनात्मक विवरण](#)



प्रकरण निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे समस्त कोषाधिकारियों को, मासिक लेखों की दोनों अनुसूचियों को इस कार्यालय में प्रतिमाह निर्धारित समय पर भिजवाने हेतु निर्देशित करें।

2.2 कोषालयों से अप्राप्त वाउचर्स

वर्ष 2022 - 23 में कोई भी वाउचर अप्राप्त वाउचर की श्रेणी में लम्बित नहीं था।

2.3 अन्य राज्यों के पेंशनर्स के पक्ष में जारी उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों पर किये गये भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक सूचित करने का अभाव

राजस्थान राज्य स्थित लगभग सभी कोषालयों के द्वारा अन्य राज्यों के पेंशनरों के लिए इस कार्यालय के पेंशन प्राधिकृति अनुभाग द्वारा जारी किये जाने वाले उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों के अनुसार संबंधित पेंशनर को भुगतान किया जाता है किंतु 19 कोषाधिकारियों द्वारा 156 उपादान अधिकृतियों तथा 97 सारांशीकरण अधिकृतियों के भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक इस कार्यालय को सूचित नहीं किये गये, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | उपादान अधिकृतियों की संख्या | टी.वी. नम्बर व दिनांक तक लंबित रहने की अवधि | सारांशीकरण अधिकृतियों की संख्या | टी.वी. नम्बर व दिनांक तक लंबित रहने की अवधि |
|---------|------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1 | अलवर | 27 | 06/2005 से 01/2023 | 11 | 04/2011 से 01/2023 |
| 2 | बांसवाड़ा | 1 | 05/2012 | 1 | 03/2011 |
| 3 | ब्यावर | 1 | 03/2023 | 1 | 03/2023 |
| 4 | भरतपुर | 10 | 07/2013 से 03/2023 | 8 | 12/2009 से 10/2022 |
| 5 | भीलवाड़ा | 02 | 06/2011 से 11/2021 | 02 | 06/2011 से 11/2021 |
| 6 | चूरू | 0 | - | 3 | 08/2017 से 12/2018 |
| 7 | धौलपुर | 1 | 07/2018 | 0 | - |
| 8 | श्रीगंगानगर | 0 | - | 1 | 02/2023 |
| 9 | हनुमानगढ़ | 1 | 03/2023 | 0 | - |
| 10 | इंगूरपुर | 2 | 04/2014 से 05/2022 | 7 | 03/2010 से 09/2022 |
| 11 | जयपुर (पेंशन) | 28 | 09/2006 से 01/2023 | 14 | 06/2017 से 01/2023 |
| 12 | झुन्झुनू | 6 | 08/2014 से 03/2023 | 2 | 02/2016 से 03/2023 |
| 13 | जोधपुर (ग्रामीण) | 18 | 07/2008 से 07/2022 | 18 | 01/2010 से 07/2022 |
| 14 | कोटा | 02 | 04/2013 से 06/2013 | 0 | - |
| 15 | राजसमंद | 38 | 09/2006 से 11/2020 | 18 | 01/2010 से 07/2020 |
| 16 | नागौर | 7 | 02/2014 से 09/2021 | 7 | 11/2013 से 09/2021 |
| 17 | सीकर | 4 | 10/2019 से 05/2022 | 1 | 05/2022 |
| 18 | जैसलमेर | 4 | 05/2017 से 03/2023 | 1 | 11/2017 |
| 19 | उदयपुर (ग्रामीण) | 4 | 03/2022 से 03/2023 | 2 | 03/2022 से 01/2023 |
| योग | | 156 | | 97 | |

उपरोक्त टी.वी. नंबर एवं दिनांक के अभाव में इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि इन अधिकृतियों का भुगतान हुआ है या नहीं।

अतः प्रकरण निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि अन्य राज्यों के पेंशनरों को किये गये भुगतानों के कोष वाउचर संख्या व दिनांक का विवरण इस कार्यालय को भिजवाने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करें।

2.4 मासिक लेखों में अशुद्धियां

वर्ष 2022-23 के दौरान कोषालयों द्वारा किये गये गलत वर्गीकरण को सही शीर्ष में वर्गीकृत करने हेतु कुल 370 हिसाब शोधन पत्र (टी.वाई.65) प्राप्त हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -6 में दर्शाया गया है। प्राप्त सभी हिसाब शोधन पत्रों के आधार पर लेखों में वांछित संशोधन कर दिया गया था।

2.5 लेखा शीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" एवं लेखा शीर्ष 8782-103 "वन लेखा प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों का विवरण

2.5.1 लेखा शीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव

मुख्य लेखा शीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के अन्तर्गत विभिन्न खण्डीय कार्यालयों के लेखों में सम्मिलित किये गये चालानों एवं चैकों में से 542 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा लेखा शीर्ष 8782-102-01 के अन्तर्गत धनात्मक राशि ₹ 169.03 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 154.90 करोड़ के चालान तथा लेखा शीर्ष 8782-102-02 के अन्तर्गत धनात्मक राशि ₹ 218.65 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹168.89 करोड़ के चैक माह 03/2023 के लेखे संवरण होने तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए जिनका कोषालय वार विवरण परिशिष्ट संख्या -7 में दर्शाया गया है।

प्रकरण निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारियों को, खण्डीय कार्यालयों से सम्पर्क कर बकाया चैक्स व चालानों का समायोजन यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देशित करें।

2.5.2 लेखा शीर्ष 8782-103 "वन लेखा प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव

मुख्य लेखा शीर्ष 8782-103 "वन लेखा प्रेषण" के अन्तर्गत विभिन्न खण्डीय कार्यालयों के लेखों में सम्मिलित किये गये चालानों एवं चैकों में से लेखा शीर्ष 8782-103-01 के अन्तर्गत 69 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा धनात्मक राशि ₹ 3.36 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 3.26 करोड़ के चालान तथा लेखा शीर्ष 8782-103-02 के अन्तर्गत 52 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा धनात्मक राशि ₹ 0.87 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 0.87 करोड़ के चैक माह 03/2023 के लेखे संवरण होने तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए जिनका कोषालय वार विवरण परिशिष्ट संख्या -8 में दर्शाया गया है।

प्रकरण अतः प्रकरण निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारियों को बकाया चैक्स व चालानों का समायोजन यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देशित करें।

2.6 लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा" (राज्य) में बकाया रहे अंतर

लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा (राज्य लेन-देन)" के अन्तर्गत सरकारी लेन देन करने वाली एजेंसी बैंकों से संबंधित माह 03/2023 तक राज्य लेन-देन के लेखों में उत्पन्न हुए राशि ₹ 3,50,304/- नामें (Dr.) व राशि ₹ 33,93,389/- जमा (Cr.) के अन्तरों का माह जून 2023 तक समायोजन नहीं कराया गया था। जिसका विवरण परिशिष्ट -9 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर संबंधित कोषाधिकारियों को अन्तर के समायोजन के लिए संबंधित एजेंसी बैंक का कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित बैंक मानचित्र (वी.डी.एम.एस.) अथवा संशोधित आर.बी.डी. मानचित्र व हिसाब शोधन पत्र (टी.वाई. 65) प्रेषित करने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

2.7 आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 51.65 करोड़

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-1 के नियम 220 में वर्णित विभागों, कार्यालयों द्वारा नियम 219(iii)(a) के परिशिष्ट "ए" में वर्णित अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय सीमा में कार्यों हेतु संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों (ए.सी. बिल) द्वारा धन राशि का आहरण किया जा सकता है जिसके विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल (डी.सी. बिल) सामान्यतः एक माह, परन्तु किसी भी मामले में तीन माह से अधिक नहीं, की अवधि में कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर देने चाहिए। प्रत्येक माह की 10 तारीख के पश्चात् आहरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम ए.सी. बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये कि पिछले माह में उठाये गये ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल अमुक तारीख को कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित किए जाने का रिकार्ड कोषालयों द्वारा भी यह देखने के लिए रखा जाता है कि पिछले माह के ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित कर दिए गए हैं अथवा नहीं। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान तथा इस कार्यालय (टी.एम. अनुभाग) द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली निगरानी के अनुसार पाया गया कि 11 कोषालयों से संबंधित विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा माह मार्च 2023 तक आहरित किये गये 246 ए.सी. बिलों की राशि ₹ 51,64,73,668/- के डी.सी. बिल इस कार्यालय को आवश्यक समायोजनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिनका नियंत्रक अधिकारी वार एवं मुख्य शीर्ष वार विवरण परिशिष्ट संख्या -10 में दर्शाया गया है एवं इनकी वर्ष वार स्थिति निम्नानुसार है:-

| माह 03/2023 के अंत में ए.सी. बिलों के विरुद्ध बकाया रहे डी.सी. बिलों का वर्ष वार व मुख्य शीर्ष वार विवरण | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|----------|
| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | मुख्य शीर्ष | बकाया आइटम | ₹ |
| 1 | 1990-91 | 2202 | 1 | 30000 |
| 2 | 1990-91 | 4202 | 1 | 30000 |
| 3 | 1992-93 | 4202 | 1 | 23700 |
| 4 | 1996-97 | 2202 | 1 | 8500 |
| 5 | 2007-08 | 2029 | 1 | 29217760 |
| 6 | 2012-13 | 2245 | 1 | 10350000 |
| 7 | 2016-17 | 2051 | 1 | 200000 |

| | | | | |
|---------|---------|------|-----|-----------|
| 9 | 2020-21 | 4210 | 3 | 83400000 |
| 10 | 2021-22 | 2029 | 1 | 5000000 |
| 11 | 2021-22 | 2204 | 1 | 430000 |
| 12 | 2021-22 | 4210 | 1 | 56200000 |
| 13 | 2022-23 | 2013 | 3 | 75000 |
| 14 | 2022-23 | 2015 | 1 | 2000000 |
| 15 | 2022-23 | 2029 | 4 | 169649 |
| 16 | 2022-23 | 2051 | 196 | 322486535 |
| 17 | 2022-23 | 2055 | 1 | 1597 |
| 18 | 2022-23 | 2204 | 18 | 1872219 |
| 19 | 2022-23 | 2851 | 2 | 4479000 |
| 20 | 2022-23 | 2853 | 1 | 145488 |
| 21 | 2022-23 | 3425 | 7 | 354220 |
| कुल योग | | | 246 | 516473668 |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे लम्बे समय से बकाया चल रहे ए.सी. बिलों की पहचान करने व उनके समायोजन हेतु डी.सी. बिल शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर पर सीधी निगरानी की व्यवस्था करवाएं।

2.8.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निजी निक्षेप खातों में हुई प्राप्तियों एवं भुगतानों का कोषालय वार विवरण

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | मुख्य लेखा शीर्ष 8443-00-106-00 के अंतर्गत संधारित निजी निक्षेप खातों की संख्या | दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष | वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्तियां | कुल योग | ₹ (करोड़ों में) | |
|---------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान | दिनांक 31.03.2023 को अंतिम शेष |
| 1 | अजमेर | 68 | 218.69 | 329.68 | 548.37 | 438.49 | 109.88 |
| 2 | अलवर | 88 | 133.09 | 329.16 | 462.25 | 364.52 | 97.73 |
| 3 | बांसवाड़ा | 55 | 139.90 | 266.75 | 406.65 | 291.31 | 115.34 |
| 4 | बारां | 55 | 181.53 | 167.34 | 348.87 | 282.69 | 66.18 |
| 5 | बाइमेर | 70 | 163.21 | 431.54 | 594.75 | 484.20 | 110.55 |
| 6 | ब्यावर | 15 | 31.36 | 55.14 | 86.50 | 82.74 | 3.76 |
| 7 | भरतपुर | 65 | 98.12 | 324.99 | 423.11 | 339.16 | 83.95 |
| 8 | भीलवाड़ा | 76 | 192.07 | 1371.62 | 1563.69 | 1418.15 | 145.54 |
| 9 | बीकानेर | 63 | 152.62 | 610.85 | 763.47 | 590.58 | 172.89 |
| 10 | बूंदी | 38 | 70.64 | 147.67 | 218.31 | 181.02 | 37.29 |
| 11 | चित्तौड़गढ़ | 64 | 161.86 | 390.40 | 552.26 | 442.26 | 110.00 |
| 12 | चुरू | 50 | 90.36 | 226.29 | 316.65 | 241.31 | 75.34 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | मुख्य लेखा शीर्ष 8443-00-106-00 के अंतर्गत संधारित निजी निक्षेप खातों की संख्या | दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष | वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्तियां | कुल योग | वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान | दिनांक 31.03.2023 को अंतिम शेष |
|---------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| 13 | दौसा | 49 | 58.39 | 134.09 | 192.48 | 148.67 | 43.81 |
| 14 | धोलपुर | 40 | 53.55 | 108.28 | 161.83 | 130.57 | 31.26 |
| 15 | झुंजरपुर | 44 | 119.61 | 288.85 | 408.46 | 306.00 | 102.46 |
| 16 | गंगानगर | 50 | 52.39 | 247.63 | 300.02 | 261.67 | 38.35 |
| 17 | हनुमानगढ़ | 41 | 69.93 | 161.52 | 231.45 | 190.34 | 41.11 |
| 18 | जयपुर शहर | 99 | 6129.55 | 7388.88 | 13518.43 | 10432.11 | 3086.32 |
| 19 | जयपुर पेंशन | 4 | 0.52 | 0.19 | 0.71 | 0.02 | 0.69 |
| 20 | जयपुर ग्रामीण | 60 | 100.92 | 383.27 | 484.19 | 359.43 | 124.76 |
| 21 | जयपुर सचिवालय | 185 | 7429.58 | 21636.19 | 29065.77 | 21960.08 | 7105.69 |
| 22 | जैसलमेर | 42 | 116.61 | 113.98 | 230.59 | 152.51 | 78.08 |
| 23 | जालोर | 43 | 54.27 | 179.19 | 233.46 | 194.28 | 39.18 |
| 24 | झालावाड | 56 | 126.45 | 334.71 | 461.16 | 355.89 | 105.27 |
| 25 | झुंझुनू | 54 | 67.99 | 265.05 | 333.04 | 243.12 | 89.92 |
| 26 | जोधपुर शहर | 59 | 174.34 | 399.13 | 573.47 | 400.14 | 173.33 |
| 27 | जोधपुर ग्रामीण | 50 | 78.39 | 290.88 | 369.27 | 294.90 | 74.37 |
| 28 | करौली | 42 | 61.90 | 139.37 | 201.27 | 157.71 | 43.56 |
| 29 | कोटा | 59 | 369.45 | 279.59 | 649.04 | 446.74 | 202.30 |
| 30 | नागौर | 66 | 149.84 | 381.32 | 531.16 | 442.21 | 88.95 |
| 31 | पाली | 60 | 90.87 | 376.62 | 467.49 | 387.27 | 80.22 |
| 32 | प्रतापगढ़ | 39 | 73.65 | 159.93 | 233.58 | 170.55 | 63.03 |
| 33 | राजसमन्द | 45 | 86.16 | 896.25 | 982.41 | 870.29 | 112.12 |
| 34 | सवाईमाधोपुर | 46 | 77.33 | 128.26 | 205.59 | 148.27 | 57.32 |
| 35 | सीकर | 56 | 109.69 | 364.85 | 474.54 | 371.99 | 102.55 |
| 36 | सिरोही | 48 | 64.58 | 199.67 | 264.25 | 215.12 | 49.13 |
| 37 | टोंक | 47 | 103.25 | 185.46 | 288.71 | 215.50 | 73.21 |
| 38 | उदयपुर शहर | 64 | 652.76 | 726.56 | 1379.32 | 838.36 | 540.96 |
| 39 | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 7 | 0.29 | 5.93 | 6.22 | 5.79 | 0.43 |
| 40 | उदयपुर ग्रामीण | 46 | 139.33 | 599.61 | 738.94 | 424.46 | 314.48 |

2.8.2 निजी निक्षेप खातों के लिए महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस- माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर राशि ₹ 2.46 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर राशि ₹ 751.05 करोड़ के निराकरण का अभाव

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा निजी निक्षेप खातों की संधारित वृहद पुस्तिका व कोषालयों द्वारा प्रेषित धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memo) में दर्शाये गये आंकड़ों के मध्य माह मार्च 2023 तक के लेखों की समाप्ति के बाद 40 कोषालयों के 158 निजी निक्षेप खातों के अन्तर्गत राशि ₹ 2,45,62,313.08 के (+) धनात्मक एवं राशि ₹7,51,04,76,738.75 के (-) ऋणात्मक अंतर प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालय वार व खाता वार विवरण परिशिष्ट संख्या -11 में दर्शाया गया है। संबंधित कोषाधिकारियों के द्वारा महालेखाकार कार्यालय की पुस्तकों के शेषों से अंक मिलान नहीं किये जाने के कारण अन्तरों का निराकरण नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कोषालयों को निर्देश जारी करें कि वे अपने प्रतिनिधि को आवश्यक अभिलेखों सहित इस कार्यालय में प्रत्येक माह अंक मिलान हेतु भिजवायें जिससे अंतरों का निराकरण हो सके ।

भाग- 3

3. कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ

3.1 वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए कोषालय एवं उप कोषालय

समीक्षा वर्ष 2022-23 के दौरान परिशिष्ट संख्या -3 में वर्णित राजस्थान राज्य के 41 कोषालयों तथा 79 उप कोषालयों तथा निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पायी गई मुख्य त्रुटियों/कमियों का विवरण आगामी पैराओं में दर्शाया गया है।

3.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन, आक्षेप तथा विलम्ब से प्राप्त अनुपालना

3.2.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और आक्षेप :-

दिनांक 31 मार्च 2023 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

| विवरण | निरीक्षण प्रतिवेदन | आक्षेप |
|--|--------------------|--------|
| प्रारम्भिक शेष (1.04.2022) वर्ष 2010-11 से बकाया | 162 | 870 |
| नये सम्मिलित (वर्ष 2022-23) | 42* | 760 |
| योग | 204 | 1630 |
| निपटान / निस्तारण (वर्ष 2022-23) | 10 | 642 |
| अन्तिम शेष (31.03.2023) | 194 | 988 |

(* नये सम्मिलित कुल 42 निरीक्षण प्रतिवेदनों में राज्य के सभी 41 कोषालयों के समेकित नि.प्र. (चयनित 79 उप कोषालयों सहित) एवं निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का निरीक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित हैं)

उपरोक्त बकाया 194 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 988 आक्षेपों में से 44 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 84 आक्षेप वर्ष 2010 -11 से 2016 -17 तक की अवधि से लम्बित हैं।

3.2.2 प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त न होना / विलम्ब से प्राप्त होना

वित्त (आर.एण्ड ए.आई.) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या एफ.5(27)/आर.एण्ड ए.आई./79 दिनांक 10.6.80 के द्वारा सभी कोषाधिकारियों को दिये गये निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना दो माह में कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

समीक्षा वर्ष के दौरान अनुमोदित प्लान के अनुसार कुल 41 में से केवल 03 (तीन) कोषालय (डूंगरपुर, दौसा व ई-कोषालय) के द्वारा ही समय पर प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं 24 (चौबीस) कोषालयों (ब्यावर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर (सचिवालय), जयपुर (पेंशन), जालौर, जोधपुर(शहर), जोधपुर(ग्रामीण), झुन्झुनू, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, सीकर, टोंक, उदयपुर(शहर), उदयपुर(ग्रामीण) व भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली द्वारा माह जून, 2023 तक प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा 14 (चौदह) कोषालयों (अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बारां, बून्दी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर(शहर), जयपुर(ग्रामीण), जैसलमेर, झालावाड़, करौली, नागौर व सवाई माधोपुर) के द्वारा 01 दिन से 7 माह 15 दिन के विलम्ब से प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या -12 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सभी कोषाधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना सहित बकाया आक्षेपों की ठोस पालना समय पर भिजवाएं ।

3.3 सिविल पेंशन


3.3.1 उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि में से प्राधिकृति में दर्शाई गई कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 29.21 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 190 (2) के अनुसार पेंशनर को उपादान भुगतान आदेश की स्वीकृति सकल राशि के साथ दर्शायी गयी विभागीय कटौती की वसूली करने के बाद ही उपादान की शुद्ध राशि का भुगतान किया जाना चाहिये ।

उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान आदेशों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राशि ₹ 29,21,054/- की 36 पेंशनरों की उपादान राशि से कटौती कर उपादान भुगतान आदेशों में उल्लेखित राजकोष की मद में जमा की जानी थी, परन्तु 04 कोषालयों एवं 14 उप कोषालयों के द्वारा निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपरोक्त पेंशनरों को जारी उपादान भुगतान आदेशों (अधिकृतियों) में कटौती योग्य दर्शायी गयी राशि की बिना वसूली किए, शुद्ध राशि की बजाय पूर्ण (सकल) उपादान राशि का भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या-13](#) में दर्शाया गया है । एक नजर में जानकारी [चार्ट संख्या-3](#) में दर्शायी गई है।

(चार्ट संख्या 3)

उपादान भुगतान आदेशों में दर्शायी गयी कटौती की वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान के विगत पाँच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े



अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, समस्त कोषाधिकारियों को, उपादान भुगतान आदेश में दर्शायी गई विभागीय कटौती की राशि को उपादान राशि के भुगतान के लिए तैयार किये जाने वाले बिल से ही वसूली कर शुद्ध राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश जारी करवाएं ।

3.3.2 निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक राशि के उपादान भुगतान आदेश जारी कर पेंशनरों को अधिक भुगतान राशि ₹ 1.61 लाख

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(6)एफडी(नियम) 2017 दिनांक 30.10. 2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में संशोधित किये गये नियम 55 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान एवं मृत्यु उपादान की अधिकतम सीमा 20 लाख रु तक भुगतान किया जा सकता है।

कोषालय अलवर के अधीन उपादान भुगतान वाउचरों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि मद 2071-01-104-01-00-84 से श्री वीरेन्द्र सिंह यादव की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को निदेशक पेंशन एवं पेंशन कल्याण राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा ₹ 20 लाख से अधिक ₹ 21,60,996/- की स्वीकृतियां जारी कर आश्रितों को ₹ 1,60,996/- का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | उपादान प्राप्तकर्ता का नाम | एफपीपीओ संख्या | जीपीओ संख्या | टी.वी. नम्बर/दिनांक | राशि ₹ |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------|
| 1 | श्रीमती रमेश देवी | 2019709 (आर) एस.एफ | 3227390 (आर) | 53075/04.08.2021 | 639834 |
| | | | 3301299 (आर) | 71845/06.09.22 | 80498 |
| 2 | श्री योगेन्द्र कुमार यादव | 2019709 (आर) एस.एफ | 3227391 (आर) | 53076/04.08.2021 | 639834 |
| | | | 3301300 (आर) | 71846/06.09.22 | 80498 |
| 3 | श्री देवेन्द्र कुमार यादव | 2019709 (आर) एस.एफ | 3227392 (आर) | 53077/04.08.2021 | 639834 |
| | | | 3301301 (आर) | 73484/09.09.22 | 80498 |
| कुल योग ₹ | | | | | 2160996 |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, उपरोक्तानुसार निर्धारित वित्तीय सीमा ₹ 20,00,000/- से अधिक भुगतान की गई राशि ₹ 1,60,996/- की आश्रितों से वसूली के लिये निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर के सक्षम अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करवाकर वसूली सुनिश्चित करें।

3.3.3 एल.पी.सी प्राप्त किये बिना उपादान अधिकृतियों का अनियमित भुगतान किया जाना

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न पेंशनर्स के ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी करते समय कुछ शर्तें रखी जाती हैं जिनकी पालना होने पर ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिए ।

कोषालय धौलपुर द्वारा पेंशनर श्री देवांश मुद्गल धारक पी.पी.संख्या 2018899 (आर) के उपादान भुगतान आदेश सं. 3220871 (आर) राशि ₹1508832 का भुगतान बिल नम्बर 05 दिनांक 06.04.2021 द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) प्राप्त किये बिना ही किया गया। जबकि उपादान भुगतान आदेश में अंकित शर्त के अनुसार अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) प्राप्त कर ही उपादान राशि का भुगतान किया जाना था ।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, कोषाधिकारी धौलपुर को उपरोक्त पेंशनर के प्रकरण में अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

3.3.4 पेंशन के रूपान्तरण के बाद संबंधित पेंशनरों से निर्धारित अवधि तक मासिक कटौती नहीं करना/कम किये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 18.67 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) रूपान्तरण नियम 1996 के अन्तर्गत अध्याय V के नियम 29 के अनुसार एक पेंशनर जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है तथा जिसने पेंशन रूपान्तरण नियमों के अधीन अपनी मूल पेंशन की अधिकतम एक तिहाई (1/3) भाग का रूपान्तरण करा लिया था तथा इन नियमों के प्रभावशील होने की तारीख को या उसके बाद रूपान्तरण की सम्बन्धित तारीख से 14 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से अगले माह की पहली तारीख से पेंशन का रेस्टोरेशन किया जायेगा।

किन्तु 16 कोषालयों के द्वारा 97 पेंशनरों से पेंशन के रूपान्तरण की तिथि से 14 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही रूपांतरण राशि की कटौती बंद कर दिए जाने / रूपांतरण राशि की मासिक कटौतियां पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये जाने के कारण विभिन्न पेंशनरों को राशि ₹ 1867462/- का अधिक भुगतान किया गया, जिसका *विवरण परिशिष्ट -14* में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, विभिन्न पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की राशियों की वसूली के लिये संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें ।

3.3.5 सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन का गलत निर्धारण कर अधिक भुगतान राशि ₹ 6.09 लाख

राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में जारी जापन सं. एफ.डी. मीमो सं. एफ.-12(6) एफ.डी./नियम/2017/पी.टी.। दिनांक 06.06.2018 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य कर्मचारियों को देय पेंशन / पारिवारिक पेंशन दिनांक 01.01.2016 से नोशनल पुनरीक्षित कर दिनांक 01.01.2017 से नगद भुगतान देय है ।

पेंशन पत्रावलियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 6 कोषालयों में 6 पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में पेंशन विभाग द्वारा पेंशन का गलत निर्धारण कर अनियमित रूप से राशि ₹ 608879/- का अधिक भुगतान करवा दिया गया, जिसका *विवरण परिशिष्ट -15* में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की राशियों की वसूली के लिये निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर तथा संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें ।

3.3.6 आश्रित पुत्र की आयु 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी पेंशन बंद नहीं करने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 11.72 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 67 (ख) एवं पी.पी.ओं. में दर्ज क्र.सं. 10 के अनुसार सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के पुत्र को 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने, शादी करने एवं रोजगार, जो भी पहले हो पारिवारिक पेंशन तक देय होती है।

कोषालयों की पेंशन पत्रावलियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी के आश्रित पुत्र की 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने जाने के उपरान्त भी 03 कोषालयों द्वारा 04 पेंशनरों को पेंशन राशि का अनियमित भुगतान जारी रख कर राशि ₹ 1171933/- का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रम संख्या | कोषालय का नाम | पारिवारिक पेंशनर का नाम | पी.पी.ओं संख्या | भुगतान की अवधि | पेंशन राशि का अधिक भुगतान |
|-------------|---------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | करौली | श्री पिन्दू राम सैनी पुत्र स्व.श्री रामसिंह सैनी | 2004796 (आर) एस.एफ. | 09.05.2022 से 31.10.2022 | 69645 |
| | | श्री आजाद पुत्र स्व. श्री बुन्दु खान | 777411 (आर) एस.एफ. | 28.01.2016 से 28.02.2022 | 808748 |
| 2 | झुन्झुनू | श्री सुनिल कुमार पुत्र स्व. श्री जीतसिंह | 2015026 (आर) एस.एफ. | 07.07.2022 से 31.12.2022 | 95492 |
| 3 | जालौर | श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री विक्रम सिंह चौहान | 452397 (आर) एस.एफ. | 25.03.2019 से 31.10.2020 | 198048 |
| योग ₹ | | | | | 1171933 |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, पेंशनरों के आश्रित पुत्रों को 25 वर्ष की आयु के पश्चात किये गये उपरोक्तानुसार अधिक भुगतान की वसूली के लिये संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें ।

3.3.7 मरणोपरान्त पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन राशि हस्तांतरण कर अधिक भुगतान ₹ 22.85 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 04(ए) के अनुसार पेंशन के लिये किसी भी दावे को, जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या मृत्यु हो जाती है, जैसी भी स्थिति हो, तत्समय प्रभावशील पेंशन नियमों वर्णित प्रावधानों के अनुरूप विनियमित करते हुए पेंशन बन्द कर आश्रित पारिवारिक सदस्य को नियम 62 के अनुसार पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी।

कोषालयों द्वारा संधारित पेंशन पत्रावलियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 14 कोषालयों द्वारा 30 पेंशनरों को मरणोपरान्त पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन राशि ₹ 2285140/- का अनियमित हस्तांतरण कर अधिक भुगतान किया गया, जिनका विवरण *परिशिष्ट -16* में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर मरणोपरांत पेंशनर के बैंक खाते में हस्तांतरण की गई राशियों की संबंधित बैंक शाखा से वसूली कराने हेतु कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें ।

3.3.8 पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर मूल दर से पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 19.97 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 6 (1)(iii)(क) के अनुसार यदि पेंशनर किसी कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है, रूपांतरण के कारण पेंशन की राशि में कमी, पेंशन की रूपांतरित राशि प्राप्त करने की तारीख से या निदेशक, पेंशन व पेंशनर्स

कल्याण विभाग के द्वारा पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान हेतु ऑथोरिटी जारी करने के बाद तीन माह की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, लागू होगी।

कोषालयों / उप कोषालयों के अन्तर्गत पेंशन रूपांतरण आदेश (सी.पी.ओ.) की अधिकृतियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पेंशन रूपांतरण आदेश (सी.पी.ओ.) की अधिकृति जारी से तीन माह बाद की तिथि अथवा पेंशन रूपांतरण आदेश (सी.पी.ओ.) की अधिकृति के जरिये स्वीकृत की गई राशि के भुगतान की तिथि, इन दोनों में से जो भी पहले हो, की तिथि से घटी हुई दर से पेंशन भुगतान करने के स्थान पर मूल पेंशन दर (अधिक दर) से भुगतान किये जाने के कारण 10 कोषालयों तथा 30 उप कोषालयों द्वारा 119 पेंशनरों को देय राशि के अतिरिक्त राशि ₹ 19,97,024/- का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या - 17 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त परिशिष्ट में वर्णित प्रकरणों में संबंधित पेंशनरों से वसूली कार्रवाई निष्पादन के साथ-साथ राज्य के समस्त कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों को नियमानुसार नियत तिथि के पश्चात् घटी दर से पेंशन राशि का भुगतान करने पर पूर्ण ध्यान दिये जाने के निर्देश जारी करें।

3.4 व्यपगत जमायें

3.4.1 राजस्व जमा पंजिका का संधारण करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 86 के अनुसार राजस्व जमाओं के लिए निर्धारित प्रारूप टी.वाई.-2 में श्रेणी वार पंजिका का संधारण किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय ब्यावर, सीकर, जयपुर पेंशन, उदयपुर (ग्रामीण), श्रीगंगानगर के द्वारा निर्धारित प्रारूप टी.वाई. 2 में राजस्व जमाओं की पंजिका का श्रेणी वार संधारण नहीं किये जाने के कारण राजकोष में तीन वर्षों पुरानी अदावी रही व्यपगत योग्य राशियों का सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर राजस्व जमा का संधारण सुनिश्चित करवाएं।

3.4.2 व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 265 के अनुसार राशि ₹ 100/- तक की जमाएं जो कि एक पूर्ण लेखा वर्ष में अदावी रहने पर या अन्य जमाएं या अन्य शेष जिसमें छात्रों द्वारा जमा कराई गई कौशल राशि सम्मिलित करते हुए तीन पूर्ण लेखा वर्षों में अदावी रहने पर प्रत्येक मार्च लेखे की समाप्ति पर व्यपगत मानी जायेगी और उसे कोषाधिकारी द्वारा उचित खाते के राजस्व में जमा कर दिया जायेगा।

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 114 के अनुसार प्रारूप टी.वाई.-7 में व्यपगत जमाओं की विवरण पंजिका, टी.वाई.-8 में जमाओं की प्राप्ति की एकसट्रेक्ट पंजिका, टी.वाई.-9 में जमाओं के पुनर्भुगतान के शिड्यूल की एकट्रेक्ट पंजिका एवं टी.वाई.-10 में व्यक्तिगत जमाओं की प्राप्ति व जमा की पंजिका का संधारण किया जाना चाहिये।

राजस्थान के कोषालयों के मासिक लेखों में लेखा शीर्ष 8443-00-101- रेवन्यु डिपोजिट, 8443-00-103- सिक्युरिटी डिपोजिट एवं 8443-00-104- सिविल कोर्ट डिपोजिट के अन्तर्गत

अदावी रही जमा राशियों को प्रति वर्ष मार्च माह के लेखे बंद हो जाने के बाद व्यपगत योग्य राशियों की प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा सूची तैयार कर कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रेषित की जानी चाहिये एवं महालेखाकार कार्यालय की अनुमति उपरांत अदावी शेष की राशियों को उचित 'शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएं, 101-अदावाकृत जमाएं, 28- अन्य जमाएं' के अन्तर्गत लेखा हस्तांतरण किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषाधिकारी बांसवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, झुंजरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुन्झुनु, करौली, नागौर एवं राजसमन्द के द्वारा उपरोक्तानुसार अदावी शेषों की सूचियां तैयार कर महालेखाकार (लेखा व हक.) के कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई। एवं कोषालय चूरु, झुंजरपुर व भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली, चूरु द्वारा निक्षेप व उनके प्रतिशोधन पंजिका के लेखों का निर्धारित प्रपत्र में संधारण नहीं किया जा रहा है, जिससे व्यपगत योग्य जमाओं की जांच किया जाना संभव नहीं हो पाया ।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त कोषाधिकारियों को व्यपगत जमाओं की सूची तैयार कर अदावी शेषों को नियमानुसार व्यपगत किये जाने की कार्रवाई करने एवं निर्धारित प्रपत्र में जमा पंजिकाओं के संधारण हेतु प्रभावी निर्देश जारी करें ।

3.4.3 महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित व्यपगत शेषों की सूची अपूर्ण एवं गलत तैयार करना

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 114 के अनुसार प्रारूप टी.वाई.-7 में व्यपगत जमाओं की विवरण पंजिका, टी.वाई.-8 में जमाओं की प्राप्ति की एक्सट्रेक्ट पंजिका, टी.वाई.-9 में जमाओं के पुनर्भुगतान के शिड्यूल की एक्ट्रेक्ट पंजिका एवं टी.वाई.-10 में व्यक्तिगत जमाओं की प्राप्ति व जमा की पंजिका का परिपूर्ण संधारण कर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 265 की अनुपालना में तैयार की जाने वाली सूची में समस्त अदावी बकाया शेषों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

लेखा शीर्ष 8443-00-101 राजस्व जमा, 8443-00-103 प्रतिभूति जमा व 8443-00-104 सिविल न्यायालय की जमा के लिए संधारित पंजिकाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों के द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने के लिये व्यपगत जमाओं की सूचियां तैयार करते समय तीन वर्ष पुरानी सभी अदावी जमाओं को व्यपगत सूची में शामिल नहीं किया गया था। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण भी पाये गये जिनमें जमा राशि का पुनर्भुगतान कर दिया गया था, किंतु व्यपगत जमाओं की सूची में सम्मिलित कर लिये गये। इस प्रकार के प्रकरणों का विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | व्यपगत जमाओं की सूची में सम्मिलित करने से वंचित रहीं अदावी राशि ₹ | पुनर्भुगतान की गई राशि को व्यपगत जमाओं की सूची में सम्मिलित राशि ₹ |
|---------|------------------|---|--|
| 1 | ब्यावर | 164343 | 0 |
| 2 | दौसा | 692507 | 0 |
| 3 | सीकर | 37291155 | 0 |
| 2. | श्री गंगानगर | 0 | 5783172 |
| 5 | उदयपुर (ग्रामीण) | 1672879 | 0 |
| 6 | जोधपुर (ग्रामीण) | 15965274 | 177930 |

| | | | |
|-------|--------------|----------|---------|
| 7 | झुन्झुनू | 8591032 | 0 |
| 8 | जालौर | 7255611 | 0 |
| 9 | जोधपुर (शहर) | 36929 | 0 |
| योग ₹ | | 71669730 | 5961102 |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि उपर्युक्त कोषाधिकारियों को व्यपगत शेषों की परिपूर्ण सूचियां संशोधित रूप से तैयार कर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) के कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश जारी करवाएं।

3.5 निजी निक्षेप खाते एवं अन्य जमा खातें

3.5.1 निजी निक्षेप खातों की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियां

भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली के माह मार्च, 2022 के धन ऋण जापन के अनुसार कुल 06 निजी निक्षेप खाते संधारित थे, जबकि महालेखाकार कार्यालय की वृहद पुस्तिका के अनुसार माह 3/2022 तक 7 निजी निक्षेप खाते संधारित थे। निजी निक्षेप खाता संख्या 473 भुगतान एवं लेखाधिकारी नई दिल्ली के धन ऋण जापन में प्रदर्शित नहीं किया गया।

नमूना जांच के लिये चयनित खाता संख्या 6136 बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति की विस्तृत समीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:-

1. पी.डी. खाता खोलने की वित्त विभाग की स्वीकृति उपलब्ध करवाई गई, स्वीकृति में खाता खोलने का उद्देश्य एवं खाते में निधियों की प्राप्ति के स्रोत एवं व्यय (Fund Flow Mechanisum) नहीं दर्शाया।
2. निजी निक्षेप खाते को खोलने के लिए महालेखाकार कार्यालय की सहमति नहीं ली गई है। इसके अलावा अभिलेखों में पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से विभिन्न निजी निक्षेप खातों से भुगतान की जाने वाली राशियों के बिलों की पी.डी. एडवाइस में भुगतान करने के उद्देश्य एवं भुगतान से संबंधित योजना का उल्लेख नहीं किया गया था।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि निजी निक्षेप खातों में पाई गई उपरोक्त कमियों/अनियमितताओं की अनुपालना हेतु भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली को आवश्यक निर्देश जारी करें।

3.5.2 निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 31 मार्च को निजी निक्षेप खाते में शेष रही राशि का सहमति प्रमाण पत्र प्रत्येक निजी निक्षेप खाता के प्रशासक (खाताधारक) से प्राप्त करना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 15 कोषाधिकारियों द्वारा लेखा शीर्ष 8443-00-106-00 के अन्तर्गत 99 निजी निक्षेप खाता धारकों से शेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए जिनका विवरण [परिशिष्ट संख्या -18](#) में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि निजी निक्षेप खातों के 31 मार्च को प्राप्त अंतिम शेष के सहमति प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की कार्यवाही के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.5.3 कोषालय द्वारा संधारित लेजर एवं निजी निक्षेप खाता धारक संस्था की पासबुक के शेषों के उत्पन्न धनात्मक व ऋणात्मक अन्तरों के निराकरण का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों के शेषों के मिलान के लिए खाता धारकों से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये। अंतर की स्थिति में यथा शीघ्र अंक मिलान कर अन्तर का निराकरण किया जाना चाहिये।

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय के निजी निक्षेप खातों व खाता धारक संस्था की पासबुक में दिनांक 31.03.2022 को प्राप्त शेष के आंकड़ों के मध्य धनात्मक (+) ₹ 4.42 करोड़ एवं ऋणात्मक (-) ₹ 2.58 करोड़ के अंतर प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालय वार व खातावार विवरण परिशिष्ट संख्या -19 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कोषालयों के निजी निक्षेप खातों एवं निजी निक्षेप खाता धारक संस्था की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हुए अंतरों का अंकमिलान कर अन्तर के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देशित करें।

3.5.4 निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद किये जाने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 98 के अनुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषाधिकारी द्वारा संधारित सभी निजी निक्षेप खातों की समीक्षा की जानी चाहिये तथा जिन खातों में गत पांच वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है के संबंध में खाता धारकों से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए वित्त (मार्गोपाय अनुभाग) विभाग के पत्रांक प.88/विमा/88/पार्ट/30.07.2002 के अनुसार बंद करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

इस कार्यालय द्वारा संधारित वृहद पुस्तिकाओं के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2023 को पांच वित्तीय वर्ष (वर्ष 2018-19 से 2022-23) पूर्ण हो जाने के उपरांत 16 कोषाधिकारियों के द्वारा 22 अप्रचलित/ निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों (अवशेष राशि ₹ 25,99,00,47.10) को नियमानुसार बंद करने की कार्यवाही नहीं की गई, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -20 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर अप्रचलित / निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को नियमानुसार बंद करने के लिए कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.5.5.1 नेशनल पेंशन स्कीम (न्यू पेंशन स्कीम) के लिये संधारित निजी निक्षेप खाते में जमा राशि को ट्रस्टी बैंक में जमा करवाकर रिकार्ड कीपिंग एजेंसी नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को डेटा प्रेषित करने का अभाव ₹ 7.58 करोड़

राजस्थान सरकार, राज्य बीमा एवं प्रावदायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी नवीन पेंशन अंशदायी योजना (NPS) /भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2004 से लागू की गई नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की कार्य प्रणाली (दिशानिर्देशिका) में दर्शाई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा कोषालय में संधारित निजी निक्षेप खाते में जमा राशि का विवरण नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को प्रस्तुत करते हुए राजकीय कार्मिकों के मासिक वेतन से प्राप्त अंशदान की राशि को प्रतिमाह ट्रस्टी बैंक के खाते में जमा कराया जाना चाहिये।

राजकीय कार्मिकों के मासिक वेतन से 05 कोषालयों के द्वारा नवीन पेंशन योजना के तहत प्राप्त की गई अंशदान की राशि ₹ 7,57,931.50 को निजी निक्षेप खाता से आहरण कर ट्रस्टी बैंक के खाते में जमा कराने व उक्त राशि का विवरण नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को प्रस्तुत करने की कार्यवाही नहीं की गई थी। जिसका कोषालयवार एवं खातावार विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा शीर्ष का विवरण | निजी निक्षेप खाता की संख्या | शेष राशि की दिनांक | निजी निक्षेप खाता में जमा राशि ₹ (पूर्णांक रूपये में) |
|---------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 1 | अजमेर | 8043-00-106-03-01 | 479 | 31.03.2022 | 556769.50 |
| 2 | जोधपुर (ग्रामीण) | 8443-00-106-00-00 | 479 | 31.09.2022 | 7860 |
| 3 | बाड़मेर | 8443-00-106-00-00 | 479 | | 75744 |
| 4 | श्रीगंगानगर | 8443-00-106-00-00 | 479 | 16.12.2022 | 2939 |
| 5 | टोंक | 8443-00-106-00-00 | 479 | 31.01.2023 | 114619 |
| योग ₹ | | | | | 757931.50 |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर नवीन पेंशन अंशदायी योजना के निजी निक्षेप खाते में जमा की गई राशि को ट्रस्टी बैंक के अधिकृत खाते में जमा कराने/ उपलब्ध शेषों का नियमानुसार निस्तारण कराने एवं ट्रस्टी बैंक के खाते में जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को प्रेषित करने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करें।

3.5.5.2 ट्रस्टी बैंक को एन.पी.एस.अंशदान का दोहरा हस्तान्तरण करना राशि ₹ 3.21 लाख

वित्त विभाग (बीमा) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.6(4)वित्त/बीमा/2020 दिनांक 29.11.2021 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार राज्य कर्मचारियों के एनपीएस निजी अंशदान राशि को सीआरए सिस्टम में स्थानान्तरण के प्रयोजन से एनपीएस पीडी खाता संख्या 479 बजट मद 8443-00-106-00-00 में संवेतन भुगतान तिथि पर ऑटो बिल जनरेट कर स्थानान्तरण की जायेगी एवं बिन्दु संख्या 7 के अनुसार राज्य के एनपीएस अंशदाताओं एवं अखिल भारतीय सेवा के अंशदाताओं के निजी एवं नियोक्ता अंशदान राशि को निजी निक्षेप खाता से सीलिंग के अनुसार ऑटो बिल्स जनरेट कर ट्रस्टी बैंक के खाते में संवेतन बिल आहरित करने की दिनांक से अधिकतम एक दिवस में संबंधित वर्ग के अंशदाताओं के डेटा के साथ सिस्टम से हस्तांतरित की जायेगी।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय करौली एवं चुरू के द्वारा निजी निक्षेप खाते से माह मार्च 2022 के दौरान ट्रस्टी बैंक को एन.पी.एस. अंशदान पेटे राशि ₹ 3,20,914/- का दोहरा हस्तान्तरण कर दिया गया, जिसका कोषालयवार विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | पीडी खाता संख्या | दिनांक | हस्तांतरण का विवरण | राशि ₹ | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|---------------|------------------|------------|--------------------|--------|--------------------|
| 1 | करौली | 479 | 15.03.2022 | प्रथम हस्तांतरण | 177991 | 177991 |
| | | | 24.03.2022 | द्वितीय हस्तांतरण | 177991 | |
| 2 | चुरू | 479 | 15.03.2022 | प्रथम हस्तांतरण | 142923 | 142923 |
| | | | 24.03.2022 | प्रथम हस्तांतरण | 142923 | |
| योग | | | | | | 320914 |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर अनियमित दोहरा हस्तान्तरण की पुर्नावृत्ति न होने एवं किये जा चुके दोहरे हस्तांतरण की राशि को आगामी माह के अंशदान पेटे समायोजन कराने के लिए एन.आई.सी. के सक्षम प्राधिकारी व संबंधित कोषाधिकारियों को अपेक्षित निर्देश जारी करें।

3.5.5.3 निजी निक्षेप खाता संख्या 471 से राशियों का आहरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम को संबंधित कर्मिकों के खातों में जमा करने हेतु प्रेषित करने का अभाव ₹ 70.54 करोड़

राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से जीवन बीमा प्रिमियम की कटौती जमा करने हेतु राज्य के प्रत्येक कोषालय द्वारा निजी निक्षेप खाता संख्या 471 खोला गया है। अन्य खातों से कर्मिकों के मासिक वेतन से प्राप्त होने वाली प्रिमियम की राशि को उक्त खाता में जमा करने के बाद प्रतिमाह राशि एकमुश्त आहरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय को प्रेषित करने की कार्रवाई की जाती है और भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा कोषालय से प्राप्त राशि को पॉलिसी धारक कर्मिकवार खोले गये खातों में जमा कर ली जाती है।

निजी निक्षेप खाता संख्या 471 की आय-व्यय समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य के 40 कोषालयों के द्वारा पॉलिसी धारक कर्मिकों के मासिक वेतन से प्रिमियम के रूप में कटौती कर निजी निक्षेप खाता संख्या 471 में माह मार्च 2023 तक जमा की गई राशि ₹ 70,54,11,444/- को एकमुश्त आहरित कर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मिकवार खोले गये खातों में प्रिमियम राशि निर्धारित समय में जमा नहीं की जा सकी। खाता संख्या 471 का कोषालयवार विवरण परिशिष्ट संख्या-21 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर पॉलिसी धारक कर्मिकों के प्रिमियम की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित कराने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करें।

3.6 मुद्रांक

3.6.1 अनुपयोगी / कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 70.17 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 246 के अनुसार कम पाये गये / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण हेतु रिपोर्ट तैयार करवाकर संबंधित कोषाधिकारी

द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर से उनके निस्तारण की कार्रवाई कराई जानी चाहिये ।

मुद्रांक संबंधी अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान 07 कोषालयो व 08 उप कोषालयों में राशि ₹ 7016922/- के कम प्राप्त / कटे-फटे / मिसप्रिंट / अप्रचलित / अनुपयोगी मुद्रांक पाये गये थे, जिनकी संबंधित कोषाधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट तैयार करवाकर महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर से निस्तारण की कार्रवाई माह जून, 2023 तक नहीं कराई गई। निस्तारण योग्य मुद्रांकों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | कटे-फटे/ अनुपयोगी/ मिसप्रिंट/ कम प्राप्त मुद्रांकों का मूल्य राशि ₹ | मुद्रांक की स्थिति जिसके कारण विक्रय नहीं किया जा सकता |
|---------|-----------|---------------------------|---|--|
| 1 | ब्यावर | ब्यावर | 40000 | त्रुटिपूर्ण |
| 2 | अजमेर | केकड़ी | 10500 | चिपका हुए, कटे / फटे एवं मिसप्रिंट |
| 3 | दौसा | दौसा | 1000 | कटे / फटे |
| 4 | बीकानेर | बीकानेर | 5500 | अमुद्रित/अर्द्ध मुद्रित मुद्रांक |
| 5 | भीलवाडा | भीलवाडा | 175000 | कटे / फटे एवं मिसप्रिंट व दोहरावपूर्ण क्रमांक |
| 6 | नागौर | नावां | 2650 | कटे / फटे एवं मिसप्रिंट |
| | | कुचामन सिटी | 1000 | कटे / फटे एवं मिसप्रिंट |
| | | लाइनू | 100 | कटे / फटे एवं मिसप्रिंट |
| | | जायल | 50 | कटे / फटे एवं मिसप्रिंट |
| | | मेड़ता सिटी | 50 | कटे / फटे एवं मिसप्रिंट |
| | | मकराना | 10000 | कटे / फटे एवं मिसप्रिंट |
| | | नागौर | 78432 | अप्रचलित /अनुपयोगी/ कटे / फटे एवं मिसप्रिंट |
| 7 | झालावाड़ | पचपहाड़ | 6000 | मिसप्रिंट |
| 8 | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ | 1074000 | मिसप्रिंट |
| 9 | पाली | पाली | 5612640 | अप्रचलित /अनुपयोगी |
| योग | | | 7016922 | |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि मुद्रांक भण्डार में कम प्राप्त / कटे-फटे / मिसप्रिंट / अप्रचलित / अनुपयोगी रखे गये मुद्रांकों के नियमानुसार सक्षम स्तर से निस्तारण कराने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.7 दीर्घकालीन ऋण / अग्रिम

3.7.1 भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 44.95 करोड़

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 से पूर्व के गृह निर्माण हेतु स्वीकृत ऋण के लिये राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में एस.बी.आई.) के मध्य

दिनांक 17.03.2004 को हुए करार एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्रांक दिनांक 24.04.2004 के अनुसार कटौतियां जमा कराने हेतु मद 8443-106 में निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति जारी की गई। कोषाधिकारियों के स्तर पर उक्त मद में खाता संख्या - 473 खोला जाने तथा प्राप्त कटौतियों की राशि को इस खाते में जमा कर डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) शाखा शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। कोषाधिकारियों से प्राप्त राशि के विवरण से बैंक शाखा शासन सचिवालय के द्वारा ऋणी कार्मिक के व्यक्तिगत खाते में खतौनी की जानी थी।

एस.बी.बी.जे. शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा एक सीमा के बाद ऋणी कार्मिकों के भवन ऋण के लेखा-जोखा को दर्शाने वाले निर्धारित 20 कॉलम प्रपत्र वापिस कर दिये एवं जिन कर्मचारियों के 20 कॉलम प्रपत्र वापिस किये गये उनके कोर बैंकिंग सोल्यूसन (CBS) के अन्तर्गत खाते नहीं खोले गये तथा 38 कोषालयों के अन्तर्गत उन नॉन कोर बैंकिंग सोल्यूसन खाताधारकों की कटौती की राशि ₹ 44,95,01,464/- भवन ऋण / अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 के स्थान पर उक्त निजी निक्षेप खाता संख्या 473 में जमा किये जाने के कारण राजकोष को पुनर्भरण नहीं किया गया। उक्त राशि का विवरण परिशिष्ट संख्या -22 में दर्शाया गया है।

प्रकरण में बैंक के साथ बैठक आयोजित कर राज्य सरकार के सक्षम स्तर वित्त (मार्गोपाय) विभाग से इस संबंध में प्रभावी व सकारात्मक कदम नहीं उठाये जाने के कारण पी.डी. खाता के अन्तर्गत जमा राशि में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से समस्त कोषालयों के स्तर पर निजी निक्षेप खाता संख्या- 473 में जमा राशि को भवन ऋण / अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 में नियमानुसार हस्तांतरण की कार्रवाई कर राजकोष का पुनर्भरण करवाएं।

3.7.2 दिनांक 31.03.2004 के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक एवं एस.बी.बी.जे. बैंक (वर्तमान एस.बी.आई.) से राज्य सरकार के कार्मिकों को स्वीकृत कराये गये भवन ऋणों की मासिक कटौतियों से प्राप्त राशि बैंक खातों में जमा कराने का अभाव ₹ 3.52 करोड़

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक से भवन निर्माण ऋण स्वीकृत कराने एवं ऋणी कार्मिकों के मासिक वेतन से बैंक द्वारा निर्धारित किशतों की कटौती कर कोषालय स्तर पर लेखा शीर्ष 8443-00-106-00-00 में खोले गये निजी निक्षेप खाता संख्या 475 एवं एस.बी.बी.जे. बैंक से स्वीकृत कराये गये भवन ऋणों को खाता संख्या 474 में जमा करने तथा इन दोनों निजी निक्षेप खातों से प्रतिमाह राशियों का आहरण कर सम्बद्ध बैंक में ऋणी कार्मिकवार खोले गये बैंक खातों में जमा कराने की व्यवस्था की गई थी।

निजी निक्षेप खाता संख्या 475 व 474 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 40 कोषालयों के द्वारा राशि ₹ 16727120.00 का खाता संख्या 475 से आहरण कर एच.डी.एफ.सी. बैंक को एवं 40 कोषालयों के द्वारा राशि ₹ 18513385.78 का खाता संख्या 474 से आहरण कर एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) बैंक को (दोनों बैंकों को देय कुल राशि ₹ 3,52,40,505.78) उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप इन बैंकों के अन्तर्गत ऋणी कार्मिकवार

खोले गये ऋण खातों में जमा नहीं कराया गया, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या -23 एवं 24](#) में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि उपर्युक्त निजी निक्षेप खातों में जमा राशियों को आहरित कर ऋणी कार्मिकों के संबंधित बैंक खातों में जमा कराने हेतु कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.7.3 दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहद् पुस्तिका के संधारण का अभाव/अपूर्ण संधारण

राजकीय अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रदान किये गये दीर्घकालीन ऋण (वाहन व भवन ऋण) से संबंधित लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 5.7 के अनुसार वृहद् पुस्तिका का संधारण किया जाना चाहिये तथा बिंदु 5.12 के अनुसार ब्रॉडशीट में मासिक योग लगाकर उसका मिलान कोषालय लेखा से करना चाहिये।

दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कोष कार्यालय अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर (ग्रामीण), प्रतापगढ़, अलवर, झुन्झुनू, करौली एवं जोधपुर (ग्रामीण) के द्वारा राजकीय कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के लेखों के रख-रखाव के लिए वृहद् पुस्तिका का परिपूर्ण संधारण नहीं किया गया था एवं न ही ब्रॉडशीटों का मासिक योग लगाकर कोषालय के लेखों से मिलान किया गया था।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सभी कोषाधिकारियों को कोषालयों के स्तर पर दीर्घकालीन ऋणों की वृहद् पुस्तिकाओं का संधारण पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित करें।

3.7.4 अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण के अभाव में बकाया रहना

दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित विभिन्न ऋणी कार्मिक जिनकी किश्तों का चुकारा हो गया एवं उनके द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित कोषालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिनका कोषालयवार विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | बकाया की तिथि | बकाया आवेदन पत्रों की संख्या | ऋण का प्रकार |
|---------|------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| 1 | अजमेर | 31.03.2022 | 09 | भवन ऋण |
| | | | 09 | वाहन ऋण |
| 2 | चित्तौड़गढ़ | 31.07.2021 | 69 | भवन ऋण |
| | | | 24 | वाहन ऋण |
| 3 | जयपुर (सचिवालय) | 31.07.2022 | 09 | भवन ऋण |
| | | | 19 | वाहन ऋण |
| 4 | जयपुर (ग्रामीण) | 31.07.2022 | 28 | भवन ऋण |
| | | | 26 | वाहन ऋण |
| 5 | उदयपुर (ग्रामीण) | 22.09.2022 | 12 | भवन ऋण |
| 6 | बांसवाड़ा | 31.08.2022 | 16 | भवन ऋण |
| | | | 1 | वाहन ऋण |
| 7 | प्रतापगढ़ | 30.09.2022 | 17 | भवन ऋण |
| | | | 07 | वाहन ऋण |
| 8 | जोधपुर | 31.10.2022 | 02 | भवन ऋण |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | बकाया की तिथि | बकाया आवेदन पत्रों की संख्या | ऋण का प्रकार |
|---------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|
| | (ग्रामीण) | | 04 | वाहन ऋण |
| 9 | करौली | 31.10.2022 | 16 | भवन ऋण |
| | | | 04 | वाहन ऋण |
| 10 | झुन्झुन् | 31.12.2022 | 44 | भवन ऋण |
| | | | 33 | वाहन ऋण |
| 11 | हनुमानगढ़ | 31.12.2022 | 1 | भवन ऋण |
| | | | 2 | वाहन ऋण |
| 12 | अलवर | 31.12.2022 | 4 | भवन ऋण |
| | | | 4 | वाहन ऋण |

उपरोक्त कोषालयों के द्वारा दीर्घकालीन ऋणों के लिये जारी लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 के अनुसार अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निस्तारण की कार्रवाई नहीं की गई।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर इन दीर्घकालीन ऋणों की लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 की अनुपालना हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.8 सुरक्षित कक्ष

3.8.1 बहुमूल्य वस्तुओं की पंजिका में दर्ज सामग्री के भौतिक सत्यापन का अभाव ।

राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 118 के अनुसार कोषागार में बहुमूल्य सामग्री पर्याप्त सुरक्षा में अभिरक्षित की जायेगी जिसकी चाबियाँ कोषाधिकारी या उसके द्वारा लिखित आदेश से सौंपे गये कार्यभार के दायित्वाधीन अधिकारी के पास रहेगी, जो कि उक्त सामग्री के सुरक्षा संबंधी समस्त नियम एवं तत्समय प्रभावी आदेशों की पालना के प्रति उत्तरदायी होगा । सभी बहुमूल्य सामग्री को सूचीबद्ध कर निर्धारित प्रारूप टी.वाई.-11 में पंजिका का संधारण किया जायेगा । नियम 120 के अनुसार बहुमूल्य सामग्री जमा कराने वाले कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्रति वर्ष अप्रैल माह में उक्त सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन कर उस पर नई सील लगाई जायेगी । यदि किसी अधिकारी द्वारा लगातार पांच वर्षों तक उसके द्वारा जमा कराये गई बहुमूल्य सामग्री / सील्ड पैकेट्स का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है तो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उक्त सामग्री मूल विभाग को लौटाई जा सकेगी।

बहुमूल्य वस्तुओं की पंजिका के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कोषालयों / उप कोषालयों के द्वारा सुरक्षित कक्ष में जमा कीमती सामग्री / सील्ड पैकेट्स का संबंधित जमाकर्ता अधिकारी से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाकर नवीन सील लगवाने का कार्य नहीं किया गया था:-

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | कोषालय/उप कोषालय का नाम |
|---------|---------------|--|
| 1 | अलवर | अलवर |
| 2 | ब्यावर | ब्यावर |
| 3 | भीलवाड़ा | कोषालय भीलवाड़ा एव उप कोषालय रायपुर, जहाजपुर |
| 4 | नागौर | नावां सिटी, डीडवाना एवं मेड़तासिटी |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 5 | उदयपुर (शहर) | उदयपुर (शहर) |
|---|--------------|--------------|

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सुरक्षित कक्ष में जमा बहुमूल्य सामग्री/ सील्ड पैकेट्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने एवं पांच वित्तीय वर्ष से अधिक समय से भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले विभागों की जमा सामग्री वापिस लौटाने की कार्यवाही पूर्ण करवाकर पालना सुनिश्चित करवाएं।

3.9 अन्य अनियमिततायें

3.9.1 ग्राम पंचायत स्यालावास कलां के बैंक खाता में आई.एफ.एस.सी. कोड सही अंकन नहीं होने के कारण गलत बैंक खाता में जमा कराई गई राशि की संबंधित खाता धारक से वसूली कर ग्राम पंचायत को लौटाने का अभाव ₹ 2.50 लाख

कार्यालय जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) के लिए कोषालय द्वारा लेखा शीर्ष 8448-00-109-03-00 के अन्तर्गत जमा खाता संख्या 3041 संधारित किया जा रहा है। जिसमें से बिल संख्या 32 दिनांक 27.05.2020 से निर्माण कार्य के लिये राशि ₹ 2,50,000/- का भुगतान ग्राम पंचायत स्यालावास कलां को किया जाना था, किंतु यह राशि यू.टी.आर. संख्या RBI 2011967862560 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक स्तर से समान खाता संख्या 11328632121 होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक श्रीरामपुर, अहमदनगर, महाराष्ट्र (SBIN 0000484) में खाता धारक सेवताबाई बंदु सनप के खाते में गलत जमा हो गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा द्वारा पे-मैनेजर पर यह बिल गलत आई.एफ.सी.कोड (SBIN 0031052) में बनाया गया था। जबकि ग्राम पंचायत का खाता आई.एफ.एस.सी. कोड (RMGB 0000383) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक बांदीकुई में है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर बैंक द्वारा ग्राम पंचायत स्यालावास कलां के खाते के स्थान पर गलत खाता सं. 11328632121 आईएफएससी कोड SBIN 0000484 में जमा राशि की पुनः वसूली कर सही खाते में जमा करवाकर प्रगति से महालेखाकार कार्यालय को अवगत करवाएं।

3.9.2 सुरक्षित कक्ष के सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 116 में सुरक्षित कक्ष की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है कि बिना राज्य सरकार की विशेष अनुमति के किसी भी स्थान का सुरक्षित कक्ष के रूप में उपयोग नहीं किया जावेगा जब तक कि वह स्थान लोक निर्माण विभाग में अधिशाषी अभियंता से उपयोग के लिये उपर्युक्त एवं सुरक्षित होने बाबत प्रमाणित नहीं कर दिया जावे। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भी सुरक्षित कक्ष की सुरक्षा का प्रमाण पत्र वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिये।

उप कोष कार्यालय लालसोट की ओर से कोषाधिकारी दौसा को संबोधित पत्र क्रमांक 230-231 दिनांक 18.11.2020 के अनुसार दीपावली अवकाश के दिनों में अज्ञात चोरों द्वारा उप कोष कार्यालय का ताला तोड़ कर पानी की मोटर चोरी कर ले गये थे एवं वाटर कूलर व आर.ओ. को भी क्षतिग्रस्त कर पुरानी कुर्सियों को भी ले गये थे। जिसको मध्यनजर रखते हुए उप कोष कार्यालय के सुरक्षित कक्ष में रखे मुद्राओं की सुरक्षा हेतु कार्यालय में एक रात्रिकालीन सुरक्षा गार्ड

लगाये जाने हेतु मांग की गई थी। सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सुरक्षा गार्ड की लगाये जाने की स्वीकृति जारी नहीं की गई।

इसी प्रकार उपकोषालय किशनगढ़बास (अलवर) के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक सुरक्षित कक्ष में 43 लाख से 73 लाख रुपये मूल्य तक के स्टाम्प्स पेपर जमा थे। लेकिन :-

1. सुरक्षित कक्ष उपकोष कार्यालय में स्थित नहीं है तथा उसकी सुरक्षा के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भी सुरक्षित कक्ष की सुरक्षा का प्रमाण पत्र वार्षिक आधार पर प्राप्त नहीं किया गया है।
2. सुरक्षित कक्ष धरातल से लगभग 3 फीट नीचे है जिसमें वर्षा के पानी की रोक का पुख्ता इंतजाम नहीं किया हुआ है तथा धरातल में सीलन है और टीन शेडो के बीच में रिक्त स्थान है जहां से वर्षा का पानी सुदृढ़ कक्ष में जाने की संभावना है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपरोक्त दोनों उप कोषालयों के सुरक्षित कक्षों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करवाकर महालेखाकार कार्यालय को प्रगति से अवगत करवाएं।

3.9.3 रोकड़िये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 63 एवं सामान्य एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 313 के अनुसार कोषालयों एवं उप कोषालयों में कार्यरत भण्डारपाल / रोकड़िये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।

कोषालयों/ उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपकोष मुण्डवा (नागौर) श्रीङ्गरगढ़ एवं कोलायत (बीकानेर) , रायपुर, बनेडा एवं माण्डलगढ़, (भीलवाडा), सांभर (जयपुर ग्रामीण), कोष उदयपुर (ग्रामीण) उप कोषालय खानपुर (झालावाड़), राजगढ़ (चूरू), भादरा एवं नोहर (हनुमानगढ़) के द्वारा रोकड़िये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कोष / उप कोष में भण्डार पंजिका, मुद्रांक पंजिका एवं कैशबुक संधारणकर्ता से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

भाग-4

4.1 सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा से संबंधित कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएँ/ कमियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निरीक्षण किये गये लगभग सभी कोषालयों (ब्यावर, अजमेर, दौसा, बीकानेर, भीलवाड़ा, सीकर, चित्तौड़गढ़, जयपुर (पेंशन), जयपुर (सचिवालय), जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, भरतपुर, झुंजरपुर, जोधपुर (ग्रामीण), बाड़मेर, धौलपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, उदयपुर (ग्रामीण), जालौर, झालावाड़, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली एवं इनके अधीनस्थ चयनित उप कोषालयों के अन्तर्गत सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा संबंधी जांच में पाई गई मुख्य अनियमितताओं का विवरण निम्नलिखित है:-

- 4.1.1 सूचना सुरक्षा नियमावली उपलब्ध नहीं होना पाई गई।
- 4.1.2 उपयोगकर्ता / प्रचालकों के लिए बायोमेट्रिक लॉगिन का प्रावधान न होना। उपयोगकर्ता/प्रचालकों को व्यक्तिगत पासवर्ड से लॉगिन करता है। बायोमेट्रिक लॉगिन से एप्लीकेशन सुरक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- 4.1.3 सिस्टम द्वारा जनरेट की गई अधिकतर रिपोर्ट / सूचनाओं आदि पर डिजिटल हस्ताक्षर का अभाव।
- 4.1.4 कार्यस्थल पर उपलब्ध सभी हार्डवेयर एवं सहायक उपकरणों को विशेष पहचान कोड / नम्बर अंकित नहीं किया गया जिसके कारण इनवेण्ट्री पर समुचित नियंत्रण का अभाव पाया गया।
- 4.1.5 कार्यस्थल पर उपलब्ध कम्प्यूटर / सर्वर आदि में वायरसरोधी (Anti Virus) नवीनतम वर्जन स्थापित नहीं करना।
- 4.1.6 एप्लीकेशन द्वारा अंतिम लॉगिन (सफल/असफल एवं समय) कोषालय स्तर पर नहीं दर्शाया जाना।
- 4.1.7 कोषालय स्तर पर ऑडिट ट्रेल एवं लॉग उपलब्ध नहीं होना।
- 4.1.8 पे-मैनेजर पर लॉगिन करते समय कैप्चा का केस सेंसेटिव नहीं होना और गलत पासवर्ड के लिये अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होना।
- 4.1.9 सिस्टम जनरेट की गई कुछ रिपोर्ट्स / सूचनाओं में से कई रिपोर्ट्स / सूचनाओं पर समय व दिनांक दर्ज करने का अभाव पाया जाना।
- 4.1.10 कोषागार कार्मिकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले डेस्कटॉप, लेपटॉप में यूएसबी पोर्ट को निष्क्रिय की प्रणाली नहीं अपनाई गई एवं बाहरी पैनड्राइव, डिस्क के उपयोग को रोकने का अभाव पाया गया।
- 4.1.11 प्रयुक्त किये जा रहे सॉफ्टवेयर बिना लाइसेंस के बताये गये। सॉफ्टवेयर बिना लाइसेंस के उपयोग करना वैधानिक अनियमितता है।
- 4.1.12 कोषालयों एवं उपकोषालयों में प्रत्येक उपयोगकर्ता/प्रचालकों के लिए यूनिक आई.डी./पासवर्ड का अभाव होना जिससे केन्द्रीकृत कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था एवं

उपयोगकर्ता द्वारा की गई गतिविधियां (डोमेन एवं आयोजन) के नियंत्रण का अभाव जिससे गतिविधियों की सूचना के उपलब्धता का अभाव।

- 4.1.13 सूचना सुरक्षा प्रबंध मानकों के अनुसार एप्लीकेशन के लॉगऑन करने पर अन्तिम लॉगिन की सूचना का अलर्ट का सभी मॉड्यूलस में अभाव पाया गया जिससे यूजर को अनाधिकृत एक्सस की जानकारी नहीं होती ।
- 4.1.14 कोषालय से अन्य कार्यालयों में स्थान्तरित कर्मचारियों व अधिकारियों के यूजर आई.डी. को निष्क्रिय करने की आदेश पत्रावली के संधारण का अभाव पाया गया।
- 4.1.15 पे मैनेजर पर लॉगिन करते समय गलत पासवर्ड के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होना एवं अधिकतम असफल लॉगिन पर व्यक्तिगत आई.डी./पासवर्ड का लॉक नहीं होना ।
- 4.1.16 बिना प्राधिकृति के डेटा के किसी भी प्रारूप का अन्य बाहरी मीडिया में कॉपी नहीं किए जाने की नियंत्रण प्रक्रिया का अभाव ।
- 4.1.17 आईएफएमएस के अन्तर्गत विभिन्न मॉड्यूलस जैसे:- राजकोष, पे मैनेजर, स्टाम्प आदि में (last login status (successful/unsuccessful) करने का अभाव पाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि वे एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा से संबंधित उपर्युक्त कमियों की अनुपालना हेतु सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित करें ।

4.2 ई एनवायरमेंट में कोषालयों के निरीक्षण से संबंधित पायलट स्टडी के दौरान पाई गई अनियमिततायें / कमियां

सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा नियमावली की दिशानिर्देशिका के अनुरूप ई-एनवायरमेंट में कोषालयों के निरीक्षण हेतु इस कार्यालय द्वारा कराई गई पायलट स्टडी के दौरान पाई गई मुख्य अनियमिततायें/ कमियों का विवरण निम्नलिखित है:-

- 4.2.1 दिशानिर्देशिका के अनुसार आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत बजट के आवंटन व नियंत्रण हेतु ऑनलाईन व्यवस्था होनी चाहिये, किंतु अभी तक मेन्युअल व्यवस्था ही उपलब्ध है। मेन्युअल व्यवस्था के अन्तर्गत भी बजट आवंटन को अधिकृत किया जाना आवश्यक है ।
- 4.2.2 आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत मॉड्यूल में किसी भी बिल को स्वीकृति से अधिक आहरित करने की अनुमति न हो या वर्गीकरण मास्टर डेटा के साथ फॉर्म संख्या के लिंक का उल्लंघन न हो, इसके लिये सिस्टम में नियंत्रित करने के संबंध में चेक लागू हो ।
- 4.2.3 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 219 (iii) (ए) में वर्णित परिशिष्ट "ए" में दर्शाये गये विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियम 220 के अनुसार अग्रिम आहरित किये जाने वाले आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी. बिल) एवं उनके समायोजनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल (डी.सी. बिल) की आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत लिंकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है।
- 4.2.4 आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत सिस्टम में चेक लागू किया जाना चाहिए ताकि सहायतार्थ अनुदान वाउचर किसी अन्य वाउचर फॉर्मेट में आहरित न किया जा

सके। इसके अलावा, उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर अप्रयुक्त अनुदानों, यदि कोई हो, के रिफंड के लेखांकन के लिए नियंत्रण भी अंतर्निहित होना चाहिए।

- 4.2.5 आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाता में उपलब्ध बजट राशि से अधिक राशि का आहरण की रोकथाम के लिये एन.आई.सी. द्वारा लगाये गये (विकसित किये गये) चैक की विफलता के परिणाम स्वरूप खाते में जमा राशि से अधिक राशि के आहरण अनुमत किये जाने के प्रमाण कोषालयों में दृष्टिगोचर हुए हैं ।
- 4.2.6 आई.एफ.एम.एस. प्रणाली में जमा, अदावी जमा व्यपगत जमा व रिफण्ड आदि का पूर्ण विवरण आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिये ।
- 4.2.7 आई.एफ.एम.एस. प्रणाली में पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के डेटाबेस एवं कोषालयों के डेटाबेस में एकरूपता होनी चाहिये । सेवारत कर्मचारियों/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु के दिन को वेतन पेंशन के लिये गणना योग्य माना जाना चाहिये एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के दिन को ड्यूटी नहीं माना जाना चाहिये ।
- 4.2.8 आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत विभिन्न मास्टर डॉटा के संदर्भ में उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रत्येक प्रकरण में अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा अनुमोदित प्रकरणों में मेकर एवं चेकर द्वारा कार्य को पूर्ण करने का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये । अधतन की आवृत्ति को महालेखाकार कार्यालय में संसूचित करने की प्रक्रिया को आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत जोड़ा जाना चाहिये ।
- 4.2.9 आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत मास्टर क्रिएशन, अपडेशन, मेटेनेंस और अप्रूवल की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। अनाधिकृत बिलों के आहरण की जांच करने के लिए वर्गीकरण मास्टर के साथ प्रपत्र संख्या को लिंक करना और डुप्लीकेट बिलों के आहरण का पता लगाने के लिए वर्गीकरण मास्टर और डीडीओ मास्टर के बीच उपयुक्त लिंक होना चाहिये ।
- 4.2.10 आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत एसी-डीसी बिल, लैप्स डिपॉजिट, एलटीए आदि से जुड़े नियम लागू नहीं पाए गए हैं। नियमों और नियंत्रणों के प्रभावी रूप से उल्लंघन की आवृत्ति की घटनाओं को बार-बार देखा जा रहा है। जांच और नियंत्रण की प्रणाली को मजबूत करने और उल्लंघनों से सख्ती से निपटाया जाना चाहिये ।
- 4.2.11 आई.एफ.एम.एस. में HRMS मॉड्यूल के अभाव में, कर्मचारी संबंधी संपूर्ण विवरण ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी संबंधी मामलों के निपटान व योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है।
- 4.2.12 आई.एफ.एम.एस. में अंकमिलान मॉड्यूल के पूर्ण संचालन के अभाव में आई.एम. सर्वर पर अंकमिलान संबंधी नियंत्रण प्रणाली लागू नहीं हो पा रही है ।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि वे एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पायलट स्टडी के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने हेतु एन.आई.सी. के सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित करें ।

4.3 कोषालयों के कार्यों के निष्पादन हेतु विकसित विभिन्न मोड्यूल में जनरेट होने वाली रिपोर्ट्स में पाई गई कमियां

4.3.1 मुद्रांक की ऑनलाईन स्टॉक इन हैण्ड रिपोर्ट एवं ऑफलाईन संधारित रजिस्ट्रों के मध्य मुद्रांकों की मात्रा में अन्तर प्रकट होना

आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत विकसित किये मुद्रांक मोड्यूल में सभी प्रकार के मुद्रांकों का ऑनलाईन लेखा संधारित किया जाता है तथा वर्तमान में राज्य के कोषालयों / उप कोषालयों के अन्तर्गत उक्त मुद्रांक लेखों का संधारण ऑफलाईन भी यथावत रूप से किया जाता है।

मुद्रांक मॉड्यूल एवं ऑफलाईन संधारित पंजिकाओं (मुद्रांक कैशबुकों) की समीक्षा के दौरान पाया गया कि ऑनलाईन स्टॉक इन हैण्ड रिपोर्ट एवं ऑफलाईन पंजिकाओं के अन्तर्गत कोषालय नागौर व उप कोषालय नावां, डीडवाना एवं परबतसर, कोषालय डूंगरपुर एवं उपकोषालय आसपुर, उपकोषालय बागीदौरा (बांसवाड़ा), बारां के द्वारा मुद्रांकों की मात्रा के शेष एक समान नहीं दर्शाये जा रहे थे, जिनका अंकमिलान कर अंतरों का दुरस्तीकरण करने की कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः निदेशक एवं पदेन शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित मुद्रांक मॉड्यूल की स्टॉक इन हैण्ड रिपोर्ट में दर्शाये गये मुद्रांकों के ऑनलाईन शेषों को ऑफलाईन संधारित पंजिकाओं के शेषों से प्रत्येक संवर्ग के मुद्रांकवार मिलान करवाकर पालना सुनिश्चित कराई जावे।

4.3.2 मुद्रांक मोड्यूल में बैंक नहीं होने के कारण मुद्रांक विक्रेताओं को निर्धारित दर से अधिक बढ़ा दिया जाना राशि ₹ 0.05 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली के नियम 238 के अनुसार मुद्रांक विक्रेताओं को मुद्रांक की मूल्य राशि रु. 1 से 400 तक 2 प्रतिशत एवं 401 से अधिक पर 1 प्रतिशत की दर से बढ़ा दिये जाने का प्रावधान है ।

मुद्रांक विक्रय संबंधी अभिलेखों / चालानों की जांच के दौरान पाया गया कि मुद्रांक मोड्यूल में सुदृढ़ बैंक नहीं लगाने के कारण विभिन्न कोषालयों / उप कोषालयों के द्वारा मुद्रांक विक्रेताओं को निर्धारित दर से अधिक बढ़ा दिये जाने के कारण राजकोष में राशि कम प्राप्त की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | कोषालय | उप कोषालय का नाम | मुद्रांक विक्रेताओं को निर्धारित दर से अधिक बढ़ा दिया जाना राशि ₹ |
|---------|-----------|------------------|---|
| 1 | बांसवाड़ा | बागीदौरा | 450 |
| | | बांसवाड़ा | 300 |
| 2 | करौली | हिन्डीन | 885 |
| 3 | अलवर | कठूमर | 2888 |
| | | मुण्डावर | 510 |
| योग | | | 5033 |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर मुद्रांक विक्रेताओं को बट्टे के रूप में किये गये अधिक भुगतान की वसूली करने के साथ-साथ मुद्रांक विक्रय के लिये ऑनलाईन संधारित अभिलेखों में निर्धारित बट्टे की राशि प्रभारित करने के लिये एन.आई.सी. से सुदृढ़ बैंक लगवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करवाएं।

4.3.3 आहरण संवितरण अधिकारियों की सूची को अद्यतन का अभाव

आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत पे-मैनेजर व राजकोष मोड्यूल में कोषालय / उप कोषालय के अधीनस्थ आने वाले आहरण संवितरण अधिकारियों की सूची उपलब्ध रहती है। जिससे राजकीय दायित्वों के भुगतान के समय संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षरों का सत्यापन किया जाता है।

कोषालयों / उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पे-मैनेजर व राजकोष मोड्यूल पर उपलब्ध आहरण-संवितरण अधिकारियों की सूचियों को अद्यतन नहीं करने के कारण एक ही आहरण-संवितरण अधिकारी को एक से अधिक बार दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप पे-मैनेजर व राजकोष के दोनों मोड्यूलों पर एक समान संख्या प्रदर्शित होने की बजाय भिन्न-भिन्न संख्या प्रदर्शित हो रही थी। आहरण संवितरण अधिकारियों की सूची में संबंधित अधिकारी के दर्शाये जाने वाले डी.डी.ओ. कोड, पदासीन व्यक्ति का नाम, मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर इत्यादि के कॉलमों में प्रविष्टियों के इन्द्राज की बजाय रिक्त प्रदर्शित हो रहे थे। निरीक्षण के दौरान निम्न कोषालयों / उप कोषालयों में उक्त अनियमितता पायी गयी :-

| क्र.सं. | कोषालय | आक्षेपित कोषालय / उप कोषालय का नाम |
|---------|------------------|--|
| 1 | अजमेर | कोषालय अजमेर |
| 2 | दौसा | कोषालय दौसा एवं उप कोषालय बसवा व लालसोट |
| 3 | बीकानेर | कोषालय बीकानेर एवं उपकोष नोखा, लूणकरणसर, खाजूवाला |
| 4 | चित्तौड़गढ़ | उपकोषालय रावतभाटा, निम्बाहेड़ा एवं कपासन |
| 5 | सीकर | कोषालय सीकर |
| 6 | जयपुर (ग्रामीण) | कोषालय जयपुर (ग्रामीण) एवं उप कोषालय सांभर व सांगानेर |
| 7 | उदयपुर (ग्रामीण) | कोषालय उदयपुर (ग्रामीण) एवं उपकोषालय ऋषभदेव |
| 8 | भरतपुर | कोषालय भरतपुर |
| 9 | प्रतापगढ़ | कोषालय प्रतापगढ़ |
| 10 | जोधपुर (ग्रामीण) | कोषालय जोधपुर (ग्रामीण) एवं उपकोषालय शेरगढ़, बिलाड़ा व भोपालगढ़ |
| 11 | बाड़मेर | कोषालय बाड़मेर, उपकोषालय बायतु एवं सेड़वा |
| 12 | करौली | उप कोषालय हिन्डीन एवं कोषालय करौली |
| 13 | श्री गंगानगर | उपकोषालय रायसिंहनगर, अनुपगढ़, श्री विजयनगर एवं कोषालय श्री गंगानगर |
| 14 | चूरू | उपकोषालय तारानगर, राजगढ़ एवं कोषालय चूरू |
| 15 | जयपुर (सचिवालय) | कोषालय जयपुर (सचिवालय) |
| 16 | जालौर | कोषालय जालौर |
| 17 | टोंक | कोषालय टोंक |
| 18 | झुन्झुनू | कोषालय झुन्झुनू |
| 19 | सिरोही | कोषालय सिरोही |
| 20 | धौलपुर | कोषालय धौलपुर |
| 21 | नागौर | उपकोषालय डैगाना, परबतसर, मकराना, मेड़ता, डीडवाना एवं कोषालय नागौर |

| क्र.सं. | कोषालय | आक्षेपित कोषालय / उप कोषालय का नाम |
|---------|----------|------------------------------------|
| 22 | राजसमन्द | कोषालय राजसमन्द |
| 23 | पाली | कोषालय पाली |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से राज्य के सभी कोषालयों / उप कोषालयों के आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची को अद्यतन कराने हेतु निर्देशित करें।

4.3.4 हस्तान्तरण की प्रतीक्षा में प्राप्ति (आर.ए.टी.) में रखी गई राशियों का समय पर निस्तारण नहीं करना ₹ 70919.00

वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार, के परिपत्र क्रमांक: एफ.12(5) एफ.डी./ टैक्स/ 2017-59 दिनांक 30.06.2017 में जी.एस.टी. लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रक्रिया के बिंदु संख्या 9 (3) के अनुसार ऐसे CIN की राशियां जो कि आरबीआई, ई कुबेर पोर्टल के ई-स्कॉल में शामिल हो कर प्राप्त हो गई है परंतु जिनका चालान विवरण जी.एस.टी. पोर्टल से प्राप्त नहीं हो पाता है, उन्हें हस्तान्तरण की प्रतीक्षा में प्राप्ति (आर.ए.टी.) मद 0006-00-500-01-00 में रखी जाती है। ई-कोषालय द्वारा ऐसी राशियों को MOE जारी कर निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। बिंदु संख्या 9(9) के अनुसार प्रत्येक माह की समाप्ति पर आर.ए.टी. में रखी गई राशियों का MOE प्रक्रिया द्वारा मासिक लेखे प्रस्तुत करने से पूर्व निस्तारण किया जाना चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक प्रति माह आर.ए.टी. में रखी गई राशियों का मासिक लेखे प्रस्तुत करने से पूर्व निस्तारण करने हेतु उत्तरदायी है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि माह 04/2022 से 01/2023 की अवधि की 14 मदों (CIN) की राशि ₹ 70919/- का निस्तारण वित्तीय वर्ष के लेखे बंद होने तक नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप उन राशियों को राज्य सरकार के लेखों में संबंधित प्राप्ति शीर्ष में लेखांकन नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सक्षम स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आर.ए.टी. में रखी गई उक्त राशियों का निस्तारण हेतु ई- कोषाधिकारी को निर्देशित करें।

4.3.5 राजस्थान राज्य जी.एस.टी. लेखांकन पोर्टल पर प्रकट हुए अंतरों का निराकरण का अभाव

वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार, के परिपत्र क्रमांक: एफ.12(5) एफ.डी./ टैक्स/ 2017-59 दिनांक 30.06.2017 में जी.एस.टी. लेखांकन प्रक्रिया के बिंदु संख्या 3 (ए) के अनुसार आर.बी.आई. स्कॉल एवं जी.एस.टी.एन. पोर्टल से उपलब्ध जी.एस.टी. चालानों के अनुसार प्रमाणीकृत डाटा के जी.एस.टी. राशि का मासिक लेखा ई-कोषालय द्वारा महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।

महालेखाकार कार्यालय में मासिक लेखे के संकलन के पश्चात एस.जी.एस.टी. राशि राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हो जाती है। आर.बी.आई. स्कॉल एवं जी.एस.टी.एन. पोर्टल से उपलब्ध जी.एस.टी. चालानों की राशि में मिसमैच होने पर उक्त परिपत्र के अनुसार कार्यवाही कर अंतरों का यथाशीघ्र निराकरण किया जाता है।

ई-कोषालय की RSGAS पोर्टल पर प्रदर्शित डेटा के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 01.04.2018 से 28.02.2023 की अवधि के दौरान मिस मैच विथ जीएसटीएन में 88 मिस मैच मदों की कुल राशि 2054854/- का निस्तारण नहीं किया गया था।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सक्षम स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आर.ए.टी. में रखी गई उक्त अंतरों राशियों का निस्तारण कराने हेतु ई-कोषाधिकारी को निर्देशित करें।

4.3.6 एक से ज्यादा जी.आर.एन. (चालान) नम्बर के लिये एक ही सी.आई.एन. जारी होना।

राजस्थान सरकार के वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पत्र क्रमांक: एफ5(थ-75) डीटीए / आईएफएमएस दिनांक 01.11.2012 के बिंदु संख्या 2(बी) के अनुसार बैंक की वेबसाईट पर प्रत्येक ऑनलाईन भुगतान के लिए एक युनिक आईडेन्टीफिकेशन नंबर यथा चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर (CIN) युनिक जनरेट होता है।

ई- कोषालय के माह 04/2022 से 01/2023 लेखों निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक के 6256 मैन्यूअल चालानों एवं 2 ऑनलाईन चालानों के डुप्लीकेट आईडेन्टीफिकेशन नम्बर (CIN) जनरेट किये गये:-

| क्र.सं. | बैंक का नाम | ऑनलाईन जी.आर.एन. की संख्या जिनके डुप्लिकेट CIN जारी किये गये है | मैन्यूअल जी.आर.एन. की संख्या जिनके डुप्लिकेट CIN जारी किये गये है | योग |
|---------|-----------------------|---|---|------|
| 1 | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया | 2 | 6256 | 6258 |

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर बैंक स्तर से जनित डुप्लीकेट चालान आईडेन्टीफिकेशन नंबर (CIN) की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं।

4.3.7 आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम सुदृढ़ नहीं होने के कारण वेतन का दोहरा भुगतान राशि रु. 2.20 लाख

प्रधान सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, वित्त (ईएडी) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक: एफ5(थ-75) डीटीए/आईएफएमएस/ पी-1-17 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा राजस्थान राज्य में आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत दिनांक 1.07.2021 से “ ऑटो सेलेरी वितरण“ प्रणाली लागू की गई थी। उक्त परिपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-बी के बिंदु संख्या 1 के अनुसार नियमानुसार वेतन बिल बनाने और सटीक मास्टर डाटा के संधारण के लिए आहरण संवितरण अधिकारी / निजी निक्षेप खाता धारक को पूर्णतः उत्तरदायी बताया गया है तथा किसी प्रकार के गलत भुगतान होने पर , उसकी तत्काल वसूली अगले माह के वेतन से किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

आई.एफ.एम.एस. के ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम की समीक्षा के दौरान पाया गया कि आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम सुदृढ़ नहीं होने के कारण उप कोषालय लालसोट (दौसा) के द्वारा माह मार्च 2022 (भुगतान माह अप्रैल 2022) एवं कोषालय अलवर के द्वारा माह जनवरी 2022 (भुगतान माह फरवरी 2022) के वेतन का दोहरा भुगतान कर दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित “ऑटो सेलेरी

डिसबर्समेंट सिस्टम“ सुदृढ़ नहीं है। हालांकि उक्त राशि की निरीक्षण दल द्वारा आक्षेप गठित करने के बाद शीघ्र वसूली कर ली गई थी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | कोषालय/ उपकोषालय का नाम | कर्मचारी का नाम/पद | डी.डी.ओ. कोड | विभाग का नाम | माह | टी.वी. नम्बर/दिनांक | राशि ₹ | मुख्य शीर्ष |
|---------|-------------------------------|--|-----------------|--|---------------|---------------------------------------|--------|----------------|
| 1 | लालसोट (दौसा) | बाबू लाल मीणा, व्याख्याता | 8547 | राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय झोंपदा, लालसोट, दौसा | मार्च 2022 | 1461 एवं 1462 दिनांक 04.04.2022 | 219980 | 2202 |
| | | सीता राम बाजिया, कनिष्ठ सहायक | | | | | | |
| | | राम किशोर मीणा, व्याख्याता | | | | | | |
| | | धौली बाई मीणा, व्याख्याता | | | | | | |
| | | सीता राम बाजिया, कनिष्ठ सहायक | | | | | | |
| 2 | अलवर | सुश्री रुचि यादव, अध्यापक | 31403 | प्राचार्य, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विधालय, गूगडिया, बसई, बहरोड़ (अलवर) | जनवरी 2022 | 165204/ 25.03.2022 | 48720 | 2202 |
| | | | | | | 16293/ 04.05.2022 | | |
| | | सुश्री रेनू कुमारी | 1612 | वरिष्ठ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बहरोड़, अलवर | जनवरी 2022 | 140360/ 01.02.2022 | 69048 | 8443 |
| | | | 6274 | राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल देहमी बहरोड़, अलवर | | 6861/13.04.20 22 | 63140 | 2202 |


अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से ऑटो सैलेरी सिस्टम में सुदृढ़ चैक लागू करवाने की व्यवस्था करवाएं।

निष्कर्ष:-

विगत पांच वर्षों के दौरान बकाया रहे कोष निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का विवरण चार्ट संख्या - 4 में तथा वर्ष 2022-23 में पाये गये मुख्य आक्षेपों का विवरण चार्ट संख्या - 5 में दर्शाया गया है। बकाया आक्षेपों एवं सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित पाई गई कमियों एवं कोषालयों के कार्यों के निष्पादन हेतु एन.आई.सी. द्वारा आई.एफ.एम.एस. लागू करने के लिये विकसित किये गये विभिन्न प्रकार के मोड्यूल्स में जनरेट होने वाली रिपोर्ट्स में एक ही डाटा को भिन्न-भिन्न प्रदर्शित किया जाता है जिसमें समानता कायम करने की शीघ्र अनुपालना एवं भविष्य में आक्षेपों / कमियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक सुधार अपेक्षित हैं।


(चार्ट संख्या 4)

वित्तीय वर्ष के अंत में विगत पाँच वर्षों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का तुलनात्मक विवरण



(चार्ट संख्या 5)

कोषालयों में वर्ष 2021-22 के दौरान पाये गये मुख्य आक्षेप एक नजर में



परिशिष्ट संख्या - 1

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 व 1.4)

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

| क्र.सं. | जिला | कोषालय का नाम | उप कोषालय का नाम | उप कोषालयों की संख्या |
|---------|-----------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | अजमेर | अजमेर | 1. केकड़ी | 10 |
| | | | 2. किशनगढ | |
| | | | 3. सरवाड़ | |
| | | | 4. नसीराबाद | |
| | | | 5. पीसांगन | |
| | | | 6. भिनाय | |
| | | | 7. अजमेर (पेंशन) | |
| | | | 8. पुष्कर | |
| | | | 9. रुपनगढ़ | |
| | | | 10. अरांई | |
| 2. | अजमेर | ब्यावर | 11. मसूदा | 1 |
| 3. | अलवर | अलवर | 12. बहरोड़ | 14 |
| | | | 13. किशनगढ़बास | |
| | | | 14. लक्ष्मणगढ़ | |
| | | | 15. राजगढ | |
| | | | 16. थानागाजी | |
| | | | 17. बानसूर | |
| | | | 18. मुण्डावर | |
| | | | 19. तिजारा | |
| | | | 20. रामगढ़ | |
| | | | 21. कठूमर | |
| | | | 22. कोटकासिम | |
| | | | 23. अलवर (पेंशन) | |
| | | | 24. रेणी | |
| | | | 25. नीमराणा | |
| 4. | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | 26. बागीदौरा | 6 |
| | | | 27. कुशलगढ | |
| | | | 28. गढी (परतापुर) | |
| | | | 29. घाटोल | |
| | | | 30. आनंदपुरी | |
| | | | 31. सज्जनगढ़ | |
| 5. | बाडमेर | बाडमेर | 32. चौहटन | 10 |
| | | | 33. सिवाना | |

| क्र.सं. | जिला | कोषालय का नाम | उप कोषालय का नाम | उप कोषालयों की संख्या |
|---------|----------|---------------|---|-----------------------|
| | | | 34. शिव 35. गुढामलानी 36. बायतु 37. रामसर 38. पचपदरा 39. धोरीमन्ना 40. सिणधरी 41. सेइवा | |
| 6. | भरतपुर | भरतपुर | 42. बयाना 43. डीग 44. नदबई 45. भरतपुर (पेंशन) 46. कामां 47. नगर 48. रुपवास 49. वैर 50. कुम्हेर 51. पहाड़ी 52. भुसावर | 11 |
| 7. | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | 53. हुरड़ा 54. सहाड़ा (मु. गंगापुर) 55. माण्डल 56. माण्डलगढ़ 57. शाहपुरा 58. आसीन्द 59. जहाजपुर 60. कोटड़ी 61. बनेड़ा 62. रायपुर 63. बिजौलिया | 11 |
| 8. | बीकानेर | बीकानेर | 64. कोलायत 65. लूणकरणसर 66. खजूवाला 67. नोखा 68. बीकानेर (पेंशन) 69. पूगल 70. श्रीडूंगरगढ़ 71. छत्तरगढ़ | 8 |
| 9. | बूंदी | बूंदी | 72. हिण्डोली | 5 |

| क्र.सं. | जिला | कोषालय का नाम | उप कोषालय का नाम | उप कोषालयों की संख्या |
|---------|------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | | 73. नैनवा | |
| | | | 74. केशोरायपाटन | |
| | | | 75. इन्द्रगढ | |
| | | | 76. तालेडा | |
| 10. | बारां | बारां | 77. छबड़ा | 7 |
| | | | 78. शाहबाद | |
| | | | 79. अटरु | |
| | | | 80. छीपाबड़ौद | |
| | | | 81. किशनगंज | |
| | | | 82. मांगरोल | |
| | | | 83. अन्ता | |
| 11. | चित्तौड़गढ | चित्तौड़गढ | 84. बेगूं | 10 |
| | | | 85. निम्बाहेड़ा | |
| | | | 86. कपासन | |
| | | | 87. भदेसर | |
| | | | 88. गंगरार | |
| | | | 89. राशमी | |
| | | | 90. रावतभाटा | |
| | | | 91. बड़ीसादड़ी | |
| | | | 92. डूंगला | |
| | | | 93. भूपालसागर | |
| 12. | चूरु | चूरु | 94. रतनगढ | 6 |
| | | | 95. सादुलपुर(मु.राजगढ) | |
| | | | 96. सरदारशहर | |
| | | | 97. तारानगर | |
| | | | 98. सुजानगढ | |
| | | | 99. बीदासर | |
| 13. | दौसा | दौसा | 100. बसवा | 4 |
| | | | 101. लालसोट | |
| | | | 102. सिकराय | |
| | | | 103. महवा | |
| 14. | डूंगरपुर | डूंगरपुर | 104. आसपुर | 4 |
| | | | 105. सागवाड़ा | |
| | | | 106. सीमलवाड़ा | |
| | | | 107. बिच्छीवाड़ा | |
| 15. | धौलपुर | धौलपुर | 108. बाड़ी | 4 |
| | | | 109. राजाखेड़ा | |
| | | | 110. बसेड़ी | |

| क्र.सं. | जिला | कोषालय का नाम | उप कोषालय का नाम | उप कोषालयों की संख्या |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | 111. सेपऊ | |
| 16. | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर | 112. अनूपगढ़ | 8 |
| | | | 113. श्रीकरणपुर | |
| | | | 114. रायसिंहनगर | |
| | | | 115. सूरतगढ़ | |
| | | | 116. पदमपुर | |
| | | | 117. श्रीविजयनगर | |
| | | | 118. सार्दुलशहर | |
| | | | 119. घड़साना | |
| 17. | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ | 120. नोहर | 6 |
| | | | 121. संगरिया | |
| | | | 122. भादरा | |
| | | | 123. रावतसर | |
| | | | 124. पीलीबंगा | |
| | | | 125. टिब्बी | |
| 18. | जयपुर | जयपुर (शहर) | 126. राजस्थान विधानसभा | 1 |
| 19. | जयपुर | जयपुर (ग्रामीण) | 127. आमेर | 15 |
| | | | 128. चौमूं | |
| | | | 129. चाकसू | |
| | | | 130. कोटपूतली | |
| | | | 131. मौजमाबाद | |
| | | | 132. शाहपुरा | |
| | | | 133. विराटनगर | |
| | | | 134. जमवारामगढ़ | |
| | | | 135. फागी | |
| | | | 136. सांभर | |
| | | | 137. सांगानेर | |
| 138. बस्ती | | | | |
| 139. वृद्धावस्था (पेंशन) जयपुर | | | | |
| 140. दूदू | | | | |
| 141. किशनगढ़-रेनवाल | | | | |
| 20. | जयपुर | जयपुर (सचिवालय) | - | 0 |
| 21. | जयपुर | पेंशन भुगतान अधिकारी, जयपुर | 142. उप कोषालय (पेंशन) | 1 |
| 22. | जैसलमेर | जैसलमेर | 143. पोकरण | 2 |
| | | | 144. फतेहगढ़ | |
| 23. | जालौर | जालौर | 145. भीनमाल | 8 |
| | | | 146. सांचोर | |
| | | | 147. आहोर | |

| क्र.सं. | जिला | कोषालय का नाम | उप कोषालय का नाम | उप कोषालयों की संख्या |
|---------|----------|------------------|---|-----------------------|
| | | | 148. रानीवाड़ा 149. बागौड़ा 150. सायला 151. जसवंतपुरा 152. चितलवाना | |
| 24. | झालावाड़ | झालावाड़ | 153. अकलेरा 154. पचपहाड़ 155. गंगधार 156. झालरापाटन 157. खानपुर 158. पिडावा 159. मनोहरथाना | 7 |
| 25. | झुन्झुनू | झुन्झुनू | 160. चिड़ावा 161. खेतड़ी 162. उदयपुरवाटी 163. नवलगढ़ 164. झुन्झुनू (पेंशन) 165. बुहाना 166. मलसीसर 167. सूरजगढ़ | 8 |
| 26. | जोधपुर | जोधपुर (शहर) | - | 0 |
| 27. | जोधपुर | जोधपुर (ग्रामीण) | 168. बिलाड़ा 169. औंसियां 170. शेरगढ़ 171. फलौदी 172. भोपालगढ़ 173. लूणी 174. बावडी 175. बाप 176. बालेसर 177. पीपाड़ (शहर) | 10 |
| 28. | कोटा | कोटा | 178. दीगोद 179. सांगोद 180. पीपल्दा 181. रामगंजमण्डी 182. कोटा (पेंशन) | 5 |
| 29. | नागौर | नागौर | 183. डीडवाना 184. मेड़ता | 13 |

| क्र.सं. | जिला | कोषालय का नाम | उप कोषालय का नाम | उप कोषालयों की संख्या |
|---------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 185. नावां | |
| | | | 186. मकराना | |
| | | | 187. परबतसर | |
| | | | 188. डेगाना | |
| | | | 189. जायल | |
| | | | 190. लाडनूं | |
| | | | 191. खींवसर | |
| | | | 192. नागौर (पेंशन) | |
| | | | 193. रियाबडी | |
| | | | 194. कुचामनसिटी | |
| | | | 195. मुण्डवा | |
| 30. | प्रतापगढ | प्रतापगढ | 196. छोटीसादड़ी | 4 |
| | | | 197. अरनोद | |
| | | | 198. धरियावद | |
| | | | 199. पीपलखूँट | |
| 31. | पाली | पाली | 200. बाली | 9 |
| | | | 201. देसूरी | |
| | | | 202. जैतारण | |
| | | | 203. सोजत | |
| | | | 204. खारची | |
| | | | 205. रायपुर | |
| | | | 206. रोहट | |
| | | | 207. रानी | |
| | | | 208. सुमेरपुर | |
| 32. | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 209. बामनवास | 6 |
| | | | 210. गंगापुरसिटी | |
| | | | 211. खण्डार | |
| | | | 212. बाँली | |
| | | | 213. चौथ का बरवाडा | |
| | | | 214. मलारनाडूंगर | |
| 33. | करौली | करौली | 215. हिण्डौन | 6 |
| | | | 216. नादौती | |
| | | | 217. टोडाभीम | |
| | | | 218. सपोटरा | |
| | | | 219. मण्डरायल | |
| | | | 220. मासलपुर | |
| 34. | सीकर | सीकर | 221. दांतारामगढ | 7 |
| | | | 222. फतेहपुर | |
| | | | 223. लक्ष्मणगढ | |

| क्र.सं. | जिला | कोषालय का नाम | उप कोषालय का नाम | उप कोषालयों की संख्या |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 224. नीमकाथाना | |
| | | | 225. श्रीमाधोपुर | |
| | | | 226. सीकर (पेंशन) | |
| | | | 227. खण्डेला | |
| 35. | सिरोही | सिरोही | 228. आबूरोड | 4 |
| | | | 229. पिण्डवाड़ा | |
| | | | 230. रेवदर | |
| | | | 231. शिवगंज | |
| 36. | टोंक | टोंक | 232. देवली | 6 |
| | | | 233. मालपुरा | |
| | | | 234. निवाई | |
| | | | 235. टोडारायसिंह | |
| | | | 236. उनियारा (अलीगढ) | |
| | | | 237. पीपलू | |
| 37. | उदयपुर | उदयपुर | - | 0 |
| 38. | उदयपुर | उदयपुर (ग्रामीण) | 238. खैरवाड़ा | 10 |
| | | | 239. मावली | |
| | | | 240. सलूमबर | |
| | | | 241. वल्लभनगर | |
| | | | 242. झाड़ोल (फलासिया) | |
| | | | 243. गोगुन्दा | |
| | | | 244. सराड़ा | |
| | | | 245. कोटड़ा | |
| | | | 246. लसाड़िया | |
| | | | 247. ऋषभदेव | |
| 39. | राजसमंद | राजसमंद | 248. कुम्भलगढ | 6 |
| | | | 249. नाथद्वारा | |
| | | | 250. आमेट | |
| | | | 251. देवगढ | |
| | | | 252. रेलमगरा | |
| | | | 253. भीम | |
| 40. | नई दिल्ली | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | - | 0 |
| 41. | जयपुर | ई-कोषालय, जयपुर | - | 0 |
| योग | | | | 253 |

परिशिष्ट संख्या-2

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1)

राजस्थान राज्य के जिला मुख्यालयों पर कार्यरत कोषालयों के अतिरिक्त अन्य कोषालयों की सूची

| क्र.सं. | जिला | मुख्य कोषालय का नाम | क्र.सं. | अतिरिक्त कोषालय |
|---------|--------|---------------------|---------|------------------|
| 1. | अजमेर | अजमेर | 1 | ब्यावर |
| 2. | जयपुर | जयपुर (शहर) | 2 | जयपुर (सचिवालय) |
| | | | 3 | जयपुर (ग्रामीण) |
| | | | 4 | जयपुर (पीपीओ) |
| | | | 5 | ई-कोषालय |
| 3 | जोधपुर | जोधपुर (शहर) | 6 | जोधपुर (ग्रामीण) |
| 4 | उदयपुर | उदयपुर | 7 | उदयपुर (ग्रामीण) |

परिशिष्ट संख्या - 3

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 एवं 3.1)

वर्ष 2022-23 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | क्र.सं. | उप कोषालय का नाम | निरीक्षण की लेखा अवधि |
|---------|---------------|---------|------------------|-----------------------|
| 1 | अजमेर | - | - | 01/2021 से 03/2022 |
| | | 1 | किशनगढ़ | 04/2019 से 03/2022 |
| | | 2 | केकड़ी | 04/2019 से 03/2022 |
| 2 | अलवर | - | - | 12/2021 से 12/2022 |
| | | 3 | तिजारा | 12/2021 से 12/2022 |
| | | 4 | कठूमर | 07/2019 से 12/2022 |
| | | 5 | किशनगढ़बास | 07/2019 से 12/2022 |
| | | 6 | मुंडावर | 07/2019 से 12/2022 |
| | | 7 | बानसूर | 07/2019 से 12/2022 |
| | | 8 | थानागाजी | 07/2019 से 12/2022 |
| | | 3 | ब्यावर | - |
| 4 | बीकानेर | - | - | 09/2019 से 04/2022 |
| | | 9 | पेंशन बीकानेर | 10/2017 से 04/2022 |
| | | 10 | श्रीडूंगरगढ़ | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 11 | नोखा | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 12 | कोलायत | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 13 | लूणकरणसर | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 14 | खाजूवाला | 09/2019 से 04/2022 |
| 5 | बाड़मेर | - | - | 08/2021 से 09/2022 |
| | | 15 | बायतु | 02/2019 से 09/2022 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | क्र.सं. | उप कोषालय का नाम | निरीक्षण की लेखा अवधि |
|---------|---------------|---------|------------------|-----------------------|
| | | 16 | सिणधरी | 01/2020 से 09/2022 |
| | | 17 | सेड़वा | 01/2020 से 09/2022 |
| 6 | बारां | - | - | 12/2021 से 01/2023 |
| 7 | बांसवाड़ा | - | - | 04/2021 से 08/2022 |
| | | 18 | गढ़ी (परतापुर) | 04/2019 से 08/2022 |
| | | 19 | बागीदौरा | 04/2019 से 08/2022 |
| 8 | बूंदी | - | - | 11/2021 से 10/2022 |
| | | 20 | इन्द्रगढ़ | 05/2019 से 10/2022 |
| | | 21 | हिण्डौली | 05/2019 से 10/2022 |
| 9 | भीलवाड़ा | - | - | 07/2019 से 05/2022 |
| | | 22 | रायपुर | 07/2018 से 03/2022 |
| | | 23 | आसीन्द | 07/2019 से 04/2022 |
| | | 24 | मांडल | 07/2019 से 04/2022 |
| | | 25 | जहाजपुर | 07/2019 से 04/2022 |
| | | 26 | शाहपुरा | 07/2019 से 04/2022 |
| | | 27 | बनेड़ा | 07/2018 से 04/2022 |
| | | 28 | सहाड़ा | 07/2018 से 04/2022 |
| | | 29 | हुरड़ा | 07/2017 से 04/2022 |
| | | 30 | कोटड़ी | 07/2018 से 05/2022 |
| | | 31 | बिजोलियां | 07/2018 से 05/2022 |
| | | 32 | मांडलगढ़ | 07/2019 से 05/2022 |
| 10 | भरतपुर | - | - | 09/2021 से 08/2022 |
| 11 | चित्तौड़गढ़ | - | - | 07/2021 से 06/2022 |
| | | 33 | रावतभाटा | 02/2020 से 06/2022 |
| | | 34 | निम्बाहेडा | 02/2020 से 06/2022 |
| | | 35 | कपासन | 02/2020 से 06/2022 |
| 12 | चूरु | - | - | 11/2021 से 10/2022 |
| | | 36 | तारानगर | 05/2019 से 10/2022 |
| | | 37 | राजगढ़ | 05/2019 से 10/2022 |
| 13 | दौसा | - | - | 10/2020 से 03/2022 |
| | | 38 | बसवा | 10/2019 से 03/2022 |
| | | 39 | लालसोट | 10/2019 से 03/2022 |
| 14 | डूंगरपुर | - | - | 07/2021 से 07/2022 |
| | | 40 | आसपुर | 08/2019 से 07/2022 |
| | | 41 | बिछीवाड़ा | 08/2019 से 07/2022 |
| 15 | धौलपुर | - | - | 11/2021 से 10/2022 |
| | | 42 | सेपऊ | 12/2019 से 10/2022 |
| 16 | श्रीगंगानगर | - | - | 09/2021 से 11/2022 |
| | | 43 | रायसिंहनगर | 04/2019 से 10/2022 |
| | | 44 | अनुपगढ़ | 04/2019 से 10/2022 |
| | | 45 | श्रीविजयनगर | 04/2019 से 10/2022 |
| 17 | हनुमानगढ़ | - | - | 01/2022 से 12/2022 |
| | | 46 | भादरा | 11/2019 से 12/2022 |
| | | 47 | नोहर | 11/2019 से 12/2022 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | क्र.सं. | उप कोषालय का नाम | निरीक्षण की लेखा अवधि |
|---------|------------------|---------|------------------|-----------------------|
| | | 48 | रावतसर | 11/2019 से 12/2022 |
| 18 | जयपुर (शहर) | - | - | 06/2021 से 07/2022 |
| 19 | जयपुर (सचिवालय) | - | - | 07/2021 से 07/2022 |
| 20 | जयपुर (पेंशन) | - | - | 06/2021 से 06/2022 |
| 21 | जयपुर (ग्रामीण) | - | - | 07/2021 से 07/2022 |
| | | 49 | सांभर | 04/2019 से 07/2022 |
| | | 50 | सांगानेर | 09/2020 से 07/2022 |
| 22 | जालौर | - | - | 11/2021 से 01/2023 |
| | | 51 | चितलवाना | 01/2020 से 01/2023 |
| | | 52 | जसवन्तपुरा | 01/2020 से 01/2023 |
| | | 53 | भीनमाल | 01/2020 से 01/2023 |
| | | 54 | आहोर | 01/2020 से 01/2023 |
| 23 | जैसलमेर | - | - | 04/2021 से 06/2022 |
| 24 | जोधपुर शहर | - | - | 11/2019 से 06/2022 |
| 25 | जोधपुर (ग्रामीण) | - | - | 10/2021 से 09/2022 |
| | | 55 | शेरगढ़ | 02/2020 से 09/2022 |
| | | 56 | बिलाड़ा | 02/2020 से 09/2022 |
| | | 57 | भोपानगढ़ | 02/2020 से 09/2022 |
| 26 | झालावाड़ | - | - | 09/2021 से 09/2022 |
| | | 58 | पचपहाड़ | 10/2019 से 09/2022 |
| | | 59 | खानपुर | 10/2019 से 09/2022 |
| | | 60 | मनोहरथाना | 10/2019 से 09/2022 |
| 27 | झुन्झुनू | - | - | 01/2022 से 12/2022 |
| | | 61 | मलसीसर | 03/2020 से 12/2022 |
| 28 | करौली | - | - | 12/2021 से 10/2022 |
| | | 62 | हिन्डौन | 11/2019 से 10/2022 |
| 29 | नागौर | - | - | 07/2019 से 04/2022 |
| | | 63 | नावां | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 64 | कुचामन सिटी | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 65 | डीड़वाना | 07/2019 से 04/2022 |
| | | 66 | लाडनू | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 67 | जायल | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 68 | मूंडवा | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 69 | मेड़ता सिटी | 07/2019 से 04/2022 |
| | | 70 | डेगाना | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 71 | परबतसर | 08/2018 से 04/2022 |
| | | 72 | मकराना | 08/2018 से 04/2022 |
| 30 | कोटा | - | - | 12/2021 से 02/2023 |
| | | 73 | दीगोद | 01/2020 से 02/2023 |
| | | 74 | सांगोद | 01/2020 से 02/2023 |
| 31 | पाली | - | - | 03/2022 से 02/2023 |
| | | 75 | सोजत | 02/2020 से 01/2023 |
| 32 | प्रतापगढ़ | - | - | 09/2021 से 09/2022 |
| 33 | राजसमंद | - | - | 01/2022 से 01/2023 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | क्र.सं. | उप कोषालय का नाम | निरीक्षण की लेखा अवधि |
|---------|--|---------|------------------|-----------------------|
| 34 | सवाई माधोपुर | - | - | 12/2021 से 11/2022 |
| 35 | सिरोही | - | - | 12/2021 से 12/2022 |
| 36 | सीकर | - | - | 12/2020 से 06/2022 |
| | | 76 | खण्डेला | 06/2019 से 06/2022 |
| 37 | टोंक | - | - | 01/2022 से 01/2023 |
| 38 | उदयपुर (शहर) | - | - | 08/2021 से 05/2022 |
| 39 | उदयपुर (ग्रामीण) | - | - | 08/2021 से 08/2022 |
| | | 77 | कोटड़ा | 08/2019 से 08/2022 |
| | | 78 | ऋषभदेव | 08/2019 से 08/2022 |
| | | 79 | लसाडिया | 08/2019 से 08/2022 |
| 40 | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | - | - | 09/2021 से 08/2022 |
| 41 | ई-कोषालय, जयपुर | - | - | 03/2022 से 02/2023 |
| 42 | निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर | - | - | 03/2021 से 07/2022 |

परिशिष्ट संख्या - 4

(संदर्भ पैरा संख्या - 1.3)

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों / उप कोषालयों में कार्यरत कम्प्यूटर प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद | कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या | प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या | अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या | कार्यरत व प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित में सम्मिलित नहीं किये गये च.श्रे.क. (ग्रुप "घ") की संख्या |
|---------|---------------|---|---|---|--|---|
| 1. | अजमेर | 86 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2. | अलवर | 111 | 70 | 62 | 3 | 5 |
| 3. | ब्यावर | 35 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 4. | बाड़मेर | 82 | 36 | 32 | 4 | 0 |
| 5. | बारां | 67 | 31 | 26 | 5 | 0 |
| 6. | बांसवाड़ा | 54 | 30 | 29 | 0 | 1 |
| 7. | बीकानेर | 87 | 57 | 55 | 1 | 1 |
| 8. | बूंदी | 50 | 32 | 22 | 10 | 0 |
| 9. | भरतपुर | 103 | 55 | 38 | 13 | 4 |
| 10. | भीलवाड़ा | 90 | 43 | 39 | 0 | 4 |
| 11. | चित्तौड़गढ़ | 71 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 12. | चूरू | 56 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| 13. | दौसा | 55 | 36 | 35 | 1 | 0 |
| 14. | झुंजरपुर | 53 | 27 | 23 | 4 | 0 |
| 15. | धौलपुर | 30 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 16. | श्रीगंगानगर | 69 | 49 | 48 | 1 | 0 |
| 17. | हनुमानगढ़ | 54 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 72 | 60 | 57 | 3 | 0 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद | कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या | प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या | अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या | कार्यरत व प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित में सम्मिलित नहीं किये गये च.श्रे.क. (ग्रुप "घ") की संख्या |
|---------|----------------------------------|---|---|---|--|---|
| 19. | जयपुर (ग्रामीण) | 121 | 93 | 69 | 24 | 0 |
| 20. | जयपुर (सचिवालय) | 42 | 40 | 36 | 4 | 0 |
| 21. | जयपुर (पेंशन) | 49 | 30 | 15 | 12 | 3 |
| 22. | जैसलमेर | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 23. | जालौर | 75 | 27 | 23 | 0 | 4 |
| 24. | जोधपुर (शहर) | 42 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 25. | जोधपुर (ग्रामीण) | 81 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 26. | झालावाड़ | 71 | 33 | 16 | 17 | 0 |
| 27. | झुन्झुनू | 63 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 28. | करीली | 53 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 29. | कोटा | 73 | 41 | 39 | 2 | 0 |
| 30. | नागौर | 101 | 52 | 48 | 4 | 0 |
| 31. | प्रतापगढ़ | 52 | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 32. | पाली | 80 | 45 | 42 | 3 | 0 |
| 33. | राजसमंद | 55 | 26 | 21 | 5 | 0 |
| 34. | सवाई माधोपुर | 56 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 35. | सीकर | 71 | 53 | 49 | 4 | 0 |
| 36. | सिरोही | 54 | 22 | 18 | 4 | 0 |
| 37. | टोंक | 65 | 46 | 41 | 5 | 0 |
| 38. | उदयपुर (शहर) | 40 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 39. | उदयपुर (ग्रामीण) | 69 | 36 | 34 | 2 | 0 |
| 40. | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 41. | ई- कोषालय जयपुर | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| | योग | 2598 | 1569 | 1410 | 137 | 22 |

नोट : - च.श्रे.क. ग्रुप "घ" के पद पर कार्यरत 22 कर्मिकों के लिये कम्प्युटर में प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट संख्या - 5

(संदर्भ पैरा संख्या - 2.1)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विवरण

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. | अजमेर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 2 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| 2. | अलवर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| 3. | ब्यावर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | द्वितीय | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1 |
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 4. | बाड़मेर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 24.05.2022 | 7 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 01/2023 | प्रथम | 17.01.2023 | 19.01.2023 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| | | 5. | बारां | 04/2022 | द्वितीय | 08.05.2022 |
| 07/2022 | प्रथम | | | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| 05/2022 | प्रथम | | | 17.05.2022 | 23.05.2022 | 6 |
| 03/2023 | द्वितीय | | | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 6. | बांसवाड़ा | 04/2022 | द्वितीय | 08.05.2022 | 12.05.2022 | 4 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 23.05.2022 | 6 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 2 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 21.07.2022 | 4 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |
| | | 10/2022 | प्रथम | 17.10.2022 | 20.10.2022 | 3 |
| द्वितीय | 08.11.2022 | | 10.11.2022 | 2 | | |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 1 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 12.04.2023 | 4 |
| 7. | बीकानेर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 10.05.2022 | 2 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 2 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 22.07.2022 | 5 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| 8. | बूंदी | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 9. | भरतपुर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 21.04.2022 | 4 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 4 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 10. | भीलवाड़ा | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | द्वितीय | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 2 |
| | | 07/2022 | द्वितीय | 08.08.2022 | 16.08.2022 | 8 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 1 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 12.04.2023 | 4 |
| 11. | चित्तौड़गढ़ | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 19.04.2022 | 2 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 01/2023 | प्रथम | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 1 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 12. | चूरु | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 20.07.2022 | 3 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 22.12.2022 | 5 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 1 |
| 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 | | |
| 13. | दौसा | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 2 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 14. | डूंगरपुर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 19.04.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 27.05.2022 | 10 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 2 |
| | | 06/2022 | द्वितीय | 08.07.2022 | 11.07.2022 | 3 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 20.07.2022 | 3 |
| | | 08/2022 | द्वितीय | 08.09.2022 | 09.09.2022 | 1 |
| | | 09/2022 | प्रथम | 17.09.2022 | 21.09.2022 | 4 |
| | | | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 01/2023 | द्वितीय | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 1 |
| | | 02/2023 | प्रथम | 17.02.2023 | 20.02.2023 | 3 |
| 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 | | |
| 15. | धौलपुर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 23.05.2022 | 6 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 13.06.2022 | 5 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.09.2022 | 09.09.2022 | 1 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 16. | श्रीगंगानगर | 04/2022 | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | प्रथम | 17.03.2023 | 28.03.2023 | 11 |
| | | | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| 17. | हनुमानगढ | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 2 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | 09/2022 | प्रथम | 17.09.2022 | 19.09.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 20.04.2022 | 3 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 19.05.2022 | 11 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 24.05.2022 | 7 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1 |
| | | 06/2022 | द्वितीय | 08.07.2022 | 14.07.2022 | 6 |
| | | 07/2022 | द्वितीय | 08.08.2022 | 10.08.2022 | 2 |
| | | | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |
| | | 09/2022 | प्रथम | 17.09.2022 | 21.09.2022 | 4 |
| | | | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | प्रथम | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 4 |
| | | | द्वितीय | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 2 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 29.11.2022 | 12 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.01.2023 | 11.01.2023 | 3 |
| 01/2023 | प्रथम | 17.01.2023 | 19.01.2023 | 2 | | |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | द्वितीय | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 1 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 14.03.2023 | 6 |
| | | 03/2023 | प्रथम | 17.03.2023 | 22.03.2023 | 5 |
| | | | द्वितीय | 08.04.2023 | 11.04.2023 | 3 |
| 19. | जयपुर (ग्रामीण) | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1 |
| | | 06/2022 | द्वितीय | 08.07.2022 | 11.07.2022 | 3 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | द्वितीय | 08.09.2022 | 09.09.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.01.2023 | 18.01.2023 | 10 |
| | | 01/2023 | प्रथम | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 1 |
| 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 | | |
| 20. | जयपुर (सचिवालय) | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 16.05.2022 | 8 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 23.05.2022 | 6 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 15.06.2022 | 7 |
| | | 06/2022 | प्रथम | 17.06.2022 | 22.06.2022 | 5 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 21.07.2022 | 4 |
| | | | द्वितीय | 08.08.2022 | 10.08.2022 | 2 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 13.10.2022 | 5 |
| | | 10/2022 | प्रथम | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 10 |
| | | | द्वितीय | 08.11.2022 | 15.11.2022 | 7 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 21.11.2022 | 4 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 6 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 23.12.2022 | 6 |
| | | | द्वितीय | 08.01.2023 | 18.01.2023 | 10 |
| | | 01/2023 | प्रथम | 17.01.2023 | 24.01.2023 | 7 |
| | | | द्वितीय | 08.02.2023 | 15.02.2023 | 7 |
| | | 02/2023 | प्रथम | 17.02.2023 | 02.03.2023 | 13 |
| | | | द्वितीय | 08.03.2023 | 14.03.2023 | 6 |
| | | 03/2023 | प्रथम | 17.03.2023 | 20.03.2023 | 3 |
| द्वितीय | 08.04.2023 | | 11.04.2023 | 3 | | |
| 21. | जयपुर (पेंशन) | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 22. | जैसलमेर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 11.05.2022 | 3 |
| | | 05/2022 | द्वितीय | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 20.07.2022 | 3 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 25.08.2022 | 8 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 4 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 01/2023 | द्वितीय | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 1 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 10.03.2023 | 2 |
| | | 03/2023 | प्रथम | 17.03.2023 | 22.03.2023 | 5 |
| | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 | | |
| 23. | जालौर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 12.05.2022 | 4 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 20.05.2022 | 3 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 19.07.2022 | 2 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |
| | | | द्वितीय | 08.09.2022 | 12.09.2022 | 4 |
| | | 09/2022 | प्रथम | 17.09.2022 | 19.09.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | प्रथम | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.01.2023 | 10.01.2023 | 2 |
| 03/2023 | प्रथम | 17.03.2023 | 20.03.2023 | 3 | | |
| | द्वितीय | 08.04.2023 | 11.04.2023 | 3 | | |
| 24. | जोधपुर (शहर) | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 19.07.2022 | 2 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| 25. | जोधपुर (ग्रामीण) | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 19.04.2022 | 2 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| 26. | झालावाड़ | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 24.08.2022 | 7 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 4 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| 27. | झुन्झुनू | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | द्वितीय | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | 09/2022 | प्रथम | 17.09.2022 | 19.09.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 21.12.2022 | 4 |
| | | | द्वितीय | 08.01.2023 | 09.01.2023 | 1 |
| | | 01/2023 | द्वितीय | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 1 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 5 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 28. | करौली | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 19.04.2022 | 2 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 23.05.2022 | 6 |
| | | 06/2022 | प्रथम | 17.06.2022 | 22.06.2022 | 5 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 11.10.2022 | 3 |
| | | 10/2022 | प्रथम | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 10 |
| | | | द्वितीय | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 2 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.01.2023 | 09.01.2023 | 1 |
| | | 01/2023 | प्रथम | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 1 |
| | | 02/2023 | प्रथम | 17.02.2023 | 22.02.2023 | 5 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 29. | कोटा | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 19.07.2022 | 2 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |
| | | 09/2022 | प्रथम | 17.09.2022 | 19.09.2022 | 2 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | 10/2022 | प्रथम | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 2 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 21.11.2022 | 4 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 02/2023 | प्रथम | 17.02.2023 | 20.02.2023 | 3 |
| | | 03/2023 | प्रथम | 17.03.2023 | 20.03.2023 | 3 |
| | | | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 30. | नागौर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 19.04.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 31. | प्रतापगढ | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 02/2023 | प्रथम | 17.02.2023 | 20.02.2023 | 3 |
| | | | द्वितीय | 08.03.2023 | 10.03.2023 | 2 |
| 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 | | |
| 32. | पाली | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 2 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| 33. | राजसमंद | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 2 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | 09/2022 | प्रथम | 17.09.2022 | 19.09.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.10.2022 | 11.10.2022 | 3 |
| | | 10/2022 | प्रथम | 17.10.2022 | 20.10.2022 | 3 |
| | | | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 1 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 1 |
| 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 | | |
| 34. | सवाई माधोपुर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 20.05.2022 | 3 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 19.07.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 21.12.2022 | 4 |
| | | | द्वितीय | 08.01.2023 | 09.01.2023 | 1 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 10.03.2023 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| 35. | सीकर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | प्रथम | 17.03.2023 | 20.03.2023 | 3 |
| | | | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 36. | सिरोही | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 19.07.2022 | 2 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| 37. | ढोंक | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 1 |
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 1 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| 38. | उदयपुर (शहर) | 04/2022 | द्वितीय | 08.05.2022 | 10.05.2022 | 2 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 21.07.2022 | 4 |
| | | 11/2022 | द्वितीय | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 1 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 09.04.2023 | 1 |
| 39. | उदयपुर (ग्रामीण) | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 10.05.2022 | 2 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 23.05.2022 | 6 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.08.2022 | 16.08.2022 | 8 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |
| द्वितीय | 08.09.2022 | | 09.09.2022 | 1 | | |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | लेखा माह | प्रथम सूची (I)/द्वितीय सूची(II) | लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि | लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि | विलम्ब के दिन |
|---------|----------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 10/2022 | द्वितीय | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 4 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 21.12.2022 | 4 |
| | | | द्वितीय | 08.01.2023 | 09.01.2023 | 1 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 5 |
| | | 03/2023 | प्रथम | 17.03.2023 | 21.03.2023 | 4 |
| द्वितीय | 08.04.2023 | | 09.04.2023 | 1 | | |
| 40. | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 18.04.2022 | 1 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 09.05.2022 | 1 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 1 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 18.07.2022 | 1 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 5 |
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 10.10.2022 | 2 |
| | | 12/2022 | द्वितीय | 08.01.2023 | 09.01.2023 | 1 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |
| 41. | ई- कोषालय जयपुर | 04/2022 | प्रथम | 17.04.2022 | 19.04.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.05.2022 | 10.05.2022 | 2 |
| | | 05/2022 | प्रथम | 17.05.2022 | 25.05.2022 | 8 |
| | | | द्वितीय | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 6 |
| | | 06/2022 | प्रथम | 17.06.2022 | 24.06.2022 | 7 |
| | | | द्वितीय | 08.07.2022 | 11.07.2022 | 3 |
| | | 07/2022 | प्रथम | 17.07.2022 | 22.07.2022 | 5 |
| | | | द्वितीय | 08.08.2022 | 10.08.2022 | 2 |
| | | 08/2022 | प्रथम | 17.08.2022 | 24.08.2022 | 7 |
| | | | द्वितीय | 08.09.2022 | 14.09.2022 | 6 |
| | | 09/2022 | द्वितीय | 08.10.2022 | 15.10.2022 | 7 |
| | | 10/2022 | प्रथम | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 10 |
| | | | द्वितीय | 08.11.2022 | 15.11.2022 | 7 |
| | | 11/2022 | प्रथम | 17.11.2022 | 24.11.2022 | 7 |
| | | | द्वितीय | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 4 |
| | | 12/2022 | प्रथम | 17.12.2022 | 19.12.2022 | 2 |
| | | | द्वितीय | 08.01.2023 | 10.01.2023 | 2 |
| | | 01/2023 | द्वितीय | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 1 |
| | | 02/2023 | द्वितीय | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 1 |
| | | 03/2023 | द्वितीय | 08.04.2023 | 10.04.2023 | 2 |

परिशिष्ट संख्या - 6

(संदर्भ पैरा संख्या -2.4)

कोषालयों से प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या का विवरण

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या | क्र.सं. | कोषालय का नाम | प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या |
|---------|-----------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | अजमेर | 4 | 22 | जालौर | 9 |
| 2 | अलवर | 1 | 23 | जैसलमेर | 2 |
| 3 | ब्यावर | 1 | 24 | जोधपुर (शहर) | 6 |
| 4 | बाड़मेर | 9 | 25 | जोधपुर (ग्रामीण) | 80 |
| 5 | बांसवाड़ा | 1 | 26 | झालावाड़ | 0 |
| 6 | बारां | 3 | 27 | झुन्झुनू | 33 |
| 7 | बून्दी | 0 | 28 | कोटा | 2 |
| 8 | बीकानेर | 11 | 29 | करौली | 0 |
| 9 | भरतपुर | 7 | 30 | नागौर | 6 |
| 10 | भीलवाड़ा | 3 | 31 | पाली | 3 |
| 11 | चित्तौड़गढ़ | 3 | 32 | प्रतापगढ़ | 0 |
| 12 | चूरु | 0 | 33 | राजसमन्द | 1 |
| 13 | दौसा | 56 | 34 | सवाई माधोपुर | 3 |
| 14 | धौलपुर | 1 | 35 | सिरोही | 1 |
| 15 | झूंगरपुर | 1 | 36 | सीकर | 5 |
| 16 | श्रीगंगानगर | 0 | 37 | टोंक | 2 |
| 17 | हनुमानगढ़ | 2 | 38 | उदयपुर | 0 |
| 18 | जयपुर (सचिवालय) | 11 | 39 | उदयपुर (ग्रामीण) | 2 |
| 19 | जयपुर (शहर) | 20 | 40 | ई-कोषालय, जयपुर | 72 |
| 20 | जयपुर (ग्रामीण) | 7 | 41 | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 2 |
| 21 | जयपुर (पेंशन) | 0 | | | |
| योग | | | | | 370 |

परिशिष्ट संख्या - 7

(संदर्भ पैरा संख्या -2.5.1)

लेखा शीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स व चालानों का विवरण

| क्र. सं. | कोषालय का नाम | खण्डीय कार्यालयों की संख्या | 8782-102-01 चालान राशि ₹ | | 8782-102-02 चैक्स राशि ₹ | |
|----------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | धनात्मक | ऋणात्मक | धनात्मक | ऋणात्मक |
| 1 | अजमेर | 17 | 101555991.42 | 112035280.63 | 15677977.16 | 47102527.38 |
| 2 | अलवर | 13 | 30224098.46 | 11819793.58 | 26035074.71 | 5525384.48 |
| 3 | बांसवाड़ा | 18 | 29869945.16 | 29032636.65 | 19719281.27 | 4961521.36 |
| 4 | बारां | 15 | 7916414.00 | 21240100.88 | 31312598.54 | 10286954.25 |
| 5 | बाड़मेर | 15 | 43134848.30 | 34827005.15 | 32032617.80 | 13213950.67 |
| 6 | ब्यावर | 3 | 2387196.83 | 1125.00 | 0 | 300091.22 |
| 7 | भरतपुर | 13 | 12362938.00 | 8434865.86 | 64725313.39 | 1481527.20 |
| 8 | भीलवाड़ा | 12 | 2348694.43 | 68109949.85 | 31565494.32 | 5980195.30 |
| 9 | बीकानेर | 38 | 133581463.70 | 166843246.05 | 58296919.74 | 36180368.70 |
| 10 | बून्दी | 11 | 4986676.70 | 962896.32 | 14305349.22 | 94275.00 |
| 11 | चित्तौड़गढ़ | 10 | 46297124.03 | 9953226.38 | 195929655.00 | 223208922.16 |
| 12 | चूरू | 19 | 45879783.74 | 74276171.64 | 180394988.54 | 158191582.46 |
| 13 | दौसा | 7 | 4351042.17 | 18594758.44 | 27475132.41 | 4326049.15 |
| 14 | धौलपुर | 10 | 8150205.05 | 4946802.00 | 90509931.15 | 84767102.58 |
| 15 | झुंजरपुर | 9 | 15379671.71 | 16094270.21 | 8163417.71 | 1018506.74 |
| 16 | श्री गंगानगर | 25 | 49383822.57 | 41451228.90 | 13797111.55 | 24109153.04 |
| 17 | हनुमानगढ़ | 22 | 2179804.72 | 17664921.41 | 23861363.22 | 28351685.01 |
| 18 | जयपुर (शहर) | 37 | 442518764.05 | 362536790.46 | 197750889.23 | 212980113.07 |
| 19 | जयपुर (ग्रामीण) | 11 | 15049906.02 | 12978142.00 | 21069102.96 | 35864034.99 |
| 20 | जयपुर (सचिवालय) | 1 | 0 | 154175.00 | 0 | 3057350.00 |
| 21 | जैसलमेर | 24 | 37321884.05 | 34322050.78 | 161414539.33 | 117939085.97 |
| 22 | जालौर | 13 | 30150401.10 | 15800888.31 | 32188342.59 | 38401824.27 |
| 23 | झालावाड़ | 18 | 14753842.27 | 889440.00 | 273470845.78 | 246275929.52 |
| 24 | झुन्झुनू | 6 | 2909549.00 | 1030174.99 | 7209938.55 | 1279380.00 |
| 25 | जोधपुर (शहर) | 18 | 20060621.60 | 151637144.97 | 161117223.17 | 60632068.63 |
| 26 | जोधपुर (ग्रामीण) | 12 | 13128422.00 | 21239131.13 | 83553145.26 | 51585150.96 |
| 27 | करौली | 9 | 12172858.39 | 9792868.90 | 23326327.07 | 11427372.00 |
| 28 | कोटा | 23 | 85075926.91 | 80643911.24 | 35528711.44 | 26472732.06 |
| 29 | नागौर | 18 | 45488193.92 | 64745028.84 | 35423575.65 | 61794445.39 |
| 30 | पाली | 10 | 102682504.69 | 33556840.92 | 72759477.97 | 18621474.08 |
| 31 | प्रतापगढ़ | 10 | 2749799.01 | 10108286.20 | 17052159.00 | 5760497.55 |
| 32 | राजसमंद | 10 | 19071155.00 | 32497795.27 | 92800878.23 | 63066365.60 |

| क्र. सं. | कोषालय का नाम | खण्डीय कार्यालयों की संख्या | 8782-102-01 चालान राशि ₹ | | 8782-102-02 चैक्स राशि ₹ | |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | | धनात्मक | ऋणात्मक | धनात्मक | ऋणात्मक |
| 33 | सवाई माधोपुर | 10 | 11372649.00 | 30266309.92 | 63889502.96 | 49290804.14 |
| 34 | सीकर | 8 | 3192212.31 | 9871787.93 | 4157928.64 | 8243947.76 |
| 35 | सिरोही | 6 | 16220199.28 | 8178227.75 | 1318281.03 | 646185.00 |
| 36 | टोंक | 19 | 19664516.00 | 16777561.36 | 50404185.10 | 9049488.00 |
| 37 | उदयपुर (शहर) | 13 | 69881246.32 | 11513315.37 | 6517938.88 | 1468295.00 |
| 38 | उदयपुर (ग्रामीण) | 7 | 4089063.84 | 1075671.35 | 11699112.50 | 15929902.85 |
| 39 | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 2 | 2264988.00 | 3124477.00 | 11238.00 | 2102.00 |
| योग | | 542 | 1690348423.75 | 1549028298.64 | 2186465569.07 | 1688888345.54 |

परिशिष्ट संख्या - 8

(संदर्भ पैरा संख्या -2.5.2)

लेखा शीर्ष 8782-103 "वन लेखा प्रेषण" के बकाया चैक्स व चालानों का विवरण

| क्र. सं. | कोषालय का नाम | खण्डीय कार्यालयों की संख्या | 8782-103-01 चालान राशि ₹ | | खण्डीय कार्यालयों की संख्या | 8782-103-02 चैक्स राशि ₹ | |
|----------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| | | | धनात्मक | ऋणात्मक | | धनात्मक | ऋणात्मक |
| 1 | अजमेर | 1 | 1977027.79 | 0.00 | 1 | 0.00 | 382678.34 |
| 2 | अलवर | 3 | 274158.00 | 0.00 | 2 | 143464.00 | 0.00 |
| 3 | बांसवाड़ा | 2 | 14331.99 | 43933.00 | 1 | 32706.00 | 0.00 |
| 4 | बारां | 1 | 404488.97 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2130091.01 |
| 5 | बाड़मेर | 1 | 9688931.36 | 0.00 | 1 | 48545.00 | 0.00 |
| 6 | भरतपुर | 2 | 994519.63 | 0.00 | 2 | 697985.00 | 0.00 |
| 7 | भीलवाड़ा | 2 | 0.00 | 1202083.76 | 1 | 0.00 | 85390.26 |
| 8 | बीकानेर | 5 | 1365889.24 | 75141.47 | 4 | 604829.38 | 640960.57 |
| 9 | बून्दी | 1 | 0.00 | 229587.19 | 1 | 152941.02 | 0.00 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | 3 | 340691.24 | 496513.00 | 2 | 257421.00 | 0.00 |
| 11 | चुरू | 1 | 0.00 | 391311.00 | 1 | 1594978.68 | 0.00 |
| 12 | दौसा | 1 | 445873.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | धौलपुर | 1 | 0.00 | 1567863.50 | 1 | 0.00 | 184278.00 |
| 14 | इंगूरपुर | 1 | 0.00 | 369436.45 | 1 | 0.00 | 42444.70 |
| 15 | श्री गंगानगर | 2 | 5470727.09 | 0.00 | 1 | 374957.00 | 0.00 |
| 16 | हनुमानगढ़ | 1 | 0.00 | 586294.26 | 1 | 27192.20 | 0.00 |
| 17 | जयपुर (शहर) | 6 | 3302545.00 | 11945504.53 | 5 | 733132.00 | 1502667.00 |
| 18 | जयपुर (ग्रामीण) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | जयपुर (सचिवालय) | 1 | 0.00 | 78863.00 | 1 | 0.00 | 934254.00 |

| क्र. सं. | कोषालय का नाम | खण्डीय कार्यालयों की संख्या | 8782-103-01 चालान राशि ₹ | | खण्डीय कार्यालयों की संख्या | 8782-103-02 चैक्स राशि ₹ | |
|----------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| | | | धनात्मक | ऋणात्मक | | धनात्मक | ऋणात्मक |
| 20 | जैसलमेर | 3 | 46987.60 | 560207.00 | 2 | 0.00 | 19171.50 |
| 21 | जालौर | 1 | 321308.48 | 0.00 | 1 | 56383.48 | 0.00 |
| 22 | झालावाड़ | 1 | 40460.80 | 0.00 | 1 | 491433.00 | 0.00 |
| 23 | झुन्झुनू | 1 | 0.00 | 57031.99 | 1 | 0.00 | 34224.85 |
| 24 | जोधपुर (शहर) | 2 | 322118.94 | 0.00 | 2 | 238642.94 | 0.00 |
| 25 | जोधपुर (ग्रामीण) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | करौली | 2 | 376103.64 | 5881.00 | 2 | 86080.00 | 0.00 |
| 27 | कोटा | 3 | 462736.00 | 1810863.92 | 3 | 995391.00 | 1807456.24 |
| 28 | नागौर | 1 | 0.00 | 13697.25 | 1 | 0.00 | 564.00 |
| 29 | पाली | 2 | 47600.00 | 1115951.00 | 1 | 0.00 | 20000.00 |
| 30 | प्रतापगढ़ | 1 | 834359.00 | 0.00 | 1 | 115000.00 | 0.00 |
| 31 | राजसमंद | 3 | 4351249.00 | 539522.00 | 2 | 0.00 | 740636.00 |
| 32 | सवाई माधोपुर | 3 | 2111487.81 | 5761.00 | 2 | 162870.00 | 157916.00 |
| 33 | सीकर | 1 | 259425.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | सिरोही | 3 | 12260.00 | 253984.63 | 1 | 244425.00 | 0.00 |
| 35 | टोंक | 2 | 133458.00 | 0.00 | 1 | 434183.00 | 0.00 |
| 36 | उदयपुर (शहर) | 5 | 0.00 | 11249715.15 | 4 | 1204308.37 | 0.00 |
| योग | | 69 | 33598737.58 | 32599146.10 | 52 | 8696868.07 | 8682732.47 |

परिशिष्ट संख्या - 9

(संदर्भ पैरा संख्या -2.6)

लेखा शीर्ष 8675-रिजर्व बैंक जमा (राज्य) के अन्तर्गत बकाया रहे अन्तरों का विवरण

| क्र.स. | कोषालय का नाम | बैंक का नाम | माह | नामें राशि (Dr.) | जमा राशि (Cr.) | विशेष विवरण |
|--------|------------------|-------------|---------|------------------|----------------|---|
| 1. | बांसवाड़ा | BOB | 04/2022 | 0.00 | 185138.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 2. | बांसवाड़ा | BOB | 03/2023 | 0.00 | 375875.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 3. | झूंगरपुर | BOI | 08/2022 | 0.00 | 24619.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 4. | झूंगरपुर | BOI | 10/2022 | 0.00 | 24619.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 5. | अलवर | CBI | 07/2022 | 0.00 | 61677.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 6. | अलवर | IDN | 06/2022 | 0.00 | 615912.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 7. | अलवर | IDN | 07/2022 | 0.00 | 102652.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 8. | बांसवाड़ा | PNB | 06/2022 | 0.00 | 40744.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 9. | बांसवाड़ा | PNB | 03/2023 | 0.00 | 69262.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 10. | जालौर | PNB | 03/2023 | 0.00 | 617500.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 11. | उदयपुर (ग्रामीण) | PNB | 01/2023 | 150.00 | 0.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 12. | बीकानेर | SBI | 09/2022 | 309154.00 | 0.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 13. | झूंगरपुर | SBI | 02/2023 | 41000.00 | 0.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 14. | अजमेर | UBI | 01/2023 | 0.00 | 71570.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 15. | बांसवाड़ा | UBI | 08/2022 | 0.00 | 511876.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 16. | बांसवाड़ा | UBI | 09/2022 | 0.00 | 22750.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 17. | बांसवाड़ा | UBI | 01/2023 | 0.00 | 45500.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 18. | बांसवाड़ा | UBI | 02/2023 | 0.00 | 22750.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 19. | बांसवाड़ा | UBI | 03/2023 | 0.00 | 22750.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |

| | | | | | | |
|-----|------------------|-----|---------|-----------|------------|---|
| 20. | डूंगरपुर | UBI | 10/2022 | 0.00 | 23687.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 21. | उदयपुर (ग्रामीण) | UBI | 05/2022 | 0.00 | 98731.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 22. | उदयपुर (ग्रामीण) | UBI | 06/2022 | 0.00 | 98731.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 23. | बांसवाड़ा | UCO | 04/2022 | 0.00 | 10375.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 24. | बांसवाड़ा | UCO | 03/2023 | 0.00 | 16671.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 25. | भरतपुर | UCO | 04/2022 | 0.00 | 220000.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 26. | भरतपुर | UCO | 06/2022 | 0.00 | 55000.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| 27. | भरतपुर | UCO | 07/2022 | 0.00 | 55000.00 | कोषाधिकारी से वीडिएमएस प्राप्त नहीं हुआ |
| योग | | | | 350304.00 | 3393389.00 | |

नोट:- इन प्रकरणों में कोषाधिकारियों से संशोधित आरबीडी व हिसाब शोधन पत्र (टी.वाई-65) अथवा एजेन्सी बैंक का संबंधित कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित किये गये आंकड़ों का वीडिएमएस अपेक्षित है।

परिशिष्ट संख्या - 10

(संदर्भ पैरा संख्या - 2.7)

आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित ए.सी. बिलों के बकाया डी.सी. बिलों का कोषालय वार विवरण

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | पिछले वर्ष के बकाया के रूप में दिनांक 01-04-2022 अग्रोपित प्रारम्भिक शेष का विवरण | | वर्ष के दौरान आहरित किये गए एसी बिलों का विवरण | | कुल योग | | वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित किये गए डीसी बिलों का विवरण | | समायोजन के बाद दिनांक 31-03-2023 को बकाया अंतिम शेष का विवरण | |
|---------|-----------------|---|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| | | एसी बिलों की संख्या | राशि रुपये लाखों में | एसी बिलों की संख्या | राशि रुपये लाखों में | एसी बिलों की संख्या | राशि रुपये लाखों में | डीसी बिलों की संख्या | राशि रुपये लाखों में | एसी बिलों की संख्या | राशि रुपये लाखों में |
| 1 | अजमेर | 29 | 55074797 | 138 | 267230587 | 167 | 322305384 | 99 | 150004715 | 68 | 172300669 |
| 2 | अलवर | 1 | 10350000 | 4 | 608319 | 5 | 10958319 | 2 | 264660 | 3 | 10693659 |
| 3 | बाड़मेर | 0 | 0 | 2 | 435938 | 2 | 435938 | 1 | 239538 | 1 | 196400 |
| 4 | भरतपुर | 3 | 663101 | 5 | 910596 | 8 | 1573697 | 8 | 1573697 | 0 | 0 |
| 5 | भीलवाड़ा | 0 | 0 | 5 | 494530 | 5 | 494530 | 5 | 494530 | 0 | 0 |
| 6 | बीकानेर | 2 | 1921890 | 13 | 51651471 | 15 | 53573361 | 15 | 53573361 | 0 | 0 |
| 7 | चुरू | 0 | 0 | 6 | 2661137 | 6 | 2661137 | 6 | 2661137 | 0 | 0 |
| 8 | दौसा | 0 | 0 | 2 | 2092019 | 2 | 2092019 | 0 | 0 | 2 | 2092019 |
| 9 | धौलपुर | 1 | 275000 | 2 | 54000 | 3 | 329000 | 3 | 329000 | 0 | 0 |
| 10 | गंगानगर | 4 | 1333750 | 10 | 826651 | 14 | 2160401 | 13 | 2158804 | 1 | 1597 |
| 11 | जयपुर (शहर) | 6 | 140080345 | 31 | 154454542 | 37 | 294534887 | 21 | 153861609 | 16 | 140673278 |
| 12 | जयपुर (सचिवालय) | 156 | 124204146 | 434 | 544368548 | 590 | 668572694 | 450 | 479921183 | 140 | 188651511 |
| 13 | झालावाड़ | 0 | 0 | 1 | 40000 | 1 | 40000 | 1 | 40000 | 0 | 0 |
| 14 | झुंझुनू | 0 | 0 | 3 | 151798 | 3 | 151798 | 2 | 67325 | 1 | 84473 |
| 15 | जोधपुर (शहर) | 2 | 100033410 | 25 | 491641030 | 27 | 591674440 | 26 | 590924440 | 1 | 750000 |
| 16 | करौली | 3 | 4859000 | 0 | 0 | 3 | 4859000 | 3 | 4859000 | 0 | 0 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | पिछले वर्ष के बकाया के रूप में दिनांक 01-04-2022 अग्रोषित प्रारम्भिक शेष का विवरण | | वर्ष के दौरान आहरित किये गए एसी बिलों का विवरण | | कुल योग | | वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित किये गए डीसी बिलों का विवरण | | समायोजन के बाद दिनांक 31-03-2023 को बकाया अंतिम शेष का विवरण | |
|---------|----------------------------------|---|-----------|--|------------|---------|------------|--|--------------|--|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 17 | कोटा | 0 | 0 | 16 | 1327181 | 16 | 1327181 | 16 | 1327181 | 0 | 0 |
| 18 | नागौर | 1 | 495000 | 1 | 325000 | 2 | 820000 | 2 | 820000 | 0 | 0 |
| 19 | प्रतापगढ़ | 2 | 2000000 | 1 | 6000 | 3 | 2006000 | 3 | 2006000 | 0 | 0 |
| 20 | सीकर | 0 | 0 | 2 | 379548 | 2 | 379548 | 2 | 379548 | 0 | 0 |
| 21 | सिरोही | 1 | 40000 | 1 | 179021 | 2 | 219021 | 2 | 219021 | 0 | 0 |
| 22 | टोंक | 0 | 0 | 3 | 440000 | 3 | 440000 | 3 | 440000 | 0 | 0 |
| 23 | उदयपुर (शहर) | 6 | 3584160 | 52 | 395040422 | 58 | 398624582 | 50 | 397854233 | 8 | 770349 |
| 24 | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 2 | 1200000 | 0 | 0 | 2 | 1200000 | 2 | 1200000 | 0 | 0 |
| 25 | उदयपुर (ग्रामीण) | 0 | 0 | 3 | 505781 | 3 | 505781 | 2 | 338268 | 1 | 167513 |
| | योग | 219 | 446114599 | 760 | 1915824119 | 979 | 2361938718 | 737 | 1845557250 | 242 | 516381468 |
| | पुराने बकाया | 5 | 122200 | | | | | | पुराने बकाया | 4 | 92200 |
| | कुल योग | 224 | 446236799 | | | | | | कुल योग | 246 | 516473668 |

परिशिष्ट संख्या- 11

(संदर्भ पैरा संख्या -2.8.2)

निजी निक्षेप खातों के लिये महालेखाकार व कोषालय द्वारा संधारित की जाने वाली पुस्तकों के आंकड़ों के मध्य उत्पन्न हुए अंतरों का कोषालय वार व खातावार विवरण

| क्र. सं. | कोषालय का नाम | खाता संख्या | संस्था का नाम | महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹ | कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹ | धनात्मक (+) अन्तर राशि ₹ | ऋणात्मक (-) अन्तर राशि ₹ |
|----------|---------------|-------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | AJMER | 398 | DIVISIONAL FOREST OFFICER | 24460437.75 | 24954373.75 | 0.00 | 493936.00 |
| | | 473 | REPAY OF H.B.A. LOANS | 4021939.00 | 4364242.00 | 0.00 | 342303.00 |
| 2 | ALWAR | 169 | P.O. MAHILA ADHIKARITA VIBHAG | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| | | 473 | HBA LOANS | 15063889.00 | 15134563.00 | 0.00 | 70674.00 |
| | | 5032 | CHAIRMAN PUNCH NIRAYA SHULK | 71643.00 | 69493.00 | 2150.00 | 0.00 |
| | | 54 | DY. COMMANDENT HOME GUARD | 3695555.33 | 3691189.33 | 4366.00 | 0.00 |
| | | 81 | SR. DY. D.E.O. COM BLOCK EDU. OFFI. BANSUR | 14827684.78 | 13836759.78 | 990925.00 | 0.00 |
| | | 90 | SR. DY. EDU. OF.CUM BLOCK PRIM. EDU. OFF. RAINI | 24228148.63 | 25219073.63 | 0.00 | 990925.00 |
| 3 | BANSWARA | 473 | HBA OLD | 24200687.20 | 24124156.20 | 76531.00 | 0.00 |
| | | 477 | NEW MCA OBC | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| | | 4998 | HOME DEFENCE TRAINING CENTER | 1184970.50 | 1178893.50 | 6077.00 | 0.00 |
| 4 | BARAN | 1254 | PRI GOVT. GIRLS COLLEGE | 5652698.00 | 5652034.00 | 664.00 | 0.00 |
| | | 1255 | MANDAL VAN ADHIKARI | 19987048.65 | 19986548.65 | 500.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 16308845.83 | 16298944.83 | 9901.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.03.04) | 6953760.00 | 6983758.00 | 0.00 | 29998.00 |
| 5 | BARMER | 3400 | COMDT. (S.P.)& Dy, G.R.P.C. | 933277.00 | 929855.00 | 3422.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 2295872.45 | 2532550.00 | 0.00 | 236677.55 |
| 6 | BEAWAR | 2964 | SR. DY BEEO MASUDA | 8460855.00 | 8458485.00 | 2370.00 | 0.00 |
| 7 | BHARTPUR | 2221 | B.E.E.O WEIR | 20676151.37 | 33651185.37 | 0.00 | 12975034.00 |
| | | 2223 | DIST. LABOUR COMMENSIONERS | 1974184.59 | 457597.59 | 1516587.00 | 0.00 |
| | | 2243 | DY. CHIEF WILD LIFE WAREN, | 447470.99 | 411761.99 | 35709.00 | 0.00 |
| | | 2246 | ASST. DIR HORTICULTURE | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 11159692.58 | 11154351.58 | 5341.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. | 7659139.06 | 7910603.06 | 0.00 | 251464.00 |
| 8 | BHILWARA | 3197 | SUPDT.I.T.I GULABPURA | 506188.00 | 504117.00 | 2071.00 | 0.00 |

| क्र . सं | कोषालय का नाम | खाता संख्या | संस्था का नाम | महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹ | कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹ | धनात्मक (+) अन्तर राशि ₹ | ऋणात्मक (-) अन्तर राशि ₹ |
|----------|---------------|-------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 473 | H.B.A. LAONS (OLD31.3.04) | 26260681.18 | 26581407.18 | 0.00 | 320726.00 |
| | | 475 | H.B.A. H.D.F.C. | 617165.00 | 614518.00 | 2647.00 | 0.00 |
| | | 710 | POLICE SUPDTT.HOME DEFENCE TRAINING CENTER | 4459066.00 | 4426210.00 | 32856.00 | 0.00 |
| 9 | BIKANER | 3234 | PROGECT DIRECTOR | 68463.00 | 68097.00 | 366.00 | 0.00 |
| | | 3297 | PRI. GOVT.LAW COLLEGE | 4628386.00 | 4248386.00 | 380000.00 | 0.00 |
| | | 3302 | GRIHA RAXXA TRAINING CENTER | 3829136.00 | 3554720.00 | 274416.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A LOANS (OLD 31.3.04) | 19072358.00 | 19226214.00 | 0.00 | 153856.00 |
| | | 475 | H.B.A. H.D.F.C. | 215952.00 | 166259.00 | 49693.00 | 0.00 |
| | | 5828 | PRI.GOVT.COLLEGE LUNKARANSAR | 3227909.60 | 3441882.60 | 0.00 | 213973.00 |
| | | 762 | A.DIST.EDU.OFFICER/BLOCK A.EDU.OFFICE | 24883166.82 | 24891666.82 | 0.00 | 8500.00 |
| | | 764 | SR.DY.EDU.OFF.BLOCK PRIM.EDU.OFFICE KOLAYAT | 29031430.81 | 29057500.81 | 0.00 | 26070.00 |
| | | 765 | SR.DY.EDU.OFF.BLOCK PRIM.EDU.OFFICE LKRS | 51962942.00 | 51844442.00 | 118500.00 | 0.00 |
| | | 766 | SR.DY.DEO/BLOCK ED.OFFICE SRIDUNGARGARH | 40009874.00 | 40029116.00 | 0.00 | 19242.00 |
| 10 | BUNDI | 473 | H.B.A LOANS (OLD 31.3.04) | 6747347.00 | 6844764.00 | 0.00 | 97417.00 |
| 11 | CHITORGARH | 473 | H.B.A LOANS (OLD 31.3.04) | 35991906.00 | 36293954.00 | 0.00 | 302048.00 |
| 12 | CHURU | 2855 | PRI. GOVT. GIRLS COLLEGE RATANGARH | 8403779.00 | 8391725.00 | 12054.00 | 0.00 |
| | | 2866 | I.T.I. | 1075750.00 | 1074250.00 | 1500 | 0.00 |
| | | 2870 | DY. CONSERVATOR FOREST (DFO) | 39575.00 | 5058.00 | 34517 | 0.00 |
| | | 2915 | ADDL D.E.O BLOCK PRI. EDU. OFFICER | 22235245.05 | 22231495.05 | 3750.00 | 0.00 |
| | | 2918 | SR. DY. D.E.O. BLOCK PRI. EDU OFFICER RATANGARH | 12462025.00 | 12474223.00 | 0.00 | 12198 |
| | | 2919 | SR. DY. D.E.O. BLOCK PRI. EDU OFFICER SARDARSAHAR | 20142931.24 | 20098491.24 | 44440.00 | 0.00 |
| | | 2935 | HOME GUARD TRANING CENTER | 507319.00 | 503838.00 | 3481.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 10736363.80 | 10748245.80 | 0.00 | 11882.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS | 13196181.30 | 13374280.30 | 0.00 | 178099.00 |
| 13 | DAUSA | 3019 | DEPUTY DIR. AGRICULTURE (EXT) | 9399729.00 | 9438478.00 | 0.00 | 38749.00 |
| | | 3056 | GOVT. COLLEGE LALSOT | 7173380.00 | 7163140.00 | 10240.00 | 0.00 |
| | | 3063 | SR. DY. D.E.O. CUM | 6798943.87 | 6802543.87 | 0.00 | 3600 |

| क्र . सं | कोषालय का नाम | खाता संख्या | संस्था का नाम | महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹ | कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹ | धनात्मक (+) अन्तर राशि ₹ | ऋणात्मक (-) अन्तर राशि ₹ |
|----------|---------------|-------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | B.E.E.O. LALSOT | | | | |
| | | 473 | H.B.A. LOANS | 16862740.00 | 16741125.00 | 121615.00 | 0.00 |
| | | 5914 | GOVT. GIRLS COLLAGE LALSOT | 2767021.00 | 2765221.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 14 | DHOLPUR | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 5128962.98 | 4827836.98 | 301126.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS | 22508757.62 | 22513731.62 | 0.00 | 4974 |
| | | 5847 | GOVT. COLLEGE. BARI | 870472.00 | 878322.00 | 0.00 | 7850.00 |
| 15 | DUNGARPUR | 2493 | DY. CONSERVATOR FOREST (DFO) DPR | 6150782.57 | 6100782.57 | 50000.00 | 0.00 |
| | | 2495 | PROJECT OFFICER TAD DPR | 87295610.00 | 86995610.00 | 300000.00 | 0.00 |
| | | 2549 | HOME GUARD TRANING CENTER | 1086710.35 | 1085058.35 | 1652.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP.OF INDIA | 42810598.84 | 43060800.84 | 0.00 | 250202.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS | 32464418.07 | 32119890.07 | 344528.00 | 0.00 |
| | | 479 | NEW PENSION SCHEME | 7539.00 | 270023271.00 | 0.00 | 270015732 |
| 16 | GANGANAGAR | 1290 | CH. BABA HARDWARI NATH MEMORIAL TRUST 2 ML | -23244.00 | 35777.00 | 0.00 | 59021.00 |
| | | 1863 | BABA MUVASI NAATH MEM. TRUST. | -6720.00 | 10342.00 | 0.00 | 17062.00 |
| | | 2023 | SUPDT. DISTRICT JAIL | 5197600.00 | 5180390.00 | 17210.00 | 0.00 |
| | | 2033 | COMDT. HOME GUARD WELFARE FUND | 3337922.00 | 3172462.00 | 165460.00 | 0.00 |
| | | 2037 | ADD. DY. D.E.O. CUM B.E.E.O | 10838755.00 | 11198755.00 | 0.00 | 360000.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 23440490.50 | 23422516.50 | 17974.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 6980426.00 | 7002953.00 | 0.00 | 22527.00 |
| | | 475 | H.B.A. H.D.F.C. | 101622.00 | 101422.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | 5967 | GOVT. COLLEGE ANOOPGARH | 2553673.00 | 2568673.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 17 | HANUMANGARH | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 18727169.00 | 18276688.00 | 450481.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 9594980.00 | 9662703.00 | 0.00 | 67723.00 |
| | | 474 | H.B.A.S.B.B.J. | 122355.00 | 0.00 | 122355.00 | 0.00 |
| 18 | JAIPUR CITY | 3484 | CHAIRMAN KEDI KALYAN FUND CENTRAL JAIL | 18172406.64 | 17754004.64 | 418402.00 | 0.00 |
| | | 3490 | COMMI. MORKMANS COMP. ACT | 24664935.31 | 24123155.31 | 541780.00 | 0.00 |
| | | 3680 | ASST.COMM. II DEVSTHAN DEPTT | 114755.00 | 113147.00 | 1608.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 52226607.18 | 51147447.00 | 1079160.18 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS | 7568419.80 | 7892956.00 | 0.00 | 324536.20 |
| | | 474 | H.B.A. S.B.B.J | 74589.00 | 14406.00 | 60183.00 | 0.00 |
| | | 475 | H.B.A. H.D.F.C. | 1773818.00 | 342838.00 | 1430980.00 | 0.00 |
| | | 543 | COMMISSIONER | 2936513.64 | 2932223.64 | 4290.00 | 0.00 |

| क्र . सं | कोषालय का नाम | खाता संख्या | संस्था का नाम | महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹ | कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹ | धनात्मक (+) अन्तर राशि ₹ | ऋणात्मक (-) अन्तर राशि ₹ |
|----------|---------------|-------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | DEVASTHAN DEPTT. | | | | |
| | | 6123 | D E O (ELM EDU) JAIPUR | 411392424.00 | 411374616.00 | 17808.00 | 0.00 |
| 19 | JAIPUR PPO | 473 | H.B.A. LOANS | 6814892.00 | 7876399.00 | 0.00 | 1061507.00 |
| 20 | JAIPUR RURUL | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 15335918.54 | 15342796.54 | 0.00 | 6878.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.03.04) | 11905552.00 | 12129445.00 | 0.00 | 223893.00 |
| | | 475 | H.B.A.H.D.F.C | 495595.00 | 481682.00 | 13913.00 | 0.00 |
| | | 4900 | S.D. D.E.O. CUM. B.E.E.O. BASSI | 12601528.48 | 12330323.48 | 271205.00 | 0.00 |
| | | 4905 | S.D. D.E.O. CUM. B.E.E.O. JAWARAMGARH | 9316806.12 | 3166131.12 | 6150675.00 | 0.00 |
| 21 | JAIPUR SECTT. | 3792 | DIR.& PRO. DIR. URBAN POVERTY ERA.PROGRAMME | 5004145753.00 | 5004140423.00 | 5330.00 | 0.00 |
| | | 3882 | SECY. RAJ. SHIKSHA KARNI BOARD | 6947434.00 | 6943756.00 | 3678.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP OF INDIA | 4763148.00 | 4774219.00 | 0.00 | 11071.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS | 7969599.00 | 8466532.00 | 0.00 | 496933.00 |
| | | 474 | H.B.A. S.B.B.J. | 118483.00 | 118481.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | 5880 | RAJ. GRAMIN ROJGAR GAURANTEE PARISHAD | 0.00 | 7212967000.00 | 0.00 | 7212967000.00 |
| 22 | JAISALMER | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 12564694.40 | 12562865.40 | 1829.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.03.04) | 7306466.00 | 7396914.00 | 0.00 | 90448.00 |
| 23 | JALORE | 4413 | DY. COMMANDANT HOME GUARD WELFARE | 472518.00 | 470748.00 | 1770.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 1838125.00 | 1990788.00 | 0.00 | 152663.00 |
| 24 | JHALAWAR | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 18493770.57 | 18520590.57 | 0.00 | 26820.00 |
| 25 | JHUNJHUNU | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 14955518.00 | 14775129.00 | 180389.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 16427833.00 | 16551353.00 | 0.00 | 123520.00 |
| 26 | JODHPUR CITY | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 22450204.00 | 22453484.00 | 0.00 | 3280.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 5116918.40 | 5243090.40 | 0.00 | 126172.00 |
| | | 5850 | FINANCIAL COMP. AGRICULTUR UNI. | 681376211.00 | 681369651.00 | 6560.00 | 0.00 |
| 27 | JODHPUR RURUL | 4529 | SR. DEPTY D.E.O. SHERGARH | 18597180.83 | 18043932.83 | 553248.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 13299824.00 | 12484867.00 | 814957.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 2500568.00 | 2550169.00 | 0.00 | 49601.00 |
| 28 | KARALI | 4373 | ADDL. D.E.O. CUM. B.E.E.O. | 11079896.87 | 11079895.87 | 1.00 | 0.00 |
| | | 4404 | COMDNT. (S.P.) & DY. COMDNT. HOMGARD | 845376.00 | 845105.00 | 271.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 24148892.00 | 24151892.00 | 0.00 | 3000 |
| 29 | KOTA | 2317 | ASSISTANT COMMISSIONER DEVSTHAN | 9214391.00 | 9203759.00 | 10632.00 | 0.00 |
| | | 2328 | D.C.F. WILD ANIMAL | 1899537.10 | 1847131.70 | 52405.40 | 0.00 |
| | | 2331 | PRI& CONTROLER MEDICAL | 569087509.00 | 569087412.00 | 97.00 | 0.00 |

| क्र . सं | कोषालय का नाम | खाता संख्या | संस्था का नाम | महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹ | कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹ | धनात्मक (+) अन्तर राशि ₹ | ऋणात्मक (-) अन्तर राशि ₹ |
|----------|----------------|-------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | COLLEGE | | | | |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 5243972.92 | 5527965.92 | 0.00 | 283993.00 |
| | | 474 | H.B.A. S.B.B.J. | 544.00 | 407.00 | 137.00 | 0.00 |
| | | 475 | H.B.A. H.D.F.C. | 437087.00 | 416115.00 | 20972.00 | 0.00 |
| | | 5852 | AGRICULTUR UNIVERSITY | 151510422.00 | 151508772.00 | 1650.00 | 0.00 |
| 30 | NAGPUR | 2579 | PRI. GOVT. GIRLS COLLEGE | 1428379.00 | 1503379.00 | 0.00 | 75000 |
| | | 2598 | EX. ENGINEER P.H.E.D. DEEDVANA | 6676245.00 | 7124767.00 | 0.00 | 448522.00 |
| | | 2665 | SR. DY. D.E.O.CU. B.E.E.O KUCHAMANCITY | 15649418.91 | 15627695.91 | 21723.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 30311476.36 | 30307849.36 | 3627.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 2640050.78 | 2684622.78 | 0.00 | 44572.00 |
| | | 475 | H.B.A. H.D.F.C. | 290220.00 | 291608.00 | 0.00 | 1388.00 |
| 31 | PALI | 1842 | SUPDT. I.T.I. FALNA | 324546.00 | 281546.00 | 43000.00 | 0.00 |
| | | 1847 | COMANDENT (S.P) & DY COMA. HOME GUARD T.C. | 1399294.00 | 1394397.00 | 4897.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 13584768.00 | 13582473.00 | 2295.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 25477332.00 | 25590045.00 | 0.00 | 112713.00 |
| 32 | PARTAPGARH | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 12305296.00 | 12348276.00 | 0.00 | 42980.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 5168418.00 | 5184679.00 | 0.00 | 16261.00 |
| 33 | RAJSAMAND | 4202 | DY. CONSERVATOR OF FOREST | 7661695.00 | 7672155.00 | 0.00 | 10460.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 15135525.00 | 14222669.00 | 912856.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 4546530.00 | 4150241.00 | 396289.00 | 0.00 |
| | | 475 | H.B.A. H.D.F.C. | 4250301.00 | 4223974.00 | 26327.00 | 0.00 |
| | | 477 | NEW M.C.A. O.B.C. | 177908.00 | 0.00 | 177908.00 | 0.00 |
| | | 5561 | SR. DY DEO CUM B.E.E.O. AMET | 9222711.13 | 9232801.13 | 0.00 | 10090.00 |
| 34 | SAWAI MADHOPUR | 1637 | DY. DIR. TIGER PROJECT | 1968890.00 | 2066357.00 | 0.00 | 97467.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 6795853.00 | 6848953.00 | 0.00 | 53100.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 3149159.00 | 3156779.00 | 0.00 | 7620.00 |
| | | 474 | H.B.A. S.B.B.J. | 12303492.32 | 12307535.32 | 0.00 | 4043.00 |
| 35 | SIKAR | 1587 | PROJ. MANAGER S.C.DEV. COOP. | 8135257.00 | 8105257.00 | 30000.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 15612767.00 | 15605980.00 | 6787.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 6850643.00 | 7037570.00 | 0.00 | 186927.00 |
| | | 5698 | PRI. GOVT. POLY TECH. COLLEGE | 13120299.46 | 13246799.46 | 0.00 | 126500.00 |
| | | 589 | B.E.E.O. DHOD | 4973691.85 | 9644795.85 | 0.00 | 4671104.00 |
| | | 590 | B.E.E.O. FATEHPUR | 15306612.00 | 10635508.00 | 4671104.00 | 0.00 |
| 36 | SIROHI | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 6393411.00 | 6428511.00 | 0.00 | 35100.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 6137952.00 | 5135279.00 | 1002673.00 | 0.00 |

| क्र . सं | कोषालय का नाम | खाता सं ख्या | संस्था का नाम | महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹ | कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹ | धनात्मक (+) अन्तर राशि ₹ | ऋणात्मक (-) अन्तर राशि ₹ |
|-------------|------------------|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 4745 | DY. CONSV. OF FOREST (WILD LIFE) MOUNT ABU | 1025225.00 | 1024568.00 | 657.00 | 0.00 |
| | | 4804 | MANAG. DIR. MADHAV NGR. SAHKARI BANK LIMITED | 265821.00 | 199721.00 | 66100.00 | 0.00 |
| 37 | TONK | 4226 | DISTT. FOREST OFFICER (DFO) | 11225965.22 | 11199763.22 | 26202.00 | 0.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 17711743.00 | 17939002.00 | 0.00 | 227259.00 |
| 38 | UDAIPUR CITY | 1000 | DISTRICT COLLECTOR | 10534390.00 | 10530430.00 | 3960.00 | 0.00 |
| | | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 18180646.00 | 18193402.00 | 0.00 | 12756.00 |
| | | 473 | H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04) | 18553492.00 | 19283187.00 | 0.00 | 729695.00 |
| 39 | NEW DELHI | 471 | LIFE INSU. CORP. OF INDIA | 1601589.00 | 1615992.00 | 0.00 | 14403.00 |
| 40 | UDAIPUR RURAL | 474 | REC. OF H.B.A. LOAN. S.B.B.J. | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 |
| | योग | 158 | | 8401071935.64 | 15886986361.31 | 24562313.08 | 7510476738.75 |

परिशिष्ट संख्या - 12

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.2.2)

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि से निर्धारित अवधि (2 माह) के बाद प्रथम अनुपालना रिपोर्ट विलम्ब से प्रेषित करने वाले / प्रेषित नहीं करने वाले वाले कोषालयों का विवरण

| क्र. सं. | कोषालय का नाम | निरीक्षण की लेखा अवधि | निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक | प्रथम अनुपालना प्राप्ति के लिये नियत दिनांक | प्रथम अनुपालना प्राप्ति की दिनांक | विलम्ब अवधि | |
|----------|---------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | माह | दिन |
| 1 | अजमेर | 01/2021 से 03/2022 | 18.05.2022 | 18.07.2022 | 25.08.2022 | 01 | 07 |
| 2 | अलवर | 12/2021 से 12/2022 | 07.03.2023 | 07.05.2023 | 15.06.2023 | 01 | 07 |
| 3 | ब्यावर | 02/2021 से 03/2022 | 11.05.2022 | 11.07.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 4 | बाड़मेर | 08/2021 से 09/2022 | 06.12.2022 | 06.02.2023 | 13.02.2023 | 0 | 7 |
| 5 | बारां | 12/2021 से 01/2023 | 03.04.2023 | 03.06.2023 | 15.06.2023 | 0 | 12 |
| 6 | बांसवाड़ा | 04/2021 से 08/2022 | 25.10.2022 | 25.12.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 7 | बूंदी | 11/2021 से 10/2022 | 05.01.2023 | 05.03.2023 | 20.03.23 | 0 | 15 |
| 8 | बीकानेर | 09/2019 से 04/2022 | 06.07.2022 | 06.09.22 | 21.04.2023 | 07 | 15 |
| 9 | भीलवाड़ा | 07/2019 से 05/2022 | 21.07.2022 | 21.09.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 10 | भरतपुर | 09/2021 से 08/2022 | 25.10.2022 | 25.12.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 11 | चित्तौड़गढ़ | 07/2021 से 06/2022 | 16.08.2022 | 16.10.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 12 | चूरु | 11/2021 से 10/2022 | 17.01.2023 | 17.03.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 13 | डूंगरपुर | 07/2021 से 07/2022 | 07.10.2022 | 07.12.2022 | 24.11.2022 | 0 | 0 |
| 14 | धौलपुर | 11/2021 से 10/2022 | 29.12.2022 | 01.03.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 15 | दौसा | 10/2020 से 03/2022 | 18.05.2022 | 18.07.2022 | 21.06.2022 | 0 | 0 |
| 16 | श्रीगंगानगर | 09/2021 से 11/2022 | 10.01.2023 | 10.03.2023 | 25.04.2023 | 1 | 15 |
| 17 | हनुमानगढ़ | 01/2022 से 12/2022 | 23.02.2023 | 23.04.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 18 | जयपुर (शहर) | 06/2021 से | 13.09.2022 | 13.11.2022 | 15.11.2022 | 0 | 02 |

| क्र. सं. | कोषालय का नाम | निरीक्षण की अवधि | निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक | प्रथम अनुपालना प्राप्ति के लिये नियत दिनांक | प्रथम अनुपालना प्राप्ति की दिनांक | विलम्ब अवधि | |
|----------|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | माह | दिन |
| | | 07/2022 | | | | | |
| 19 | जयपुर (सचिवालय) | 07/2021 से 07/2022 | 30.08.2022 | 30.10.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 20 | जयपुर (पेंशन) | 06/2021 से 06/2022 | 25.08.2022 | 25.10.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 21 | जयपुर (ग्रामीण) | 07/2021 से 07/2022 | 23.09.2022 | 23.11.2022 | 6.12.2022 | 0 | 13 |
| 22 | जालौर | 11/2021 से 01/2023 | 05.04.2023 | 05.06.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 23 | जैसलमेर | 04/2021 से 06/2022 | 24.08.2022 | 24.10.2022 | 02.02.2023 | 3 | 07 |
| 24 | जोधपुर (शहर) | 11/2019 से 06/2022 | 05.08.2022 | 05.10.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 25 | जोधपुर (ग्रामीण) | 10/2021 से 09/2022 | 01.12.2022 | 01.02.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 26 | झालावाड़ | 09/2021 से 09/2022 | 01.12.2022 | 01.02.2023 | 02.02.2023 | 0 | 01 |
| 27 | झुन्झुनू | 01/2022 से 12/2022 | 16.02.2023 | 16.04.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 28 | करौली | 12/2021 से 10/2022 | 29.12.2022 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | 0 | 28 |
| 29 | कोटा | 12/2021 से 02/2023 | 19.04.2023 | 19.06.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 30 | पाली | 03/2022 से 02/2023 | 05.04.2023 | 05.06.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 31 | प्रतापगढ़ | 09/2021 से 09/2022 | 22.11.2022 | 22.01.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 32 | नागौर | 07/2019 से 04/2022 | 20.07.2022 | 20.09.2022 | 28.09.2022 | 0 | 08 |
| 33 | राजसमंद | 01/2022 से 01/2023 | 14.03.2023 | 14.05.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 34 | सवाई माधोपुर | 12/2021 से 11/2022 | 16.01.2023 | 16.03.2023 | 20.03.2023 | 0 | 04 |
| 35 | सिरोही | 12/2021 से 12/2022 | 16.02.2023 | 16.04.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 36 | सीकर | 12/2020 से 06/2022 | 10.08.2022 | 10.10.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 37 | टोंक | 01/2022 से 01/2023 | 09.03.2023 | 09.05.2023 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 38 | उदयपुर (शहर) | 08/2021 से 05/2022 | 20.07.2022 | 20.09.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |

| क्र. सं. | कोषालय का नाम | निरीक्षण की लेखा अवधि | निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक | प्रथम अनुपालना प्राप्ति के लिये नियत दिनांक | प्रथम अनुपालना प्राप्ति की दिनांक | विलम्ब अवधि | |
|---|----------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | माह | दिन |
| 39 | उदयपुर (ग्रामीण) | 08/2021 से 08/2022 | 18.10.2022 | 18.12.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 40 | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 09/2021 से 08/2022 | 18.10.2022 | 18.12.2022 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 41 | ई-कोषालय, जयपुर | 03/2022 से 02/2023 | 13.04.2023 | 13.06.2023 | 02.06.2023 | 0 | 0 |
| प्रथम अनुपालना निर्धारित समय में प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या | | | | | | 03 | |
| प्रथम अनुपालना निर्धारित समय के बाद विलम्ब से प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या | | | | | | 14 | |
| प्रथम अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने वाले कोषालयों की संख्या | | | | | | 24 | |
| योग | | | | | | 41 | |

परिशिष्ट संख्या - 13

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.1)

उपादान भुगतान आदेशों में दर्शायी गई वसूलियों की कटौती नहीं करने से अधिक

भुगतान का विवरण

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | जी.पी.ओ. संख्या | वसूली योग्य राशि ₹ | मुख्य लेखा शीर्ष |
|---------|---------|---------------------------|---|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | बीकानेर | लूणकरणसर | श्री रामचंद्र 1133446 (आर) | 3207291 (आर) | 80780 | 2215 |
| | | | श्री रविन्द्र पाल सिंह 1112455 (आर) | 3172586 (आर) | 45598 | 2202 |
| | | | श्री राजू राम सियाग 2015305 (आर) | 3175635 (आर) | 7629 | 2215 |
| | | उपकोष पेंशन, बीकानेर | श्री मनोहर लाल आचार्य 647128 (आर) | 3204761 (आर) | 590490 | 8443 |
| | | | श्री राजकुमार खत्री पति श्रीमती संगीता खत्री 8100556 (आर) एस.एफ. एन.पी.एस. | 8300893 (आर) | 336384 | 0071 |
| 2 | नागौर | कुचामन सिटी | श्री केवल चन्द 1094838 (आर) | 3148991 (आर) | 18010 | 0210 |
| | | | श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ 1102128 (आर) | 3159661 (आर) | 31363 | 2202 |
| | | डीडवाना | श्री श्याम सिंह 1118277 (आर) | 3179811 (आर) | 34893 | 4700 |
| | | | | | 11200 | 2071 |
| | | जायल | श्री जवान नाथ 1099067 (आर) | 3155680 (आर) | 639688 | 4700 |
| | | मूण्डवा | श्री अशोका के. एस. 1126875 (आर) | 3197854 (आर) | 38933 | 2211 |
| | | | श्रीमती शारदा देवी पत्नि स्व. श्री हनुमान राम नायक 8101822 (आर) एस.एफ. एन.पी.एस. | 8304997 (आर) | 187 | 0071 |
| | | | श्रीमती शानु पत्नि स्व. श्री सुखा राम 8100469 (आर) एस.एफ. एन.पी.एस. | 8300729 (आर) | 249 | 0071 |
| | | | श्री हरका राम 1092859 (आर) | 3145252 (आर) | 462 | 2406 |
| | | | श्री खमाण खां 1155859 (आर) | 3237242 (आर) | 944 | 2215 |
| 3 | जैसलमेर | जैसलमेर | श्री अमर सिंह 1157350 (आर) | 3239276 (आर) | 47155 | 4700 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | जी.पी.ओ. संख्या | वसूली योग्य राशि ₹ | मुख्य लेखा शीर्ष |
|---------|---------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 4 | डूंगरपुर | आसपुर | श्री गजराज सिंह चौहान 1100122 (आर) | 3157046 (आर) | 9005 | 0202 |
| | | | श्रीमती दुर्गा देवी पत्नि स्व. श्री प्रभुलाल मीणा 2022851 (आर) एस.एफ. | 3253265 (आर) | 77152 | 8443 |
| | | डूंगरपुर | श्री चन्दू लाल कोटेड 1143823 (आर) | 3221598 (आर) | 43260 | 2210 |
| | | | श्री सुनील कुमार माथुर 1147135 (आर) | 3225514 (आर) | 2868 | 2202 |
| | | | श्री फैजान कुरेशी पुत्र स्व. श्री गुलामनबी 2021685 (आर) | 3245132 (आर) | 68034 | 2406 |
| 5 | उदयपुर (ग्रामीण) | ऋषभदेव | श्री हंजालाल 1115219 (आर) | 3175970 (आर) | 7282 | 2055 |
| | | लसाडिया | श्री दूले सिंह भाटी 1142858 (आर) | 3220387 (आर) | 9336 | 2515 |
| 6 | बूंदी | इन्द्रगढ़ | श्री सच्चिदानन्द शर्मा 1157452 (आर) | 3239399 (आर) | 282214 | 2202 |
| | | | नुरुनिशा 8101596 (आर) एस.एफ. एन.पी.एस. | 8304246 (आर) एस.एफ. एन.पी.एस. | 9019 | 0071 |
| 7 | चूरू | तारानगर | श्रीमती अनिता मीणा 2018878 (आर) | 3220709 (आर) | 13002 | 2406 |
| 8 | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ | श्री हर्षित अरोडा 8101794 (आर) एस.एफ. एन.पी.एस. | 8304945 (आर) | 12686 | 0071 |
| 9 | अलवर | मुण्डावर | श्री छोटे लाल 1138792 (आर) | 3215169 (आर) | 54796 | 2215 |
| | | | श्री गौरी शंकर 1140417 (आर) | 3217118 (आर) | 5532 | 2210 |
| | | बानसूर | श्री अमर सिंह 1131244 (आर) | 3204277 (आर) | 3593 | 2055 |
| | | | श्रीमती बिमला 2016998 (आर) | 3202528 (आर) | 8309 | 2055 |
| | | | श्री जय सिंह राजपूत 1140006 (आर) | 3216607 (आर) | 87719 | 0055 |
| | | | श्री विक्रम सिंह यादव 8101797 (आर) एस.एफ. एन.पी.एस. | 8304947 (आर) | 8071 | 0071 |
| 10 | बारां | बारां | श्री हेमराज मीणा 1158036 (आर) | 3240416 (आर) | 7575 | 2202 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | जी.पी.ओ. संख्या | वसूली योग्य राशि ₹ | मुख्य लेखा शीर्ष |
|---------|--------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 11 | पाली | सोजत | श्रीमती इन्दु 2203816 (आर) | 3288032 (आर) | 17920 | 2215 |
| | | | श्री छेलाराम 1141953 (आर) | 3219144 (आर) | 153887 | 2215 |
| | | | श्री मुन्नाराम हरिजन 1146855 (आर) | 3225210 (आर) | 155829 | 2210 |
| योग | | | | | 2921054 | |

परिशिष्ट संख्या - 14

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.4)

पेंशन के रूपान्तरण के बाद संबंधित पेंशनरों से निर्धारित अवधि तक मासिक कटौती नहीं करना/कम किये जाने के कारण अधिक भुगतान

| क्रम संख्या | कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम | पी.पी.ओ. संख्या | अधिक भुगतान की अवधि | पेंशनर से वसूली योग्य राशि ₹ |
|-------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | भरतपुर | श्री दीप चन्द रजाना | 160856 (आर) | 01.02.2014 से 31.10.2017 | 66735 |
| 2 | प्रतापगढ़ | श्री स्टेनली | 560517(आर) | 01.05.2015 से 31.10.2015 | 5034 |
| | | श्री प्रभू लाल बिलावत | 568578 (आर) | 01.09.2020 से 30.04.2021 | 20128 |
| | | श्री शिव शंकर नागर | 563545 (आर) | 01.11.2016 से 31.01.2017 | 5373 |
| | | श्री टीकम चन्द सालवी | 565110 (आर) | 01.09.2017 से 30.11.2017 | 2250 |
| | | श्री हंसमुख लाल बांडी | 568923 (आर) | 01.06.2021 से 31.07.2021 | 8506 |
| 3 | झालावाड़ | श्री राधेश्याम | 763852(आर) | 01.07.2018 से 31.07.2018 | 946 |
| | | श्री देवी लाल मीना | 764417(आर) | 01.04.2019 से 31.07.2019 | 11720 |
| | | श्री गंगाराम गौड़ | 764165 (आर) | 01.01.2019 से 31.01.2019 | 633 |
| | | श्री श्रीलाल | 760290 (आर) | 01.05.2016 से 31.05.2016 | 975 |
| | | श्री बालचन्द अरोडा | 765798 (आर) | 01.02.2020 से 31.12.2020 | 12661 |
| | | श्री चतुर्भुज शर्मा | 761965 (आर) | 01.03.2017 से 31.05.2017 | 4086 |
| 4 | जोधपुर (ग्रामीण) | श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत | 1019947 (आर) | 18.11.2015 से | 390719 |

| क्रम संख्या | कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम | पी.पी.ओं संख्या | अधिक भुगतान की अवधि | पेंशनर से वसूली योग्य राशि ₹ |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|
| | | | | 31.10.2022 | |
| | | श्री रामपाल शर्मा | 427341 (आर) | 01.05.2014 से 30.11.2022 | 8652 |
| | | श्री रावल सिंह | 446735 (आर) | 01.07.2020 से 31.10.2022 | 117628 |
| | | श्री सुजाराम नवल | 435824 (आर) | 01.04.2014 से 30.09.2017 एवं 08.12.2017 से 31.10.2022 | 16610 |
| 5 | करौली | श्री मानसिंह बारोलिया | 1009503 (आर) | 24.01.2017 से 31.10.2022 | 163657 |
| | | श्री बाबू लाल गुप्ता | 758209(आर) | 01.05.2015 से 31.07.2015 | 6108 |
| 6 | बूंदी | श्री जमुना शंकर शर्मा | 755594(आर) | 01.09.2014 से 30.09.2014 | 1412 |
| | | श्री भवानी शंकर नामा | 763264(आर) | 01.03.2018 से 31.03.2018 | 725 |
| | | भावना | 767437(आर) | 01.08.2021 से 31.01.2022 | 7986 |
| | | श्री घनश्याम लाल | 766949(आर) | 01.08.2021 से 30.09.2021 | 3716 |
| | | श्री बालू | 765590(आर) | 01.09.2020 से 30.11.2020 | 2418 |
| | | श्री छोटूलाल | 764629(आर) | 01.11.2019 से 31.12.2019 | 1274 |
| | | श्री बाबूलाल जैन | 759318(आर) | 01.12.2015 से 31.01.2016 | 2766 |
| | | श्रीमती सूरज कंवर | 765390(आर) | 01.06.2020 से 31.10.2020 | 9935 |
| | | श्री रामगोपाल शर्मा | 767450(आर) | 01.10.2021 से 31.01.2022 | 17444 |
| | | श्री रामकरण मीना | 766792(आर) | 01.08.2021 से 31.08.2021 | 3823 |
| 7 | श्री गंगानगर | श्री पतराम | 632692 (आर) | 01.04.2016 से 30.04.2016 | 1483 |
| | | श्री बलवंत राम | 633710 (आर) | 01.09.2016 से 30.11.2016 | 4560 |
| | | श्री इन्द्राज शर्मा | 1064228 (आर) | 13.06.2018 से 31.08.2018 | 15907 |
| | | श्री बहादुर राम | 1066700 (आर) | 25.07.2018 से 31.10.2018 | 22823 |
| | | श्री जगदीश कुमार | 1056062 (आर) | 01.06.2018 से 30.09.2018 | 12393 |
| | | श्री लक्ष्मण राम | 632547 (आर) | 01.03.2016 से | 2502 |

| क्रम संख्या | कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम | पी.पी.ओं संख्या | अधिक भुगतान की अवधि | पेंशनर से वसूली योग्य राशि ₹ |
|-------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | 30.04.2016 | |
| | | श्रीमती रुकमा कुमारी | 635632 (आर) | 01.11.2017 से 31.12.2017 | 2708 |
| | | श्री त्रिलोक सिंह | 1062233 (आर) | 26.06.2018 से 31.10.2018 | 32163 |
| | | श्री श्याम लाल | 636072 (आर) | 01.12.2017 से 28.02.2018 | 5124 |
| | | श्री जगदीश राय | 1064302 (आर) | 15.05.2018 से 30.09.2018 | 16458 |
| | | श्री सुखदेव सिंह संधु | 635822 (आर) | 01.11.2017 से 28.02.2018 | 5883 |
| | | श्री बनवारी लाल यादव | 433746 (आर) | 01.06.2016 से 31.07.2016 | 3674 |
| | | श्री इन्द्रजीत | 633375 (आर) | 01.07.2016 से 30.09.2016 | 3099 |
| | | श्री धनराज शर्मा | 632917 (आर) | 01.04.2016 से 30.06.2016 | 3099 |
| | | श्री मनफूल राम | 639424 (आर) | 01.08.2020 से 31.05.2021 | 11500 |
| | | श्री करनैल सिंह | 1066093 (आर) | 27.09.2018 से 30.11.2018 | 10539 |
| | | श्रीमती पुष्पा अरोडा | 1059685 (आर) | 01.06.2018 से 30.09.2018 | 24106 |
| 8 | चूरू | श्री गोपी राम | 649146 (आर) | 01.01.2020 से 30.09.2020 | 21600 |
| | | श्री रतन सिंह | 609360 (आर) | 01.07.2014 से 30.09.2014 | 2700 |
| | | श्री बाबूदीन | 610684 (आर) | 01.11.2014 से 31.03.2015 | 6770 |
| | | श्री रेवन्ती रमन शर्मा | 632998 (आर) | 01.05.2016 से 31.07.2016 | 3537 |
| | | श्री लाल चन्द बाल्मिकी | 610900 (आर) | 01.02.2015 से 31.03.2015 | 2832 |
| | | श्री शंकर लाल गूजर | 630717 (आर) | 01.04.2015 से 30.06.2015 | 2199 |
| | | श्री सांवरमल वर्मा | 636998 (आर) | 01.10.2018 से 31.12.2018 | 2907 |
| | | श्री चेतन राम | 161543 (आर) | 01.04.2016 से 30.06.2018 | 24530 |
| | | श्री हिमांशु महला | 439226 (आर) | 01.02.2020 से 31.08.2020 | 47887 |
| | | श्री गुलाब चंद | 636003 (आर) | 01.12.2017 से 31.12.2017 | 621 |
| 9 | झुन्झुनू | श्रीमती पन्ना देवी | 189250 (आर) | 01.09.2019 से | 65450 |

| क्रम संख्या | कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम | पी.पी.ऑ संख्या | अधिक भुगतान की अवधि | पेंशनर से वसूली योग्य राशि ₹ |
|-------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | 31.12.2022 | |
| | | श्रीमती किरनी देवी | 161007 (आर) | 01.05.2017 से 30.11.2017 | 3689 |
| | | श्री हीरालाल | 168314 (आर) | 01.10.2020 से 30.11.2020 | 4850 |
| | | श्रीराम मान | 171699 (आर) | 01.08.2021 से 31.12.2022 | 32335 |
| 10 | हनुमानगढ़ | श्री प्रताप सिंह | 638755 (आर) | 01.11.2020 से 30.11.2020 | 2206 |
| 11 | अलवर | श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा | 1091419 (आर) | 01.12.2019 से 29.02.2020 | 42450 |
| 12 | राजसमन्द | श्री रतन लाल अगल | 567463(आर) | 01.07.2020 से 31.07.2020 | 2291 |
| | | मोहम्मद इयात | 760303(आर) | 01.04.2016 से 31.05.2016 | 2532 |
| | | श्री राम लाल जाट | 568530(आर) | 01.04.2021 से 30.04.2021 | 3427 |
| | | श्री जालम सिंह | 562510(आर) | 01.07.2016 से 31.07.2016 | 1004 |
| | | श्री जीवन लाल कुम्हार | 561816(आर) | 01.02.2016 से 31.05.2016 | 2440 |
| | | श्री जमन लाल श्रीमाली | 556220(आर) | 01.04.2014 से 30.09.2014 | 8646 |
| | | श्री सुन्दर लाल माली | 565605(आर) | 01.02.2018 से 31.03.2018 | 2654 |
| | | श्री दुर्गा शंकर श्रीमाली | 568145(आर) | 01.02.2021 से 28.02.2021 | 2250 |
| | | श्री गिरधारी लाल खटीक | 568312(आर) | 01.04.2021 से 31.01.2023 | 28226 |
| | | श्री शिव लाल रेगर | 567971(आर) | 01.09.2020 से 31.01.2021 | 13830 |
| | | श्री गोविन्द लाल दाधीच | 568627(आर) | 01.09.2021 से 31.10.2021 | 6982 |
| | | श्री कान्ती लाल महात्मा | 563919(आर) | 01.03.2017 से 30.04.2017 | 3082 |
| | | श्री बाल मुकुन्द | 437846(आर) | 01.11.2018 से 31.03.2019 | 10595 |
| | | श्री धूल सिंह सोढा | 557214(आर) | 01.08.2014 से 30.09.2014 | 2700 |
| | | श्री भैरू लाल रेगर | 562033(आर) | 01.06.2015 से 31.05.2016 | 14520 |
| | | श्री सोहन लाल पारीक | 566912(आर) | 01.03.2019 से 30.11.2021 | 49698 |
| | | श्री पन्ना लाल रेगर | 561695(आर) | 01.03.2015 से | 18733 |

| क्रम संख्या | कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम | पी.पी.ऑ संख्या | अधिक भुगतान की अवधि | पेंशनर से वसूली योग्य राशि ₹ |
|-------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | 31.03.2016 | |
| | | श्री गोरधन लाल जाट | 565594(आर) | 01.01.2017 से 31.03.2018 | 11325 |
| | | श्री त्रिलोक चन्द रैगर | 572299 (आर) | 01.07.2017 से 31.01.2023 | 38525 |
| | | श्री खुमान लाल रेगर | 580983 (आर) | 01.12.2017 से 31.01.2023 | 21328 |
| | | श्री मांगी लाल रैगर | 565546 (आर) | 01.01.2018 से 28.02.2018 | 1932 |
| | | | | 01.01.2018 से 31.01.2023 | 12993 |
| | | श्री गणेश लाल रेगर | 1029286 (आर) | 01.02.2017 से 31.01.2023 | 14760 |
| 13 | बारां | श्री गोबरी लाल | 759575 (आर) | 01.10.2015 से 29.02.2016 | 2930 |
| | | श्री मोहन लाल भाटिया | 759802 (आर) | 01.02.2016 से 29.02.2016 | 1483 |
| | | श्री महावीर प्रसाद शर्मा | 705298 (आर) | 01.10.2017 से 31.10.2018 | 17745 |
| | | श्री जमना लाल | 762181 (आर) | 01.11.2016 से 31.05.2017 | 8981 |
| | | श्री रामप्रताप अनिल | 768600 (आर) | 01.02.2022 से 31.10.2022 | 33966 |
| 14 | जालौर | श्री विरमा राम दहिया | 639888(आर) | 01.10.2021 से 28.02.2023 | 36907 |
| | | श्री भंवर लाल खवास | 441109(आर) | 01.11.2021 से 28.02.2023 | 7504 |
| | | श्री रमेश कुमार | 1081406(आर) | 13.05.2019 से 30.11.2020 | 103730 |
| | | श्री हंसराज गहलोत | 437586(आर) | 01.06.2018 से 30.09.2018 | 5532 |
| | | श्री बिहारी सिंह | 441147(आर) | 01.11.2021 से 28.02.2023 | 12160 |
| 15 | पाली | श्री मनमोहन चारण | 456891 (आर) | 01.03.2019 से 28.02.2023 | 9216 |
| 16 | कोटा | श्री ओम प्रकाश शर्मा | 767051 (आर) | 01.06.2021 से 31.08.2021 | 10749 |
| | | श्री बाल मुकुन्द गुप्ता | 765868 (आर) | 01.01.2021 से 31.01.2021 | 2325 |
| | | श्रीमती मगन माला गोयल | 760722 (आर) | 01.08.2016 से 31.08.2016 | 1257 |
| योग ₹ | | | | | 1867462 |

परिशिष्ट संख्या - 15

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.5)

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत गलत पेंशन निर्धारण कर अधिक भुगतान का
विवरण

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम एवं पी.पी.ऑ संख्या | देय मासिक पेंशन ₹ | गलत निर्धारण की गई मासिक पेंशन ₹ | अधिक भुगतान की अवधि | माह | कुल अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|------------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------|
| 1 | जोधपुर (ग्रामीण) | श्री उम्मेद सिंह 425555 (आर) | 18455 | 22146 | 04/2022 से 09/2022 | 6 | 35617 |
| 2 | झुन्झुनू | श्री रघुवीर सिंह 1005121 (आर) | 43900 | 44500 | 01.01.2017 से 31.12.2022 | 72 | 50688 |
| 3 | हनुमानगढ़ | श्री मनोराम 1043631 (आर) | 32600 | 33600 | 01.01.2022 से 31.12.2022 | 12 | 16320 |
| 4 | राजसमन्द | श्रीमती मीना शर्मा 553436 (आर) एस.एफ. | 11070 | 16700 | 01.01.2017 से 31.01.2023 | 73 | 483371 |
| 5 | बारां | श्रीमती पुष्पा बाई पत्नि स्व. श्री मांगी लाल 759469 (आर) | 8867 | 11050 | 11/2019 | 1 | 2554 |
| 6 | जालौर | श्रीमती मोरी देवी पत्नि स्व. श्री सोहनपुरी 2000368 (आर) | 8970 | 9967 | 01.12.2021 से 28.02.2023 | 16 | 20329 |
| योग ₹ | | | | | | | 608879 |

परिशिष्ट संख्या - 16

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.7)

मरणोपरांत पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन राशि हस्तांतरण कर अधिक भुगतान का विवरण

| क्रम संख्या | कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम / मृत्यु की तिथि | पी.पी.ऑ संख्या | अधिक भुगतान की अवधि | पेंशन राशि का अनियमित भुगतान राशि ₹ |
|-------------|------------------|---|----------------|--|-------------------------------------|
| 1 | झालावाड़ | श्री बंशी लाल शर्मा 04.12.2020 | 32652 (आर) | 05.12.2020 से 31.05.2021 | 155986 |
| | | श्री मोहन लाल शर्मा 12.09.2019 | 704697 (आर) | 13.09.2019 से 29.02.2020 | 163515 |
| | | श्री गिरिराज शरण शर्मा 27.05.2014 | 760083 (आर) | 01.08.2014 से 30.11.2014 | 41481 |
| | | श्रीराम शरनानन्द चतुर्वेदी 22.04.2022 | 775053 (आर) | 23.04.2022 से 31.05.2022 | 64994 |
| 2 | जोधपुर (ग्रामीण) | श्री हर नारायण माथूर 17.01.2019 | 37114 (आर) | 18.01.2019 से 31.01.2019 | 27549 |
| | | श्रीमती कमला भंसाली 31.01.2015 | 32717 (आर) | 01.08.2015 से 31.08.2015 | 13153 |
| | | श्री राम नारायण 30.05.2016 | 437337 (आर) | 31.05.2016 से 30.06.2016 | 8977 |
| | | श्रीमती माया जोशी 02.02.2016 | 400690 (आर) | 03.02.2016 से 29.02.2016 | 28199 |
| | | श्रीमती शान्ति देवी 22.04.2016 | 25146 (आर) | 23.04.2016 से 31.12.2016 | 65790 |
| 3 | करौली | श्री हरकेश सिंह 09.05.2022 | 1058522 (आर) | 10.05.2021 से 30.11.2021 एवं 01.03.2022 से 31.10.2022 | 407659 |
| 4 | धौलपुर | श्री दीन दयाल शुक्ला 17.03.2020 | 1066674 (आर) | 18.03.2020 से 28.02.2021 | 12064 |
| 5 | बूंदी | श्रीमती रामसुखी बाई पत्नी स्व. श्री सीताराम 25.07.2017 | 754495 (आर) | 26.07.2017 से 31.10.2017 | 30057 |
| | | श्रीमती लाडकंवर पत्नी स्व. श्री दुर्गाशंकर गौतम 27.07.2021 | 701755 (आर) | 28.07.2021 से 31.10.2021 | 179631 |
| | | जमीला बानो पत्नी स्व. ईद मोहम्मद 26.03.2022 | 759775 (आर) | 27.03.2022 से 31.07.2022 | 68879 |
| | | श्री रामकिशन सैनी 25.08.2022 | 1089072 (आर) | 26.08.2022 से 31.10.2022 | 27285 |

| क्रम संख्या | कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम / मृत्यु की तिथि | पी.पी.ओं संख्या | अधिक भुगतान की अवधि | पेंशन राशि का अनियमित भुगतान राशि ₹ |
|-------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 6 | श्री गंगानगर | श्रीमती गुरदयाल 07.01.2018 | 19148 (आर) | 08.01.2018 से 31.03.2018 | 25830 |
| 7 | सवाई माधोपुर | श्री रामदयाल सिंघानिया 18.08.2013 | 856216 (आर) | 19.08.2013 से 31.08.2013 एवं 01.10.2013 से 31.10.2013 | 47677 |
| 8 | सिरोही | श्री डूंगा राम पुरोहित 19.10.2020 | 446347 (आर) | 20.10.2020 से 31.10.2020 | 14366 |
| | | श्री प्रताप सिंह सॉलकी 27.01.2019 | 51367 (आर) | 28.01.2019 से 31.01.2019 | 3298 |
| 9 | झुन्झुनू | श्रीमती अशमत बानो 02.06.2018 | 147035 (आर) | 03.06.2018 से 31.08.2018 | 44095 |
| 10 | हनुमानगढ़ | श्रीमती दलजीत कौर 21.04.2022 | 111237 (आर) | 22.04.2022 से 31.12.2022 | 174252 |
| | | श्री लाधू राम 01.11.2022 | 605645 (आर) | 02.11.2020 से 28.02.2021 | 141459 |
| 11 | टोंक | मोहम्मद अल्लाह खान 02.02.2016 | 877507 (आर) | 03.02.2016 से 31.05.2016 | 79662 |
| | | श्री कैलाश चन्द हरिजन 09.01.2018 | 867062 (आर) | 10.01.2018 से 31.03.2018 | 29376 |
| 12 | राजसमन्द | श्री गणेश लाल 29.08.2022 | 554808 (आर) | 30.08.22 से 31.10.22 | 38104 |
| | | श्री उदय राम 12.03.2021 | 555199 (आर) | 13.03.21 से 31.10.21 | 112300 |
| | | श्री रतन लाल दाधीच 29.05.2019 | 561484 (आर) | 30.05.19 से 30.11.19 | 156325 |
| | | श्री छीतर मल तेली 13.12.2020 | 881027 (आर) | 14.12.20 से 31.01.21 | 20742 |
| 13 | पाली | श्री लालदान चारण 14.06.2021 | 4201779 (आर) | 15.06.2021 से 31.01.2022 | 98996 |
| 14 | कोटा | श्री गंगा बिसन ओझा 29.08.2021 | 14132 (आर) | 30.08.21 से 28.02.23 | 3439 |
| योग | | | | | 2285140 |

परिशिष्ट संख्या - 17

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.8)

पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर मूल दर से पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान का विवरण

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|--------|---------------------------|---|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | अजमेर | किशनगढ़ | श्री राधेश्याम दाधीच 1133182 (आर) | 4154300 (आर) 15.10.2020 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 24.02.2021 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2021 से 31.01.2021 | 6516 |
| | | | श्री निजाम मोहम्मद 1127080 (आर) | 4147977 (आर) 11.08.2020 | O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467 | 1202846/- 30.12.2020 | 01.11.2020 | 11.11.2020 | 11.11.2020 से 30.11.2020 | 8155 |
| | | | श्रीमती शशि कान्ता 1111848 (आर) | 4131611 (आर) 21.11.2019 | O.P. 28461 C.P. 9487 R.P. 18974 | 932838/- 02.06.2020 | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 01.03.2020 से 30.04.2020 | 18974 |
| | | | श्रीमती मनोहर देवी शर्मा 1127958 (आर) | 4148895 (आर) 17.08.2020 | O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900 | 585052/- 29.01.2021 | 01.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 से 31.12.2020 | 8727 |
| | | | श्रीमती प्रेम 1117218 (आर) | 4137565 (आर) 26.02.2020 | O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234 | 552210/- 09.06.2020 | 01.04.2020 | 26.05.2020 | 26.05.2020 से 31.05.2020 | 1087 |
| | | केकडी | श्रीमती निर्मला कुमारी छीपा 1112706 (आर) | 4132564 (आर) 04.12.2019 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 21.07.2020 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 01.04.2020 से 30.06.2020 | 35649 |
| | | | श्री प्रहलाद राय शर्मा 1111828 (आर) | 4131587 (आर) 21.11.2019 | O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467 | 1202846/- 06.05.2020 | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 01.03.2020 से 30.04.2020 | 24466 |
| | | | श्री गोविन्द दास साधु 1115851 (आर) | 4136029 (आर) 24.01.2020 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 22.05.2020 | 01.04.2020 | 24.04.2020 | 24.04.2020 से 30.04.2020 | 2773 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|---------|---------------------------|---|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2 | दौसा | बसवा | श्री मूल चन्द रैगर 1118963 (आर) | 4139512 (आर) 17.03.2020 | O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900 | 585052/- 04.09.2020 | 01.08.2019 | 17.06.2020 | 17.06.2020 से 31.07.2020 | 8727 |
| | | | श्री धर्मवोध अवस्थी 1118653 (आर) | 4139170 (आर) 12.03.2020 | O.P. 56900 C.P. 18966 R.P. 37934 | 1864889/- 14.09.2020 | 01.04.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 से 31.07.2020 | 30978 |
| | | लालसोट | श्री भगवान सहाय मीना 1142326 (आर) | 4163816 (आर) 10.03.2021 | O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900 | 585052/- 02.08.2021 | 01.05.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 से 30.06.2021 | 4165 |
| | | | श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी 1152521 (आर) | 4174358 (आर) 08.09.2021 | O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467 | 1202846/- 21.01.2022 | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 08.12.2021 से 31.12.2021 | 9471 |
| | | दौसा | श्री फूलचंद माली 1120241 (आर) | 4140890 (आर) 01.04.2020 | O.P. 23950 C.P. 7983 R.P. 15967 | 784952/- 02.02.2021 | 01.06.2019 | 01.07.2020 | 01.07.2020 से 31.12.2020 | 47898 |
| | | | श्री मोहन लाल शर्मा 1145278 (आर) | 4166913 (आर) 30.04.2021 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 01.10.2021 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 01.08.2021 से 31.08.2021 | 11883 |
| | | | श्री गोकुल 1126097 (आर) | 4146979 (आर) 27.07.2020 | O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567 | 568631/- 24.11.2020 | 01.05.2020 | 27.10.2021 | 27.10.2020 से 31.10.2020 | 933 |
| | | | श्री राम सिंह गुर्जर 1134138 (आर) | 4155285 (आर) 27.10.2020 | O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567 | 568631/- 16.03.2021 | 01.08.2020 | 27.01.2021 | 27.01.2021 से 31.01.2021 | 933 |
| 3 | बीकानेर | नोखा | श्री र्भैरु सिंह 1111816 (आर) | 4131576 (आर) 21.11.2019 | O.P. 18250 C.P. 6083 R.P. 12167 | 598129/- 27.07.2020 | 01.09.2019 | 21.02.2020 | 21.02.2020 से 30.06.2020 | 26220 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|--------|---------------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | श्री जय नारायण शर्मा 1117369 (आर) | 4137725 (आर) 17.02.2020 | O.P. 20500 C.P. 6833 R.P. 13667 | 671875/- 08.10.2020 | 01.01.2020 | 17.05.2020 | 17.05.2020 से 31.08.2020 | 23805 |
| | | | श्री अभव सिंह यादव 1114352 (आर) | 4134373 (आर) 31.12.2019 | O.P. 33600 C.P. 11200 R.P. 22400 | 1101274/- 16.06.2020 | 01.02.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 से 31.05.2020 | 22761 |
| | | | श्री कालू राम 1117399 (आर) | 4137758 (आर) 19.02.2020 | O.P. 16000 C.P. 5333 R.P. 10667 | 524383/- 28.10.2020 | 01.03.2020 | 19.05.2020 | 19.05.2020 से 31.08.2020 | 18235 |
| | | | श्री राम चन्दर रिन्दोर 1113295 (आर) | 4133234 (आर) 11.12.2019 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 31.08.2020 | 01.03.2020 | 11.03.2020 | 11.03.2020 से 31.07.2020 | 55582 |
| | | | श्री सीता राम शर्मा 1116414 (आर) | 4136656 (आर) 31.01.2020 | O.P. 14891 C.P. 4963 R.P. 9928 | 488002/- 16.06.2020 | 01.01.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 से 31.05.2020 | 5128 |
| | | कोलायत | श्री ओम प्रकाश विश्नोई 1102924 (आर) | 4121312 (आर) 16.07.2019 | O.P. 33525 C.P. 11175 R.P. 22350 | 1098815/- 19.12.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 से 30.11.2019 | 11175 |
| | | | श्रीमती छोटी देवी 1119662 (आर) | 4140278 (आर) 03.04.2020 | O.P. 10324 C.P. 3441 R.P. 6883 | 338347/- 16.12.2020 | 01.07.2019 | 03.07.2020 | 03.07.2020 से 31.10.2020 | 13542 |
| | | | श्री सुनील कुमार 1140935 (आर) | 4162353 (आर) 10.02.2021 | O.P. 52450 C.P. 17483 R.P. 34967 | 1719068/- 06.09.2021 | 01.03.2021 | 10.05.2021 | 10.05.2021 से 31.05.2021 | 12407 |
| | | | श्री उदयवीर सिंह यादव 1092530 (आर) | 4108240 (आर) 18.02.2019 | O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900 | 535888/- 03.08.2019 | 01.02.2019 | 18.05.2019 | 18.05.2019 से 31.05.2019 | 2461 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|-------------|---------------------------|---|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | लूनकरनसर | श्री सुरेश सिंह 1141492 (आर) | 4162956 (आर) 17.02.2021 | O.P. 19350 C.P. 6450 R.P. 12900 | 634216/- 27.01.2022 | 01.12.2020 | 17.05.2021 | 17.05.2021 से 31.10.2021 | 35371 |
| | | खाजूवाला | श्री सुरजा राम 1105225 (आर) | 4123999 (आर) 16.08.2019 | O.P. 17700 C.P. 5900 R.P. 11800 | 597977/- 19.12.2019 | 01.11.2018 | 16.11.2019 | 16.11.2019 से 30.11.2019 | 2950 |
| | | | श्री विष्णु भगवान विश्णोई 1115336 (आर) | 4135471 (आर) 16.01.2020 | O.P. 27750 C.P. 9250 R.P. 18500 | 909534/- 09.06.2020 | 01.04.2020 | 16.04.2020 | 16.04.2020 से 30.04.2020 | 4625 |
| | | | श्री रामजी लाल 1118491 (आर) | 4138985 (आर) 04.03.2020 | O.P. 18200 C.P. 6066 R.P. 12134 | 596458/- 31.07.2020 | 01.06.2020 | 04.06.2020 | 04.06.2020 से 30.06.2020 | 5459 |
| 4 | सीकर | खण्डेला | श्री भगवान सहाय 1117324 (आर) | 4137676 (आर) / 19.02.2020 | O.P. 16550 C.P. 5516 R.P. 11034 | 542377/- 06.08.2020 | 01.04.2020 | 19.05.2020 | 19.05.2020 से 30.06.2020 | 7829 |
| | | | श्री जय राम जाट 1115712 (आर) | 4135880 (आर) / 29.01.2020 | O.P. 28600 C.P. 9533 R.P. 19067 | 937361/- 01.07.2020 | 01.01.2020 | 29.04.2020 | 29.04.2020 से 31.05.2020 | 10169 |
| | | | श्री फूलचन्द जाट 1097000 (आर) | 4114288 (आर) / 09.05.2019 | O.P. 33500 C.P. 11166 R.P. 22334 | 1110392/- 14.10.2019 | 01.09.2018 | 09.08.2019 | 09.08.2019 से 30.09.2019 | 19450 |
| 5 | चित्तौड़गढ़ | रावतभाटा | श्री शंकर लाल भोई 1131266 (आर) | 4152329 (आर) / 17.09.2020 | O.P. 15877 C.P. 5292 R.P. 10585 | 520352/- 19.03.2021 | 01.12.2019 | 17.12.2020 | 17.12.2020 से 31.07.2021 | 39604 |
| | | कपासन | श्री लाभ चन्द अहीर 1152498 (आर) | 4174337 (आर) / 24.08.2021 | O.P. 43850 C.P. 14616 R.P. 29234 | 1437162/- 12.11.2021 | 01.01.2021 | 12.11.2021 | 12.11.2021 से 30.11.2021 | 9257 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | चित्तौड़गढ़ | श्रीमती मंजू पालीवाल 1144346 (आर) | 4165956 (आर) / 12.05.2021 | O.P. 28170 C.P. 9390 R.P. 18780 | 923300/- 01.10.2021 | 01.07.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 से 31.08.2021 | 6058 |
| | | | श्री पृथ्वी सिंह अखावत 1148508 (आर) | 4170229 (आर) / 02.07.2021 | O.P. 36600 C.P. 12200 R.P. 24400 | 1199602/- 19.08.2021 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 01.08.2021 से 18.08.2021 | 7084 |
| | | | श्री नाना लाल अहीर 1156874 (आर) | 4178881 (आर) / 29.10.2021 | O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900 | 585052/- 25.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 से 24.11.2021 | 4760 |
| | | | श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 1156412 (आर) | 4178416 (आर) / 22.10.2021 | O.P. 75700 C.P. 25233 R.P. 50467 | 2416918/- 30.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 से 29.11.2021 | 24392 |
| | | | श्री कमलेश खटवानी 1157840 (आर) | 4179866 (आर) / 16.11.2021 | O.P. 34500 C.P. 11500 R.P. 23000 | 1130772/- 23.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 से 22.12.2021 | 8161 |
| | | | श्री लीम जी मीना 1157952 (आर) | 4179993 (आर) / 17.11.2021 | O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567 | 568631/- 19.01.2022 | 01.05.2021 | 19.01.2022 | 19.01.2022 से 31.01.2022 | 2425 |
| | | | श्रीमती विनय शर्मा 1160170 (आर) | 4182335 (आर) / 28.12.2021 | O.P. 96450 C.P. 32150 R.P. 64300 | 3161245/- 19.01.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2022 से 31.01.2022 | 32150 |
| | | | श्री नटवर लाल जागेटिया 1157276 (आर) | 4179287 (आर) / 08.11.2021 | O.P. 47950 C.P. 15983 R.P. 31967 | 1571576/- 19.01.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2022 से 31.01.2022 | 15983 |
| | | | श्री देवी लाल जाट 1158045 (आर) | 4180092 (आर) / 18.11.2021 | O.P. 37800 C.P. 12600 R.P. 25200 | 1238933/- 19.01.2022 | 01.11.2021 | 19.01.2022 | 19.01.2022 से 31.01.2022 | 5284 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | श्री गोपाल लाल सुखवाल 1161660 (आर) | 4183860 (आर) / 20.01.2022 | O.P. 43700 C.P. 14566 R.P. 29134 | 1432246/- 21.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 से 28.02.2022 | 14566 |
| 6 | जयपुर (पेंशन) | जयपुर (पेंशन) | श्रीमती विमला 1140799 (आर) | 4162209 (आर) / 10.02.2021 | O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567 | 568631/- 26.07.2021 | 01.03.2020 | 10.05.2021 | 10.05.2021 से 30.06.2021 | 9887 |
| 7 | डूंगरपुर | डूंगरपुर | श्री लक्ष्मण लाल मीना 1141467 (आर) | 4162932 (आर) 25.02.2021 | O.P. 35550 C.P. 11850 R.P. 23700 | 1165187/- 12.07.21 | 01.11.2020 | 25.05.2021 | 25.05.2021 से 30.06.2021 | 14526.00 |
| 8 | उदयपुर (ग्रामीण) | ऋषभदेव | श्री लक्ष्मण सिंह मीणा 1118805 (आर) | 4139342(आर) 12.03.2020 | O.P. 26950 C.P. 8983 R.P. 17967 | 883280/- 19.11.2020 | 01.04.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 से 31.08.2020 | 23655 |
| | | | श्री धूलाराम मीणा 1118016 (आर) | 4138466(आर) 27.02.2020 | O.P. 16500 C.P. 5500 R.P. 11000 | 540804/- 14.08.202 | 01.03.2020 | 27.05.2020 | 27.05.2020 से 30.06.2020 | 6387 |
| | | | श्री नाथुलाल मीणा 1134172 (आर) | 4155320(आर) 23.10.2020 | O.P. 17200 C.P. 5733 R.P. 11467 | 563714/- 24.03.2021 | 01.01.2021 | 23.01.2021 | 23.01.2021 से 28.02.2021 | 7397 |
| | | | श्री धनपाल 1132134 (आर) | 4153220(आर) 30.09.2020 | O.P. 28600 C.P. 9533 R.P. 19067 | 937361/- 11.05.2021 | 01.12.2020 | 30.12.2020 | 30.12.2020 से 31.03.2021 | 29214 |
| | | | श्री मोहन लाल मीणा 1113702 (आर) | 4133666(आर) 17.12.2019 | O.P. 19900 C.P. 6633 R.P. 13267 | 652210/- 16.09.2020 | 01.01.2020 | 17.03.2020 | 17.03.2020 से 30.04.2020 | 9843 |
| | | | श्रीमती मंगली देवी मीणा 1122600 (आर) | 4143320(आर) 16.06.2020 | O.P. 9467 C.P. 3155 R.P. 6312 | 310225/- 28.01.2021 | 01.07.2020 | 16.09.2020 | 16.09.2020 से 31.12.2020 | 11042 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | लसाडिया | श्री अयनूर खान 1119039 (आर) | 4139609 (आर) 16.03.2020 | O.P. 28700 C.P. 9566 R.P. 19134 | 940606/- 24.11.2020 | 01.12.2019 | 16.06.2020 | 16.06.2020 से 31.10.2020 | 43047 |
| | | | श्री रतन मीणा 1118828 (आर) | 4139364 (आर) 13.03.2020 | O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234 | 552210/- 22.07.2020 | 01.04.2020 | 13.06.2020 | 13.06.2020 से 30.06.2020 | 3370 |
| 9 | बांसवाड़ा | परतापुर (गढ़ी) | श्री मोहन लाल आदिवासी 1083199 (आर) | 4094262 (आर) / 11.10.2018 | O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234 | 552210/- 07.02.2019 | 01.08.2018 | 11.01.2019 | 11.01.2019 से 31.01.2019 | 3804 |
| | | बागीदौरा | श्री भगवती लाल जोशी 1101209 (आर) | 4119352 (आर) / 26.06.2019 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 16.10.2019 | 01.09.2019 | 26.09.2019 | 26.09.2019 से 30.09.2019 | 1981 |
| 10 | जोधपुर (ग्रामीण) | जोधपुर (ग्रामीण) | श्री भंवर सिंह डूडी 1147487(आर) | 4169193(आर) 24.06.2021 | O.P. 41200 C.P. 13733 R.P. 27467 | 1350338/- 28.02.2022 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 से 27.02.2022 | 54442 |
| | | | डॉ. रंजना माथुर 1164747 (आर) | 4187059(आर) 22.03.2022 | O.P. 109300 C.P. 36433 R.P. 72867 | 3318755/- 08.09.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 से 31.08.2022 | 36433 |
| | | | श्री त्रिभुवन जोशी 1147064 (आर) | 4168762(आर) 17.06.2021 | O.P. 30350 C.P. 10116 R.P. 20234 | 994686/- 21.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 से 20.02.2022 | 7226 |
| | | | श्रीमती पुष्पा कुमारी 1156453 (आर) | 4178456(आर) 29.10.2021 | O.P. 33000 C.P. 11000 R.P. 22000 | 1081608/- 28.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 से 27.02.2022 | 10607 |
| | | | श्री राजू सिंह 1146147 (आर) | 4167794(आर) 28.05.2021 | O.P. 33525 C.P. 11175 R.P. 22350 | 1098815/- 25.11.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 से 31.10.2021 | 22350 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | डॉ. शर्मिला गौड़ 1145892 (आर) | 4167538(आर) 21.05.2021 | O.P. 45382 C.P. 15127 R.P. 30255 | 1487408/- 09.11.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 से 30.09.2021 | 15127 |
| | | | श्री बलवीर सिंह 1157245 (आर) | 4179254(आर) 03.11.2021 | O.P. 33600 C.P. 11200 R.P. 22400 | 1101274/- 07.04.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 से 31.03.2022 | 11200 |
| | | | श्रीमती सीतादेवी 1133475 (आर) | 4154603(आर) 23.10.2020 | O.P. 16249 C.P. 5416 R.P. 10833 | 532544/- 21.03.2022 | 01.06.2020 | 23.01.2021 | 23.01.2021 से 28.02.2022 | 71980 |
| | | | श्री विमलेश कुमार पुरोहित 1156494 (आर) | 4178496(आर) 29.10.2021 | O.P. 35700 C.P. 11900 R.P. 23800 | 1170103/- 07.04.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 से 31.03.2022 | 11900 |
| | | | श्रीमती लक्ष्मी कर्नौजिया 1156957 (आर) | 4178963(आर) 01.11.2021 | O.P. 40150 C.P. 13383 R.P. 26767 | 1315924/- 30.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 से 29.03.2022 | 12520 |
| | | | श्रीमती सुमन भाटी 1146074 (आर) | 4167717(आर) 26.05.2021 | O.P. 31340 C.P. 10446 R.P. 20894 | 1027134/- 24.11.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 से 31.10.2021 | 10446 |
| | | | श्रीमती आचुकी 1150306 (आर) | 4172072(आर) 29.07.2021 | O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567 | 568631/- 03.03.2022 | 01.06.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 से 28.02.2022 | 23692 |
| | | शेरगढ़ | श्री रिडमल सिंह राठौड़ 1108353 (आर) | 4127609(आर) 20.09.2019 | O.P. 45200 C.P. 15066 R.P. 30134 | 1481410/- 30.03.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 से 31.01.2020 | 15066 |
| | | | श्री आम सिंह 1116862 (आर) | 4137169(आर) 13.02.2020 | O.P. 41300 C.P. 13766 R.P. 27534 | 1353583/- 19.06.2020 | 01.03.2020 | 13.05.2020 | 13.05.2020 से 31.05.2021 | 8437 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|--------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | श्री भंवरा राम 1087463 (आर) | 4101340(आर) 20.12.2018 | O.P. 14292 C.P. 4764 R.P. 9528 | 468435/- 16.08.2019 | 01.05.2018 | 20.03.2019 | 20.03.2019 से 31.07.2019 | 20900 |
| | | | श्री विजय कुमार शर्मा 1117314 (आर) | 4137669(आर) 20.02.2020 | O.P. 33600 C.P. 11200 R.P. 22400 | 1101274/- 19.06.2020 | 01.01.2020 | 20.05.2020 | 20.05.2020 से 31.05.2020 | 4335 |
| | | भोपालगढ़ | श्री बाबू लाल 1137594 (आर) | 4158909(आर) 23.12.2020 | O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900 | 585052/- 12.05.2021 | 01.11.2020 | 23.03.2021 | 23.03.2021 से 30.04.2021 | 7677 |
| | | | श्री ओम प्रकाश डूडी 1141309 (आर) | 4162766(आर) 19.02.2021 | O.P. 18800 C.P. 6266 R.P. 12534 | 616123/- 02.08.2021 | 01.09.2020 | 19.05.2021 | 19.05.2021 से 30.06.2021 | 8894 |
| | | | श्री मदन लाल 1117232 (आर) | 4137578(आर) 18.02.2020 | O.P. 18250 C.P. 6083 R.P. 12167 | 621342/- 19.06.2020 | 01.09.2019 | 18.05.2020 | 18.05.2020 से 31.05.2020 | 2747 |
| | | | श्री स्वरूप सिंह 1112692 (आर) | 4132548(आर) 04.12.2019 | O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467 | 1202846/- 28.04.2020 | 01.01.2020 | 04.03.2020 | 04.03.2020 से 31.03.2020 | 11049 |
| 11 | करौली | हिन्डौन | श्री रामस्वरूप गुर्जर 1108258 (आर) | 4127500 (आर) 26.09.2019 | O.P. 16500 C.P. 5500 R.P. 11000 | 540804/- 03.03.2020 | 01.09.2019 | 26.12.2019 | 26.12.2019 से 31.01.2020 | 6565 |
| | | | श्री सुरेश सिंह वर्मा 1113819 (आर) | 4133802 (आर) 26.12.2019 | O.P. 33600 C.P. 11200 R.P. 22400 | 1101274/- 05.05.2020 | 01.02.2020 | 26.03.2020 | 26.03.2020 से 30.04.2020 | 13368 |
| | | करौली | श्री साधू लाल शर्मा 1146316 (आर) | 4167973 (आर) 04.06.2021 | O.P. 16500 C.P. 5500 R.P. 11000 | 540804/- 29.12.2021 | 01.02.2021 | 04.09.2021 | 04.09.2021 से 30.11.2021 | 15950 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 12 | बूंदी | इन्द्रगढ़ | श्री कालू 1149875 (आर) | 4171631 (आर) 20.07.2021 | O.P. 18400 C.P. 6133 R.P. 12267 | 603046/- 22.12.2021 | 01.08.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 से 30.11.2021 | 8507 |
| | | | श्री रमेश चन्द शर्मा 1093729 (आर) | 4109922 (आर) 09.04.2019 | O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900 | 535888/- 06.08.2019 | 01.10.2018 | 09.07.2019 | 09.07.2019 से 31.07.2019 | 4044 |
| | | | श्री मोडू गुर्जर 1135001 (आर) | 4156161 (आर) 11.11.2020 | O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567 | 568631/- 23.03.2021 | 01.08.2020 | 11.02. 2021 | 11.02.2021 से 28.02.2021 | 3718 |
| | | हिण्डोली | श्री सूख लाल 1117372 (आर) | 4137728 (आर) 18.02.2020 | O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234 | 552210/- 23.07.2020 | 01.01.2020 | 18.05.2020 | 18.05.2020 से 31.05.2020 | 2536 |
| 13 | श्रीगंगानगर | रायसिंहनगर | श्री राकेश कुमार 1118292 (आर) | 4138774 (आर) 04.03.2020 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 16.07.2020 | 01.03.2020 | 04.06.2020 | 04.06.2020 से 30.06.2020 | 10695 |
| | | | श्रीमती शान्ती व्यास 1116797 (आर) | 4137104 (आर) 07.02.2020 | O.P. 31650 C.P. 10550 R.P. 21100 | 1037360/- 22.06.2020 | 01.03.2020 | 07.05.2020 | 07.05.2020 से 31.05.2020 | 8508 |
| | | | श्री श्रवण कुमार 1110015 (आर) | 4129529 (आर) 16.10.2019 | O.P. 17650 C.P. 5883 R.P. 11767 | 578464/- 18.02.2020 | 01.07.2019 | 16.01.2020 | 16.01.2020 से 31.01.2020 | 3036 |
| | | | श्री स्वरूप चंद 1161422 (आर) | 4183610 (आर) 18.01.2022 | O.P. 32400 C.P. 10800 R.P. 21600 | 1061942/- 17.05.2022 | 01.02.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 से 16.05.2022 | 10254 |
| | | अनूपगढ़ | श्री लूणाराम बाबरी 1116202 (आर) | 4136427 (आर) 29.01.2020 | O.P. 33500 C.P. 11166 R.P. 22334 | 1121647/- 30.07.2020 | 01.11.2019 | 29.04.2020 | 29.04.2020 से 30.06.2020 | 23076 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|-----------|---------------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | श्री प्रीतम सिंह 1119730 (आर) | 4140342 (आर) 09.04.2020 | O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900 | 585052/- 23.09.2020 | 01.04.2020 | 09.07.2020 | 09.07.2020 से 31.08.2020 | 10365 |
| | | | श्री मदन लाल 1138254 (आर) | 4159580 (आर) 31.12.2020 | O.P. 19350 C.P. 6450 R.P. 12900 | 634216/- 20.12.2021 | 01.08.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2021 से 30.11.2021 | 51808 |
| | | | श्री लाखन सिंह 1136994 (आर) | 4158265 (आर) 11.12.2020 | O.P. 11820 C.P. 3940 R.P. 7880 | 387412/- 08.12.2021 | 01.02.2016 | 11.03.2021 | 11.03.2021 से 30.11.2021 | 34189 |
| | | श्रीगंगानगर | श्री देवेन्द्र कुमार जैन 1158177 (आर) | 4180236 (आर) 25.11.2021 | O.P. 50600 C.P. 16866 R.P. 33734 | 1658400/- 19.05.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 से 30.04.2022 | 16866 |
| | | | श्री किशन चन्द 1167342 (आर) | 4189789 (आर) 26.04.2022 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 28.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 से 31.07.2022 | 11883 |
| 14 | चूरू | चूरू | श्री केशर देव 1151073 (आर) | 4172851 (आर) 04.08.2021 | O.P. 21100 C.P. 7033 R.P. 14067 | 691541/- 24.05.2022 | 01.09.2021 | 04.11.2021 | 04.11.2021 से 30.04.2022 | 41495 |
| 15 | झुन्झुनू | मलसीसर | श्री गिरधारी लाल शर्मा 1113557 (आर) | 4133515 (आर) 06.01.2020 | O.P. 21100 C.P. 7033 R.P. 14067 | 691541/- 31.07.2020 | 01.08.2019 | 06.04.2020 | 06.04.2020 से 30.06.2020 | 19927 |
| 16 | हनुमानगढ़ | भादरा | श्रीमती शकुन्तला आर्य 1095373 (आर) | 4112187 (आर) 02.04.2019 | O.P. 33600 C.P. 11200 R.P. 22400 | 1101274/- 17.12.2019 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 01.08.2019 से 30.11.2019 | 44800 |
| | | | श्री मदन पाल 1114017 (आर) | 4134007 (आर) 31.12.2019 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 01.06.2020 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 01.04.2020 से 30.04.2020 | 11883 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | श्री राम प्रताप 1114812 (आर) | 4134865 (आर) 20.01.2020 | O.P. 31250 C.P. 10416 R.P. 20834 | 1024184/- 10.06.2020 | 01.10. 2019 | 20.04.2020 | 20.04.2020 से 31.05.2020 | 14235 |
| | | | श्री राम निवास 1117062 (आर) | 4137397 (आर) 12.02.2020 | O.P. 30520 C.P. 10173 R.P. 20347 | 1000291/- 26.08.2020 | 01.02.2020 | 12.05.2020 | 12.05.2020 से 31.07.2020 | 26909 |
| | | | श्रीमती जयवन्ती देवी 1102929 (आर) | 4121318 (आर) 16.07.2019 | O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567 | 568631/- 19.12.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 से 30.11.2019 | 8768 |
| | | नोहर | श्री देवीलाल सहारण 1126382 (आर) | 4147277 (आर) 28.07.2020 | O.P. 37800 C.P. 12600 R.P. 25200 | 1238933/- 29.12.2020 | 01.08.2020 | 28.10.2020 | 28.10.2020 से 30.11.2020 | 14226 |
| | | | श्री ओम प्रकाश सिहाग 1123439 (आर) | 4144198 (आर) 29.06.2020 | O.P. 35550 C.P. 11850 R.P. 23700 | 1165187/- 24.11.2020 | 01.09.2020 | 29.09.2020 | 29.09.2020 से 31.10.2020 | 12640 |
| | | | श्री शंकर लाल 1119446 (आर) | 4140057 (आर) 27.03.2020 | O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567 | 568631/- 05.11.2020 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 01.08.2020 से 30.09.2020 | 11566 |
| | | | श्री भूप सिंह 1113367 (आर) | 4133307 (आर) 13.12.2019 | O.P. 38950 C.P. 12983 R.P. 25967 | 1276592/- 22.05.2020 | 01.02.2020 | 13.03.2020 | 13.03.2020 से 30.04.2020 | 20940 |
| | | | श्री बिचे लाल 1117038 (आर) | 4137368 (आर) 12.02.2020 | O.P. 23350 C.P. 7783 R.P. 15567 | 765287/- 16.07.2020 | 01.02.2020 | 12.05.2020 | 12.05.2020 से 30.06.2020 | 12804 |
| | | रावतसर | श्री भागीरथ शर्मा 1117170 (आर) | 4137512 (आर) 13.02.2020 | O.P. 32600 C.P. 10866 R.P. 21734 | 1068432/- 09.06.2020 | 01.05.2020 | 13.05.2020 | 13.05.2020 से 31.05.2020 | 6660 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|----------|---------------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 17 | अलवर | मुण्डावर | श्री झारा राम गुर्जर 1124829 (आर) | 4145654 (आर) 13.07.2020 | O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900 | 535888/- 6.05.2021 | 01.01.2020 | 13.10.2020 | 13.10.2020 से 31.03.21 | 30590 |
| | | बानसूर | श्री सुवेश प्रकाश 1126207 (आर) | 4147094 (आर) 28.07.2020 | O.P. 47700 C.P. 15900 R.P. 31800 | 1563415/- 16.12.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 से 31.12.2020 | 15900 |
| | | | श्री गिरिजेश कुमार शर्मा 1102710 (आर) | 4121066 (आर) 01.08.2019 | O.P. 33500 C.P. 11166 R.P. 22334 | 1097930/- 23.03.2020 | 01.06.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 से 29.02.2020 | 44664 |
| 18 | राजसमन्द | राजसमन्द | श्रीमती कमला बाई 1145872 (आर) | 4167509 (आर) 17.05.2021 | O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900 | 585052/- 23.05.2022 | 01.02.2021 | 17.08.2021 | 17.08.2021 से 30.04.2022 | 50479 |
| | | | श्रीमती शान्ति पालीवाल 1166723 (आर) | 4189129 (आर) 11.04.2022 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 19.09.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 से 31.08.2022 | 11883 |
| 19 | बारां | बारां | श्री नरेश कुमार जयंत 1161396 (आर) | 4183585 (आर) 02.02.2022 | O.P. 38950 C.P. 12983 R.P. 25967 | 1276592/- 12.10.2022 | 01.02.2022 | 02.05.2022 | 02.05.2022 से 31.08.2022 | 51513 |
| 20 | पाली | सोजत सिटी | श्री प्रताप राम 1132645 (आर) | 4153750 (आर) 07.10.2020 | O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567 | 568631/- 22.02.2021 | 01.08.2020 | 07.01.2021 | 07.01.2021 से 31.01.2021 | 4664 |
| 21 | कोटा | दीगोद | श्री बाल मुकुन्द गालव 1140085 (आर) | 4161464(आर) 01.02.2021 | O.P. 41300 C.P. 13766 R.P. 27534 | 1353583/- 07.07.2021 | 01.05.2020 | 01.05.2021 | 01.05.2021 से 30.06.2021 | 27532 |
| | | | श्री राम प्रसाद बैरवा 1113680 (आर) | 4133642(आर) 24.12.2019 | O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767 | 1168432/- 20.05.2020 | 01.02.2020 | 24.03.2020 | 24.03.2020 से 30.04.2020 | 14950 |

| क्र.सं. | कोषालय | कोषालय / उप कोषालय का नाम | पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या | सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक | मासिक पेंशन की दर (रूपये) | रूपांतरित पेंशन का मूल्य एवं भुगतान की दिनांक | पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि | घटी दर से देय पेंशन की तिथि | भुगतान की अवधि | अधिक भुगतान राशि ₹ |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | श्रीमती शमशाद कुरेशी 1117117 (आर) | 4137459(आर) 17.02.2020 | O.P. 44500 C.P. 14833 R.P. 29667 | 1458499/- 09.06.2020 | 01.12.2019 | 17.05.2020 | 17.05.2020 से 31.05.2020 | 7177 |
| | | | श्री राम प्रसाद 1109433 (आर) | 4128849(आर) 11.10.2019 | O.P. 20050 C.P. 6683 R.P. 13367 | 657126/- 27.08.2020 | 01.11.2019 | 11.01.2020 | 11.01.2020 से 31.07.2020 | 44625 |
| | | | श्री बद्री प्रसाद मीणा 1146505 (आर) | 4168172(आर) 03.06.2021 | O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467 | 1202846/- 22.10.2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | 03.09.2021 से 30.09.2021 | 11417 |
| योग ₹ | | | | | | | | | | 1997024 |

परिशिष्ट संख्या-18

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.2)

निजी निक्षेप खाताधारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने का विवरण

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | क्र.सं. | सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम | खाता संख्या |
|---------|---------------|---------|--|-------------|
| 1 | दौसा | 1 | कमांडेंट होम ट्रेनिंग सेंटर दौसा | 2733 |
| | | 2 | डीडी (आईसीडीएस) दौसा | 3017 |
| | | 3 | उप निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा | 3019 |
| | | 4 | सीनियर डीईओ सह बीईईओ बांदीकुई | 3062 |
| | | 5 | प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सीकरी | 5905 |
| | | 6 | राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट (दौसा) | 5914 |
| | | 7 | श्याम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय देहलाल लालसोट | 5966 |
| | | 8 | प्राचार्य राजकीय कला महाविद्यालय दौसा | 6060 |
| | | 9 | जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, दौसा | 6109 |
| | | 10 | डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड (डीएमएफटी) | 6237 |
| | | 11 | राजकीय आईटीआई, सिकराय | 6650 |
| | | 12 | राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिंकंदरा, दौसा | 6857 |
| | | 13 | बंदी कल्याण कोष दौसा | 6918 |
| | | 14 | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, दौसा | 6973 |
| | | 15 | अधीक्षण अभियंता, जल संग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण, दौसा | 18651 |
| | | 16 | एडीएच दौसा | 18718 |
| 2 | बीकानेर | 17 | सचिव / कृषि उपज मण्डी श्रीङ्गरगढ, बीकानेर | 717 |
| | | 18 | विशेषाधिकारी बीकानेर युनिवर्सिटी | 723 |
| | | 19 | अधीक्षण अभियन्ता शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना, बीकानेर | 743 |
| | | 20 | कार्यक्रम निदेशक, बीकानेर | 3234 |
| | | 21 | कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग, बीकानेर | 3303 |
| | | 22 | आर.एन.बी.ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर | 5804 |
| | | 23 | प्रिंसीपल गर्वनमेंट बीकानेर | 5828 |
| | | 24 | जिला परियोजना प्रबंधन इकाई.(आरजीएवीपी), बीकानेर | 6689 |
| 3 | नागौर | 25 | प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मेड़ता सिटी | 2578 |
| | | 26 | प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, नागौर | 2579 |
| | | 27 | सेठी गणपतराय ट्रस्ट, लाइनू | 2584 |
| | | 28 | अधिकाधी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड नागौर | 2596 |
| | | 29 | अधिकाधी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड मेड़ता सिटी | 2597 |
| | | 30 | बी.ई.ई.ओ. परबतसर | 2664 |
| | | 31 | प्राचार्य, राजकीय लॉ महाविद्यालय, नागौर | 2727 |
| | | 32 | परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, नागौर | 2728 |
| | | 33 | अधिकाधी अधिकारी, नगर पालिका, डेगाना | 6069 |
| | | 34 | प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलाना | 6177 |
| | | 35 | मीरा विश्वविद्यालय, मेड़ता सिटी | 6279 |

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | क्र.सं. | सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम | खाता संख्या |
|---------|-----------------|---------|--|-------------|
| | | 36 | स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, परबतसर, नागौर | 6561 |
| | | 37 | स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, जायल, नागौर | 6563 |
| | | 38 | उप वन संरक्षक, नागौर | 18403 |
| | | 39 | उप निदेशक, कृषि, जिला परिषद्, नागौर | 18683 |
| | | 40 | राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवायें | 18692 |
| 4 | जोधपुर (शहर) | 41 | जोधपुर निजी विश्वविद्यालय, जोधपुर | 2750 |
| | | 42 | अधीक्षक, केन्द्रीय कारागाह, जोधपुर | 4077 |
| | | 43 | उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जोधपुर | 4124 |
| | | 44 | संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर | 5642 |
| | | 45 | डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड, जोधपुर | 6401 |
| | | 46 | व्यास विधापीठ, जोधपुर | 7003 |
| | | 47 | डी.डी.एच. जोधपुर | 18728 |
| 6 | जैसलमेर | 48 | अधीशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग खण्ड-1, जैसलमेर | 4461 |
| | | 49 | अधीशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जोधपुर | 4483 |
| | | 50 | राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़, जैसलमेर | 4448 |
| | | 51 | राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पोकरण, जैसलमेर | 4502 |
| | | 52 | राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोहनगढ़, जैसलमेर | 4504 |
| | | 53 | विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रेड -3) विभाग। | 4463 |
| 7 | जयपुर (सचिवालय) | 54 | निदेशक, मतस्य विभाग | 1244 |
| | | 55 | राज्य सहकारी नवीनीकरण निधि | 3748 |
| | | 56 | सहकारी सुदृडीकरण कोष | 3749 |
| | | 57 | मेजर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड | 3795 |
| | | 58 | राजस्थान हाउसिंग बोर्ड | 3796 |
| | | 59 | राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड | 3798 |
| | | 60 | राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम | 3829 |
| | | 61 | एस.एस. शिक्षा, सचिवालय जयपुर | 3938 |
| | | 62 | संयुक्त निदेशक (जीआईए) कॉलेज शिक्षा जयपुर | 3974 |
| | | 63 | पीडी कोर | 3981 |
| | | 64 | राजस्थान रोड इंफ्रा. डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 3987 |
| | | 65 | राजस्थान आवास | 5629 |
| | | 66 | संभागीय संस्कृत | 5640 |
| | | 67 | पूर्णिमा विश्वविद्यालय | 5693 |
| | | 68 | ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय | 5750 |
| | | 69 | आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय | 5797 |
| | | 70 | मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान | 6090 |
| 8 | जयपुर (शहर) | 71 | जिला ग्रामीण व्यय, जयपुर | 559 |
| | | 72 | राजस्थान राज्य होटल, जयपुर | 3479 |
| | | 73 | आई.टी.आई. महिला | 3493 |
| | | 74 | डीएफओ, ईस्ट | 3499 |
| | | 75 | राजस्थान राज्य सहकारी भंडार | 3501 |
| | | 76 | नागरिक सुरक्षा | 3697 |
| | | 77 | महात्मा ज्योतिराव फूले | 3726 |
| | | 78 | रितनन्द बल्देव | 3730 |

| क्र.स. | कोषालय का नाम | क्र.सं. | सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम | खाता संख्या |
|--------|---------------|---------|--|-------------|
| | | 79 | प्रताप विश्वविद्यालय | 4197 |
| | | 80 | देव विश्वविद्यालय | 4201 |
| | | 81 | अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर | 6379 |
| | | 82 | जिला कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) जयपुर | 6678 |
| 10 | डूंगरपुर | 83 | एफ.एफ.डी.ए. डीपीआर | 2494 |
| | | 84 | राजकीय कॉलेज, बिछीवाड़ा, डूंगरपुर | 6724 |
| 11 | करौली | 85 | देवस्थान विभाग, करौली | 4356 |
| | | 86 | औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सपोटरा | 6833 |
| | | 87 | अधीक्षण अभियंता जल संग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण, करौली | 18660 |
| 12 | धौलपुर | 88 | परियोजना निदेशक जिला महिला विकास एजेन्सी, धौलपुर | 4989 |
| | | 89 | राजकीय महाविद्यालय बसईनवाब, धौलपुर | 18519 |
| | | 90 | अधीक्षण अभियंता, जल संग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण, धौलपुर | 18650 |
| | | 91 | आर.जी.एच.एस. | 18692 |
| | | 92 | प्राचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, धौलपुर | 18844 |
| 13 | श्री गंगानगर | 93 | कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण विभाग श्रीगंगानगर | 1295 |
| 14 | चूरु | 94 | प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ,राजगढ, चूरु | 5855 |
| | | 95 | राजकीय बालिका महाविद्यालय राजगढ, चूरु | 6848 |
| | | 96 | विनायक महाविद्यालय, सिधमुख, चूरु | 18748 |
| 15 | जालौर | 97 | कामगार क्षतिपूर्ती | 3239 |
| | | 98 | वन संरक्षक, जालौर | 6638 |
| | | 99 | राजकीय महाविद्यालय, सांचौर | 6851 |

परिशिष्ट संख्या- 19

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.3)

निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के आंकड़ों के मध्य अन्तर का विवरण

| क्र.सं. | कोषालय | खाता संख्या | संस्था का नाम | कोषालय के आंकड़े राशि ₹ | संस्था के आंकड़े राशि ₹ | धनात्मक अंतर राशि ₹ | ऋणात्मक अंतर राशि ₹ |
|---------|---------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | दौसा | 3061 | अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, दौसा | 17691396.29 | 22880770.94 | 0.00 | 5189374.65 |
| | | 3007 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लालसोट | 1056896.00 | 2669179.00 | 0.00 | 1612283.00 |
| | | 3047 | अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बोर्ड, बांदीकुई | 7053376.00 | 7041455.00 | 11921.00 | 0.00 |
| | | 3051 | अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बोर्ड, बांदीकुई | 5510793.00 | 5522714.00 | 0.00 | 11921.00 |
| | | 3037 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दौसा | 42773890.79 | 42947461.28 | 0.00 | 173570.49 |
| | | 3038 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बांदीकुई | 47142606.29 | 38291857.29 | 8850749.00 | 0.00 |
| | | 3039 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लालसोट | 44195923.50 | 44196464.50 | 0.00 | 541.00 |
| 2 | बीकानेर | 764 | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, कोलायत | 25045127.81 | 25020441.81 | 24686.00 | 0.00 |
| | | 766 | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, श्रीडूंगरगढ | 19248999.00 | 19225519.00 | 23480.00 | 0.00 |
| | | 786 | राजकीय महाविद्यालय, नोखा | 12474817.00 | 11513154.00 | 961663.00 | 0.00 |
| | | 3297 | प्रिंसीपल, राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर | 3793305.00 | 4484689.00 | 0.00 | 691384.00 |
| | | 3302 | समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर | 2741872.00 | 2798321.00 | 0.00 | 56449.00 |
| 3 | नागौर | 6176 | प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय खींवसर, नागौर | 1333681.00 | 1331486.00 | 2195.00 | 0.00 |
| | | 2597 | अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड मेड़ता सिटी | 4878362.00 | 665503.00 | 4212859.00 | 0.00 |
| | | 6362 | अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, नागौर | 230103561.12 | 230103561.00 | 0.12 | 0.00 |
| | | 2598 | अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड डीडवाना | 7396580.00 | 7531093.00 | 0.00 | 134513.00 |
| 4 | जैसलमेर | 4436 | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, सांकड़ा | 23145270.00 | 35159374.00 | 0.00 | 12014104.00 |

| क्र.सं. | कोषालय | खाता संख्या | संस्था का नाम | कोषालय के आंकडे राशि ₹ | संस्था के आंकडे राशि ₹ | धनात्मक अंतर राशि ₹ | ऋणात्मक अंतर राशि ₹ |
|---------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4426 | सी.एम.एच.ओ. जैसलमेर | 410518.00 | 410418.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | 4427 | आयुक्त राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कल्याण कोष जैसलमेर | 9754583.00 | 9755981.00 | 0.00 | 1398.00 |
| | | 4490 | प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, पोकरण | 2065137.60 | 2041137.60 | 24000.00 | 0.00 |
| | | 4453 | नगरपालिका, पोकरण | 22792371.53 | 22732371.53 | 60000.00 | 0.00 |
| | | 4408 | सचिव, जी.बी.एम.एस.एस. स्कूल जैसलमेर | 1328334.00 | 1359278.00 | 0.00 | 30944.00 |
| | | 4409 | सचिव, एन.बी.एम.यू.पी. स्कूल जैसलमेर | 939785.00 | 970731.00 | 0.00 | 30946.00 |
| 5 | जयपुर (शहर) | 3483 | राजस्थान पुलिस कल्याण निधि, जयपुर | 10469857.25 | 10598433.25 | 0.00 | 128576.00 |
| 6 | उदयपुर (ग्रामीण) | 1061 | प्रिंसीपल, राजकीय महाविद्यालय, खेरवाडा (उदयपुर) | 28177783.60 | 28090723.60 | 87060.00 | 0.00 |
| 7 | झालावाड़ | 4647 | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, झालरापाटन | 4375186.00 | 4407390.00 | 0.00 | 32204.00 |
| | | 4680 | प्राचार्य राज.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ | 43282852.00 | 43287322.00 | 0.00 | 4470.00 |
| | | 4683 | मत्स्य विकास अधिकारी, झालावाड़ | 552094.25 | 452094.25 | 100000.00 | 0.00 |
| | | 4684 | उपवन संरक्षक, झालावाड़ | 69341109.85 | 69331109.85 | 10000.00 | 0.00 |
| | | 4685 | अधीक्षक, जिला कारागृह, झालावाड़ | 106719.00 | 106854.00 | 0.00 | 135.00 |
| | | 4689 | आचार्य, आई.टी.आई. झालावाड़ | 257525.00 | 285525.00 | 0.00 | 28000.00 |
| 8 | करौली | 4400 | पंचायत समिति सपोटरा , करौली | 87808161.00 | 80515721.00 | 7292440.00 | 0.00 |
| | | 4387 | जिला कारागृह करौली | 26870.00 | 29865.00 | 0.00 | 2995.00 |
| 9 | धौलपुर | 4931 | कार्यालय कमाण्डेन्ट गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, धौलपुर | 5996765.00 | 5986043.00 | 10722.00 | 0.00 |
| | | 4938 | कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर | 3806698.48 | 3802191.48 | 4507.00 | 0.00 |
| | | 4982 | कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर | 10803601.00 | 10808601.00 | 0.00 | 5000.00 |
| | | 4968 | कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर | 11105193.42 | 11064447.42 | 40746.00 | 0.00 |
| 10 | चूरु | 2866 | राज. ओद्यो. प्रशि. संस्था. चूरु | 1052250.00 | 1051750.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | 2857 | प्रा.राज.महा.सुजानगढ़ | 942152.00 | 931980.00 | 10172.00 | 0.00 |
| | | 2894 | अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग चूरु | 1213582.00 | 776279.00 | 437303.00 | 0.00 |
| | | 2898 | नगरपालिका सरदारशहर (जीपीएफ) | 1035357.00 | 1886622.00 | 0.00 | 851265.00 |
| | | 2888 | नगरपालिका सरदारशहर (उपा.) | 14999243.00 | 15380613.00 | 0.00 | 381370.00 |

| क्र.सं. | कोषालय | खाता संख्या | संस्था का नाम | कोषालय के आंकडे राशि ₹ | संस्था के आंकडे राशि ₹ | धनात्मक अंतर राशि ₹ | ऋणात्मक अंतर राशि ₹ |
|---------|-----------|-------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2856 | प्राचार्य,राज. लोहिया महा. चूरु | 28363054.00 | 30226356.00 | 0.00 | 1863302.00 |
| | | 2935 | समा.गृह.रक्षा प्रशि. केन्द्र चूरु | 1594785.00 | 1600670.00 | 0.00 | 5885.00 |
| | | 2917 | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ | 22252278.38 | 22252589.83 | 0.00 | 311.45 |
| | | 2878 | नगरपरिषद, सुजानगढ़ | 13317105.00 | 12244868.00 | 1072237.00 | 0.00 |
| | | 2774 | नगरपालिका, सरदारशहर | 250997940.00 | 250600435.00 | 397505.00 | 0.00 |
| | | 2881 | नगरपालिका रतननगर | 72876184.00 | 72752279.00 | 123905.00 | 0.00 |
| | | 2867 | अधीक्षक, राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, सुजानगढ़ | 565867.00 | 564867.00 | 1000.00 | 0.00 |
| | | 2909 | मोहता पब्लिक स्कूल, राजगढ़ | 3509913.00 | 3782744.00 | 0.00 | 272831.00 |
| | | 2775 | नगरपालिका मण्डल बीदासर | 11698300.00 | 4139078.00 | 7559222.00 | 0.00 |
| | | 2840 | परि.प्र.अनु.जा.जन. वि.एवं वि. नि. चूरु | 3019233.27 | 2491387.27 | 527846.00 | 0.00 |
| | | 2901 | नगरपालिका मण्डल तारानगर | 4678095.00 | 4805868.00 | 0.00 | 127773.00 |
| | | 2879 | नगरपालिका मण्डल राजगढ़ | 252971614.53 | 252162306.53 | 809308.00 | 0.00 |
| | | 2903 | प्राचार्य,एस.बी.डी.राज.स्ना. महा. सरदारशहर | 12187849.00 | 12193101.00 | 0.00 | 5252.00 |
| | | 2830 | जिला परिषद चूरु | 212818901.59 | 213485992.59 | 0.00 | 667091.00 |
| | | 2855 | लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय रतनगढ़ | 7168886.00 | 7189012.00 | 0.00 | 20126.00 |
| | | 2842 | जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) चूरु | 173273001.82 | 163722132.28 | 9550869.54 | 0.00 |
| | | 2828 | पंचायत समिति रतनगढ़ | 47407656.53 | 47409252.53 | 0.00 | 1596.00 |
| | | 6692 | परि.प्र.इ.रा.ग्रा.आजीविका प्र. चूरु | 214037.00 | 299037.00 | 0.00 | 85000.00 |
| | | 2829 | पंचायत समिति सुजानगढ़ | 30572018.15 | 29065935.51 | 1506082.64 | 0.00 |
| | | 2915 | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समय शिक्षा चूरु | 12205491.05 | 11806409.60 | 399081.45 | 0.00 |
| | | 2848 | नगरपरिषद सुजानगढ़ | 20538516.00 | 20954154.00 | 0.00 | 415638.00 |
| | | 2852 | नगरपालिका मण्डल तारानगर | 733254.00 | 749994.00 | 0.00 | 16740.00 |
| | | 2900 | नगरपरिषद सुजानगढ़ | 36537483.00 | 36997540.00 | 0.00 | 460057.00 |
| 11 | हनुमानगढ़ | 3132 | भूमि अवाप्ति अधिकारी, हनुमानगढ़ | 114694783.27 | 115216578.27 | 0.00 | 521795.00 |
| | | 6130 | जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) हनुमानगढ़ | 169904080.00 | 169874505.00 | 29575 | 0.00 |
| | | 3133 | उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर | 5839445.00 | 5798362.00 | 41083.00 | 0.00 |
| | | | योग | 2338169957.37 | 2319831980.21 | 44182817.75 | 25844840.59 |

परिशिष्ट संख्या- 20

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.4)

निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद किये जाने का अभाव

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | क्र.सं. | खाता संख्या | खाता धारक संस्था का नाम | दिनांक 31.03.2023 को अंतिम शेष राशि ₹ |
|---------|--------------------|---------|-------------|---|--|
| 1 | अजमेर | 1 | 367 | पंचायत समिति, भिनाय | 550.00 |
| 2 | बारां | 2 | 540 | राजकीय महाविधालय, केलवाड़ा | 2210171.00 |
| 3 | बाड़मेर | 3 | 474 | भवन निर्माण अग्रिम (एस.बी.बी.जे.) | 3600.00 |
| 4 | बीकानेर | 4 | 3284 | जिला महिला विकास एजेन्सी, बीकानेर | 490183.00 |
| | | 5 | 3234 | परियोजना अधिकारी | 68463.00 |
| | | 6 | 3303 | कार्यक्रम अधिकारी महिला ए.डी. विभाग | 4978776.97 |
| 5 | भरतपुर | 7 | 2246 | सहायक निदेशक (उद्यान) | 0.50 |
| 6 | चुरु | 8 | 2870 | उपवन संरक्षक | 39575.00 |
| | | 9 | 5660 | संभागीय संस्कृत | 5594.83 |
| 7 | डूंगरपुर | 10 | 2494 | सहायक निदेशक, एफएफडीए डीपीआर | 124018.00 |
| 8 | धौलपुर | 11 | 4989 | परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी | 490725.00 |
| 9 | श्रीगंगानगर | 12 | 474 | भवन निर्माण अग्रिम (एस.बी.बी.जे.) | 10448.00 |
| 10 | जयपुर (सचिवालय) | 13 | 3974 | संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा | 4200.00 |
| | | 14 | 3976 | निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कॉम्युनिकेशन विभाग | 24.00 |
| | | 15 | 3987 | राजस्थान सड़क विकास लिमिटेड | 10.00 |
| | | 16 | 5640 | खण्डीय संस्कृत अधिकारी जोन | 2348.90 |
| 11 | जैसलमेर | 17 | 4489 | नियंत्रक, (कलेक्टर) उप नियंत्रक सिविल डिफेंस | 16693.00 |
| 12 | जोधपुर (शहर) | 18 | 5642 | खण्डीय, संस्कृत अधिकारी | 562.70 |
| 13 | झालावाड़ | 19 | 165 | शिक्षा कॉर्पोरेटिव | 2000.00 |
| 14 | झुंझुनू | 20 | 5873 | ओ.एस.डी., राजस्थान स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी | 321297.00 |
| 15 | नागौर | 21 | 2555 | निदेशक, महिला एवं बाल विकास एजेंसी | 186308.00 |
| 16 | प्रतापगढ़ | 22 | 3418 | प्रिंसिपल, राजकीय महाविधालय | 17034498.20 |
| योग | | | | | 25990047.10 |

परिशिष्ट संख्या - 21

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.5.3)

निजी निक्षेप खाता संख्या 471 में जमा राशियों का विवरण

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | निजी निक्षेप खाता संख्या 471 में दर्शाये गये अंतिम शेष की दिनांक | अंतिम शेष राशि ₹ (पूर्णांक रुपये) |
|---------|------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | अजमेर | 31.03.2023 | 22872432.00 |
| 2. | अलवर | 31.03.2023 | 15517686.00 |
| 3. | ब्यावर | 31.03.2023 | 3814226.00 |
| 4. | बाड़मेर | 31.03.2023 | 44033620.00 |
| 5. | बारां | 31.03.2023 | 16298944.83 |
| 6. | बांसवाड़ा | 31.03.2023 | 46009857.54 |
| 7. | बीकानेर | 31.03.2023 | 17094465.72 |
| 8. | बूंदी | 31.03.2023 | 10872645.66 |
| 9. | भरतपुर | 31.03.2023 | 11154351.58 |
| 10. | भीलवाड़ा | 31.03.2023 | 16580113.66 |
| 11. | चित्तौड़गढ़ | 31.03.2023 | 16519311.80 |
| 12. | चूरू | 31.03.2023 | 10748245.80 |
| 13. | दौसा | 31.03.2023 | 19517396.37 |
| 14. | डूंगरपुर | 31.03.2023 | 43060800.84 |
| 15. | धौलपुर | 31.03.2023 | 4827836.98 |
| 16. | श्रीगंगानगर | 31.03.2023 | 23422516.50 |
| 17. | हनुमानगढ़ | 31.03.2023 | 18276688.00 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 31.03.2023 | 51147447.00 |
| 19. | जयपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 15342796.54 |
| 20. | जयपुर (सचिवालय) | 31.03.2023 | 4774219.00 |
| 21. | जयपुर (पेंशन) | 31.03.2023 | 15620.00 |
| 22. | जैसलमेर | 31.03.2023 | 12562865.40 |
| 23. | जालौर | 31.03.2023 | 10372233.00 |
| 24. | जोधपुर (शहर) | 31.03.2023 | 22453484.00 |
| 25. | जोधपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 12484867.00 |
| 26. | झालावाड़ | 31.03.2023 | 30582495.00 |
| 27. | झुन्झुनू | 31.03.2023 | 14775129.00 |
| 28. | करौली | 31.03.2023 | 2850042.00 |
| 29. | कोटा | 31.03.2023 | 24820814.00 |
| 30. | नागौर | 31.03.2023 | 30307849.36 |
| 31. | प्रतापगढ़ | 31.03.2023 | 12348276.00 |
| 32. | पाली | 31.03.2023 | 13582473.00 |
| 33. | राजसमंद | 31.03.2023 | 14222669.00 |
| 34. | सवाई माधोपुर | 31.03.2023 | 6848953.00 |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 35. | सीकर | 31.03.2023 | 15605980.00 |
| 36. | सिरोही | 31.03.2023 | 6428511.00 |
| 37. | टोंक | 31.03.2023 | 16538065.00 |
| 38. | उदयपुर (शहर) | 31.03.2023 | 18193402.00 |
| 39. | उदयपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 26916122.00 |
| 40. | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 31.03.2023 | 1615992.00 |
| योग | | | 705411443.58 |

परिशिष्ट संख्या - 22

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.1)

निजी निक्षेप खाता सं. 473 जमा राशि का विवरण

| क्र.सं . | कोषालय का नाम | दिनांक | राशि (पूर्णांक रुपये में) |
|----------|-----------------|------------|---------------------------|
| 1. | अजमेर | 31.03.2023 | 4364242.00 |
| 2. | दौसा | 31.03.2023 | 16741125.00 |
| 3. | बारां | 31.03.2023 | 6983758.00 |
| 4. | बीकानेर | 31.03.2023 | 19226214.00 |
| 5. | भीलवाडा | 31.03.2023 | 26581407.18 |
| 6. | उदयपुर (शहर) | 31.03.2023 | 19283187.00 |
| 7. | नागौर | 31.03.2023 | 2684622.78 |
| 8. | सीकर | 31.03.2023 | 7037570.00 |
| 9. | चित्तौडगढ़ | 31.03.2023 | 36293954.00 |
| 10. | धौलपुर | 31.03.2023 | 22513731.62 |
| 11. | जैसलमेर | 31.03.2023 | 7396914.00 |
| 12. | जयपुर सचिवालय | 31.03.2023 | 8466532.00 |
| 13. | जयपुर शहर | 31.03.2023 | 7892956.00 |
| 14. | जयपुर (पेंशन) | 31.03.2023 | 7876399.00 |
| 15. | जयपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 12129445.00 |
| 16. | डूंगरपुर | 31.03.2023 | 32119890.07 |
| 17. | बांसवाड़ा | 31.03.2023 | 24124156.20 |
| 18. | भरतपुर | 31.07.2023 | 7910603.06 |
| 19. | श्री गंगानगर | 31.03.2023 | 7002953.00 |
| 20. | हनुमानगढ़ | 31.03.2023 | 9662703.00 |
| 21. | बाड़मेर | 31.03.2023 | 2532550.00 |
| 22. | बूंदी | 31.10.2023 | 6844764.00 |
| 23. | अलवर | 31.03.2023 | 15134563.00 |
| 24. | चूरू | 31.03.2023 | 13374280.30 |

| | | | |
|-----|------------------|------------|--------------|
| 25. | झालावाड | 31.03.2023 | 18520590.57 |
| 26. | झुन्झुनु | 31.03.2023 | 16551353.00 |
| 27. | जोधपुर (शहर) | 31.03.2023 | 5243090.40 |
| 28. | जोधपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 2550169.00 |
| 29. | करौली | 31.03.2023 | 24151892.00 |
| 30. | राजसमंद | 31.03.2023 | 4150241.00 |
| 31. | सिराही | 31.03.2023 | 5135279.00 |
| 32. | सवाई माधोपुर | 31.03.2023 | 3156779.00 |
| 33. | टोंक | 31.03.2023 | 17939002.00 |
| 34. | प्रतापगढ | 31.03.2023 | 5184679.00 |
| 35. | उदयपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 10369332.00 |
| 36. | जालौर | 31.03.2023 | 1990788.00 |
| 37. | पाली | 31.03.2023 | 25590045.00 |
| 38. | उदयपुर शहर | 31.03.2023 | 19283187.00 |
| 39. | कोटा | 31.03.2023 | 5527965.92 |
| योग | | | 489522913.10 |

परिशिष्ट संख्या - 23

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.2)

[एच.डी.एफ.सी. बैंक खाता संख्या 475](#)

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | अंतिम शेष की दिनांक | राशि ₹ (पूर्णांक) |
|---------|---------------|---------------------|--------------------|
| 1. | अजमेर | 31.03.2023 | 681443.00 |
| 2. | अलवर | 31.03.2023 | 176521.00 |
| 3. | ब्यावर | 31.03.2023 | 59678.00 |
| 4. | बाड़मेर | 31.03.2023 | 155550.00 |
| 5. | बारां | 31.03.2023 | 546837.00 |
| 6. | बांसवाड़ा | 31.03.2023 | 1043523.00 |
| 7. | बीकानेर | 31.03.2023 | 166259.00 |
| 8. | बूंदी | 31.03.2023 | 137368.00 |
| 9. | भरतपुर | 31.03.2023 | 339892.00 |
| 10. | भीलवाड़ा | 31.03.2023 | 614518.00 |
| 11. | चित्तौड़गढ | 31.03.2023 | 253724.00 |
| 12. | चूरू | 31.03.2023 | 167387.00 |
| 13. | दौसा | 31.03.2023 | 532844.00 |
| 14. | डूंगरपुर | 31.03.2023 | 1097883.00 |
| 15. | धौलपुर | 31.03.2023 | 93071.00 |
| 16. | श्रीगंगानगर | 31.03.2023 | 101422.00 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|-------------|
| 17. | हनुमानगढ | 31.03.2023 | 51385.00 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 31.03.2023 | 342838.00 |
| 19. | जयपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 481682.00 |
| 20. | जयपुर (सचिवालय) | 31.03.2023 | 29806.00 |
| 21. | जयपुर (पेंशन) | 31.03.2023 | 27534.00 |
| 22. | जैसलमेर | 31.03.2023 | 146130.00 |
| 23. | जालौर | 31.03.2023 | 80800.00 |
| 24. | जोधपुर (शहर) | 31.03.2023 | 257849.00 |
| 25. | जोधपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 50734.00 |
| 26. | झालावाड | 31.03.2023 | 121626.00 |
| 27. | झुन्झुनू | 31.03.2023 | 244443.00 |
| 28. | करौली | 31.03.2023 | 93239.00 |
| 29. | कोटा | 31.03.2023 | 416115.00 |
| 30. | नागौर | 31.03.2023 | 291608.00 |
| 31. | प्रतापगढ | 31.03.2023 | 704479.00 |
| 32. | पाली | 31.03.2023 | 223864.00 |
| 33. | राजसमंद | 31.03.2023 | 4223974.00 |
| 34. | सवाई माधोपुर | 31.03.2023 | 342012.00 |
| 35. | सीकर | 31.03.2023 | 593823.00 |
| 36. | सिरोही | 31.03.2023 | 44800.00 |
| 37. | टोंक | 31.03.2023 | 153076.00 |
| 38. | उदयपुर (शहर) | 31.03.2023 | 0.00 |
| 39. | उदयपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 1028093.00 |
| 40. | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 31.03.2023 | 609290.00 |
| कुल | | | 16727120.00 |

परिशिष्ट संख्या - 24

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.2)

[एस.बी.बी.जे. बैंक खाता संख्या 474](#)

| क्र.सं. | कोषालय का नाम | अंतिम शेष की दिनांक | राशि ₹ (पूर्णांक) |
|---------|---------------|---------------------|--------------------|
| 1. | अजमेर | 31.03.2023 | 46764.00 |
| 2. | अलवर | 31.03.2023 | 10707.00 |
| 3. | ब्यावर | 31.03.2023 | 0.00 |
| 4. | बाड़मेर | 31.03.2023 | 3600.00 |
| 5. | बारां | 31.03.2023 | 254342.00 |
| 6. | बांसवाड़ा | 31.03.2023 | 601606.00 |
| 7. | बीकानेर | 31.03.2023 | 31203.00 |
| 8. | बूंदी | 31.03.2023 | 313664.00 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|-------------|
| 9. | भरतपुर | 31.03.2023 | 0.00 |
| 10. | भीलवाड़ा | 31.03.2023 | 216583.00 |
| 11. | चित्तौड़गढ़ | 31.03.2023 | 6545.00 |
| 12. | चूरू | 31.03.2023 | 448425.00 |
| 13. | दौसा | 31.03.2023 | 2770609.00 |
| 14. | डूंगरपुर | 31.03.2023 | 0.00 |
| 15. | धौलपुर | 31.03.2023 | 0.00 |
| 16. | श्रीगंगानगर | 31.03.2023 | 0.00 |
| 17. | हनुमानगढ़ | 31.03.2023 | 0.00 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 31.03.2023 | 14406.00 |
| 19. | जयपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 20852.00 |
| 20. | जयपुर (सचिवालय) | 31.03.2023 | 118481.00 |
| 21. | जयपुर (पेंशन) | 31.03.2023 | 0.00 |
| 22. | जैसलमेर | 31.03.2023 | 0.00 |
| 23. | जालौर | 31.03.2023 | 11708.00 |
| 24. | जोधपुर (शहर) | 31.03.2023 | 49532.00 |
| 25. | जोधपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 0.00 |
| 26. | झालावाड़ | 31.03.2023 | 125200.00 |
| 27. | झुन्झुनू | 31.03.2023 | 27462.00 |
| 28. | करौली | 31.03.2023 | 103035.46 |
| 29. | कोटा | 31.03.2023 | 407.00 |
| 30. | नागौर | 31.03.2023 | 50734.00 |
| 31. | प्रतापगढ़ | 31.03.2023 | 123855.00 |
| 32. | पाली | 31.03.2023 | 89619.00 |
| 33. | राजसमंद | 31.03.2023 | 378827.00 |
| 34. | सवाई माधोपुर | 31.03.2023 | 12307535.32 |
| 35. | सीकर | 31.03.2023 | 47729.00 |
| 36. | सिरोही | 31.03.2023 | 13586.00 |
| 37. | टोंक | 31.03.2023 | 185670.00 |
| 38. | उदयपुर (शहर) | 31.03.2023 | 15054.00 |
| 39. | उदयपुर (ग्रामीण) | 31.03.2023 | 0.00 |
| 40. | भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली | 31.03.2023 | 125645.00 |
| कुल | | | 18513385.78 |

© कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान, जयपुर

Website : agaerajasthan@cag.gov.in

© कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान, जयपुर

Website : agaerajasthan@cag.gov.in
